



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 482 राँची, गुरुवार, 16 आश्विन, 1942 (श०)
8 अक्टूबर, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2020

अधिसूचना संख्या-परि०वि०(नियम)-50/2018-2210-- साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम सं० 10) की धारा 21 के साथ पठित अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का अधिनियम सं० 1) को 19, 19द, 29, 30, 30क, 52, 53, 54 और 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखंड राज्य में अन्तर्देशीय मोटर जलयान के सर्वेक्षण और रजिस्ट्रीकरण को अंगीकृत किए जाने की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाली नियमावली, बिहार और उड़ीसा राजपत्र दिनांक 29 मई, 1935 में सर्वेक्षण के लिए प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या-2057 बी.आई.एस.1-कॉम दिनांक 21 मई, 1935, बिहार राजपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1936 में सरकारी अधिसूचना सं०-4058-वी.आई.एस.-5-कॉम, दिनांक 23 सितम्बर, 1936, बिहार अन्तर्देशीय वाष्प जलयान सर्वेक्षण नियमावली, 1935 और इसका संशोधन नियम, 1936 तथा झारखंड राजपत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1951 में प्रकाशित रजिस्ट्रीकरण के लिए बिहार अन्तर्देशीय वाष्प जलयान रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1951 की अधिसूचना सं०-आ.वी.एस-4-1025/51एल-190, दिनांक 01 अक्टूबर, 1951 का अधिक्रमण करते हुए झारखंड-राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-74 के अधीन यथापेक्षित पूर्व प्रकाशन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय : 1.0

प्रारंभिक-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ:-

- (i) यह नियमावली झारखंड अन्तर्देशीय जलयान नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।
- (ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। यह नियमावली यथापेक्षित के सिवाय सम्पूर्ण झारखंड राज्य में चलने वाले अन्तर्देशीय जलयानों पर लागू होगी।
- (iii) (क) कोई अन्तर्देशीय जलयान किसी यात्रा के लिए प्रस्थान अथवा किसी सेवा के लिए प्रयुक्त तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसी यात्रा अथवा सेवा देने के लिए प्रवृत्त और लागू होने योग्य सर्वेक्षण प्रमाणपत्र न हो;
- (ख) यात्रा पर निकल चुके किसी भी अन्तर्देशीय जलयान के मामले में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की समाप्ति और इसके नवीनीकरण के बीच के अंतराल में उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो-

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917;
- (ख) “निर्माणकर्ता” से अभिप्रेत है जलयानों के डिजाईन, निर्माण, फिटिंग और परिदान पर समग्र नियंत्रण रखने वाला कोई व्यक्ति और इसमें हल अथवा शेल पर फिटिंग के लिए इंजन रखने वाला कोई व्यक्ति अथवा जिसने हल अथवा शेल पर अधिरचना का निर्माण किया है, शामिल है और इसमें उसका प्रतिनिधि भी शामिल है;
- (ग) “अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक अभ्यर्थी;
- (घ) “कार्गो” में पशुधन शामिल है;
- (ङ) “केन्द्रीय नियमावली” से अभिप्रेत है अधिनियम अथवा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली;
- (च) “सक्षमता प्रमाणपत्र” से अभिप्रेत है, अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान पर अभियंता, मास्टर अथवा इंजन चालक, सेरांग के रूप में कार्य करने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किए जाने वाले सक्षमता प्रमाणपत्र ;
- (छ) “जिला उपायुक्त” में अपर जिला उपायुक्त/अपर समाहर्ता और उपायुक्त द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अपर समाहर्ता शामिल है;
- (ज) “डम्ब बार्ज” से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन यांत्रिक नोदन अथवा दबाव उन्मुख प्रणोदन रहित जलयान परन्तु ऐसे जलयान जो यांत्रिक नोदन अथवा दबाव उन्मुख प्रणोदन से चलित हो;

- (झ) “परीक्षक” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई परीक्षक। इन नियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से राष्ट्रीय अंतर्देशीय परिवहन संस्थान, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्थान को परीक्षक समझा जाएगा;
- (ञ) “मुख्य परीक्षक” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-21 के अधीन राज्य परिवहन आयुक्त, झारखंड अथवा राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (ट) “प्रारूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न कोई प्रारूप;
- (ठ) “राष्ट्रीय जलमार्ग” से अभिप्रेत है भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई जलमार्ग अथवा उसका कोई भाग;
- (ड) “निबंधन प्राधिकार” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-19 ख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संयुक्त परिवहन आयुक्त अथवा राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (ढ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न कोई अनुसूची;
- (ण) “निदेशक अन्तर्देशीय जल परिवहन” से अभिप्रेत है, राज्य परिवहन आयुक्त, झारखंड, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (त) “मुख्य सर्वेक्षक” से अभिप्रेत है जलयानों के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा 4 के अधीन नियुक्त राज्य परिवहन आयुक्त झारखंड अथवा राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (थ) “अनुमोदित परामर्शी” से अभिप्रेत है सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ जलयान के हल/मशीनरी के सुरक्षित निर्माण को प्रमाणित करने के लिए कोई सुयोग्य नौ वास्तुविद् अथवा नौ अभियंता, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से अधिकृत हो;
- (द) “अनुमोदित वर्गीकरण सोसाइटी” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई वर्गीकरण सोसाइटी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) का कोई सदस्य अथवा एसोसिएट सदस्य;
- (ध) “कनवाय” से अभिप्रेत है जलयानों का समूह, प्लवमान उपकरण अथवा किसी यंत्र नोदित जलयान से अभिकर्षित बेड़ा;
- (न) “खतरनाक माल” से अभिप्रेत है वाणिज्यिक पोत अधिनियम, 1958 में यथा उपबंधित अर्थ;
- (प) “यंत्र नोदित जलयान” से अभिप्रेत है यंत्र नोदित जलयान और बाहरी मोटर से प्रणोदित जलयान से अनुकर्षित डम्ब जलयान सहित कोई भी जलयान जो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से विद्युत, वाष्प अथवा अन्य यांत्रिक शक्ति से प्रणोदित है;

- (फ) “सर्वेक्षक” से अभिप्रेत है मुख्य सर्वेक्षक द्वारा नियम 4(क) के अनुसार ऐसे स्थान पर, जो वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे, नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति अथवा अभिकरण के सदस्य यथा-
- (i) भारतीय रजिस्टर शिपिंग;
 - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी;
 - (iii) सामुद्रिक अभियंता संस्थान;
 - (iv) प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान, द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक।
- (ब) “अन्तर्देशीय जलयान अथवा अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान” से अभिप्रेत है मुख्य अधिनियम में परिभाषित यंत्र नोदित जलयान एवं नियम 3 के अनुसारप्रवर्ग ‘क’, प्रवर्ग ‘ख’ में आगे वर्गीकृत;
- (भ) “अन्तर्देशीय जलमार्ग” से अभिप्रेत है कोई नहर, नदी, झील अथवा अन्य नाव्य जल;
- (म) “यात्री” में शामिल है किसी यंत्र नोदित जलयान में सवार मास्टर, कू, स्वामी, उनका परिवार और सेवक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति;
- (य) “राज्य” से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य और “सरकार” से अभिप्रेत है, झारखंड सरकार।

अध्याय : 2.0

अन्तर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षण

3. (i) अन्तर्देशीय जलयानों के सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ जलयानों का वर्गीकरण दो समूह में किया गया है:-

प्रवर्ग “क”

- (क) 300 अश्व शक्ति से अधिक शक्ति के इंजन द्वारा चालित जलयान।
- (ख) उपरी डेक युक्त जलयान।
- (ग) 25 यात्रियों से अधिक क्षमता वाले फाईवर रिइन्फोर्सड प्लास्टिक हल वाला जलयान।
- (घ) 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले जलयान।
- (ङ) हॉवर क्राफ्ट और हाइड्रोफोल्स।

प्रवर्ग “ख”

- (क) सभी प्रकार के यांत्रिक जलयान जो प्रवर्ग “क” में शामिल नहीं है।

(ख) मोटर रहित बार्ज/जलयान, जो यांत्रिक जलयान से अनुकर्षित हैं, किन्तु प्रवर्ग “क” में शामिल नहीं हैं।

(ग) सभी प्रकार के जलयान जो 300से कम अश्व शक्ति चालित हैं।

(ii) सर्वेक्षण एवं निर्माण की प्रक्रिया-

(क) प्रवर्ग “क” के जलयानों का निर्माण किसी वर्गीकरण सोसाइटी के वर्ग सर्वेक्षण के अधीन किया जाना अपेक्षित है।

(ख) प्रवर्ग “ख” के जलयानों का निर्माण मुख्य सर्वेक्षक के निरीक्षण में किया जाना अपेक्षित है, जिनके सहयोग के लिए निर्माण के सभी चरणों में और सर्वेक्षण के अन्य अवसरों पर ड्राईंग, सर्वेक्षण और वर्गीकरण के अनुमोदन हेतु प्रमाणित नौ वास्तुविद/सुयोग्यता के प्रथम श्रेणी के प्रमाणपत्र रखने वाले सामुद्रिक अभियंता होंगे।

(iii) किसी अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण के लिए हरेक आवेदन जलयान के स्वामी अथवा मास्टर द्वारा प्रारूप-1 में नियम 9 में दिए गए निर्धारित शुल्क के साथ सीधे प्राधिकृत सर्वेक्षक को अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे किसी अन्य स्थान पर ऐसे जलयानों की सुपुर्दगी लेने से 15 दिन पहले, यात्रा की अवधि को छोड़कर, किया जाएगा, जो सर्वेक्षण के लिए किए गए आवेदन का अग्रोषण संबंधित मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त को करेगा।

(iv) उप-नियम 3 के अधीन प्राप्त होने वाले आवेदन पर सर्वेक्षक सर्वेक्षण प्रारंभ होने से संबंधित तिथि और समय निश्चित करके इसकी सूचना प्रारूप-2 में अन्तर्देशीय जलयानों के स्वामी अथवा मास्टर को देगा, जिसमें उन्हें यथा निर्धारित तिथि और समय सहित सर्वेक्षण के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ करने संबंधी सूचना देगा। सर्वेक्षण के लिए निर्धारित की गई तिथि से कम से कम 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। किसी अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर के अनुरोध पर नियम 12 में इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर रविवार अथवा अवकाश के दिन भी सर्वेक्षण किया जा सकेगा।

(v) सर्वेक्षण का स्थान-अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-4 की उप-धारा(1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने वाले किसी भी स्थान पर होगा। 2000 रु0 प्रति दिन/दौरा के सर्वेक्षक के शुल्क, अथवा राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई दर तथा सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षक के आवागमन एवं ठहरने में होनेवाली खर्च का वहन अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर द्वारा किया जाएगा।

- (vi) यदि निर्धारित तिथि और समय पर अन्तर्देशीय जलयान का कोई भी भाग सर्वेक्षण के लिए तैयार नहीं हो अथवा अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर द्वारा सर्वेक्षण के लिए आवश्यक तैयारी नहीं की गई हो तो सर्वेक्षक कारणों को अभिलिखित कर सर्वेक्षण के लिए अगली तिथि और समय नियत कर सकेगा।
- (vii) यदि सर्वेक्षण के लिए दी गई तिथि और समय पर सर्वेक्षक अपरिहार्य कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर को शीघ्रातिशीघ्र सूचित करके सर्वेक्षण के लिए अगली तिथि और समय निर्धारित करेगा।
- (viii) यदि सर्वेक्षण के लिए आवेदन उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी अथवा मास्टर 100 ₹0 प्रतिदिन की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा। परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त विधिमान्य और पर्याप्त कारणों को अभिलिखित कर ऐसे अर्थदण्ड को अधिकतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकेगा।
- (ix) सर्वेक्षण के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर अन्तर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा।
- (x) जहाँ आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर, अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर की बिना गलती के, सर्वेक्षण को पूरा नहीं किया जाता हो तो सर्वेक्षक को ऐसे विलंब का पर्याप्त विधिमान्य कारण मुख्य सर्वेक्षक को देना होगा।
- (xi) यदि यह सिद्ध होता है कि सर्वेक्षण में विलंब, अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर अथवा उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की जान बूझकर की गई उपेक्षा के कारण हुआ है तो यथास्थिति ऐसे स्वामी अथवा मास्टर द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह अथवा उसके किसी भाग के लिए निर्धारित सर्वेक्षण शुल्क के दोगुने के बराबर शास्ति देय होगा।

4. सर्वेक्षक की निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए:-

- (i) (क) सामुद्रिक/यांत्रिक/विद्युत अभियंता होने के साथ पहला सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद नौ-चालन का पाँच वर्षों का न्यूनतम अनुभव हो।
- (ख) महानिदेशक, पोत परिवहन, भारत सरकार द्वारा निर्गत न्यूनतम द्वितीय श्रेणी का मोटर/वाष्प एमओटी प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो अथवा ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद न्यूनतम दो वर्षों के नौ-चालन अनुभव के साथ समतुल्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र अथवा महानिदेशक, पोत परिवहन, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरांत पाँच वर्षों के अनुभव सहित मास्टर मेरिनर अथवा समतुल्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र रखता हो।
- (ग) सर्वेक्षक के एजेन्सी होने की दशा में संबंधित एजेन्सी के पास उनके पैनल/रॉल पर उपर्युक्त अर्हता वाले कार्मिक होने चाहिए।

(घ) सर्वेक्षक के न्यूनतम अर्हता में संशोधन करने का अधिकार परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को रहेगा।

(ii) सर्वेक्षक, इंजन, बायलर, सभी प्रकार के मशीनरी हल, उपकरण, यात्री सुविधा, अग्निशमन और जीवन रक्षक उपकरण का सर्वेक्षण करके यात्रियों की संख्या और जलयान से दुलाई किए जाने वाले नौभार (कार्गो) की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करेगा। सर्वेक्षक, मास्टर, सेरांग, अभियंता और इंजन चालक और 400 वोल्ट अथवा उससे उपर की लगी विद्युत मशीनरी वाले जलयान अथवा जलयानों के विद्युत प्रचालक के प्रमाणपत्र का परीक्षण भी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। जलमार्ग पर टक्कर निवारण हेतु सर्वेक्षक प्रकाश और ध्वनि का भी निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि प्रकाश और ध्वनि संकेत उपकरण अच्छी स्थिति में हैं।

5. (i) सर्वेक्षक की घोषणा प्रारूप-3 में दी जाएगी, जिसे सर्वेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से भरा और हस्ताक्षर किया जाएगा। इसे पोत के स्वामी द्वारा 14 दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे राज्य सरकार अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया हो अन्यथा विलंब के लिए उस पर प्रारूप -5 में यथा विहित शुल्क लगाया जाएगा।

(ii) (क) यदि सर्वेक्षक अन्तर्देशीय जलयान के हल, मशीनरी अथवा उपकरण में कोई त्रुटि पाता है तो अधिनियम की धारा-7 के अधीन घोषणा देने से अस्वीकार करने से पहले वह अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर अथवा स्वामी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रारूप -4 में सूचित करेगा और त्रुटि के बारे में जानकारी देकर उसे आवश्यक मरम्मत करके त्रुटि दूर करने के लिए कहेगा।

(ख) यदि किसी यंत्र नोदित जलयान के स्वामी अथवा मास्टर प्रथम सर्वेक्षक की सर्वेक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट होता है तो स्वामी/मास्टर के आवेदन पर और पूर्व सर्वेक्षण के दोगुने शुल्क के भुगतान पर, राज्य परिवहन आयुक्त दो सर्वेक्षक नियुक्त करेंगे। उनकी घोषणा अथवा घोषणा से संबंधित किसी प्रकार की अस्वीकृति को अंतिम माना जाएगा।

6. (i) अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना प्रारूप -5 में दी जाएगी।

(ii) अधिनियम की धारा-9 के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र यथास्थिति प्रवर्ग “क” जलयानों के लिए प्रारूप -6 में और प्रवर्ग “ख” जलयानों के लिए प्रारूप -7 में दिया जाएगा। ऐसे हर यंत्र चालित जलयान का जिसके लिए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र दिया गया हो, स्वामी या मास्टर, प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर तत्क्षण, उसकी दो प्रतियों में से एक प्रति यंत्र चालित

जलयान के किसी सहज दृश्य भाग पर जहाँ कि वह फलक पर के सब व्यक्तियों द्वारा सुगमता से पढ़ी जा सके, लगवाएगा और तब तक लगवाए रखेगा, जब तक कि वह प्रवृत्त रहे और यंत्र चलित जलयान उपयोग में रहे।

(iii) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं होगा -

(क) उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत; अथवा

(ख) ऐसी अवधि की समाप्ति के उपरांत (यदि एक वर्ष से कम हो) जिसके लिए यंत्र नोदित जलयान का हल, बॉयलर, इंजन और अन्य मशीनरी, अथवा कोई भी उपकरण से संबंधित प्रमाणपत्र पर्याप्त कहा गया हो; अथवा

(ग) ऐसे यंत्र नोदित जलयान के स्वामी अथवा मास्टर को झारखंड सरकार द्वारा सूचना देने के उपरांत राज्य सरकार ने उसे रद्द अथवा निलंबित कर दिया हो।

(iv) झारखंड सरकार द्वारा किसी यंत्र नोदित जलयान के स्वामी अथवा मास्टर को सरकार द्वारा पृष्ठांकन रद्द अथवा स्थगित करने की सूचना देने के उपरांत उस राज्य के बारे में किसी पृष्ठांकन होने के बावजूद सर्वेक्षण प्रमाणपत्र उस राज्य में प्रवृत्त नहीं होगा।

(v) धारा-10(क)के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अथवा उसके आधार पर किसी प्रकार के पृष्ठांकन, को राज्य सरकार द्वारा निलंबित अथवा रद्द किया जा सकेगा यदि राज्य सरकार के पास विश्वास करने का कारण हो कि:-

(क) सर्वेक्षक द्वारा यंत्र नोदित जलयान के हल, बॉयलर, इंजन अथवा अन्य मशीनरी अथवा कोई उपकरण की पर्याप्तता और अच्छी स्थिति की घोषणा कपटपूर्ण और गलत ढंग से की गई है; अथवा

(ख) प्रमाणपत्र झूठा अथवा गलत सूचना के आधार पर प्रदान किया गया है; अथवा

(ग) घोषणा के पहले किसी यंत्र नोदित जलयान के हल, बॉयलर, इंजन अथवा अन्य मशीनरी अथवा किसी भी उपकरण को भौतिक क्षति हुई है अथवा किसी अन्य कारण से अपर्याप्त है।

(vi) किसी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर धारा-10(क) के अधीन किए गए पृष्ठांकन के स्थगन अथवा रद्द होने पर मुख्य सर्वेक्षक अथवा राज्य परिवहन आयुक्त स्थगन अथवा रद्दीकरण से संबंधित तथ्य की सूचना कारण सहित प्रमाणपत्र जारी करने वाले राज्य सरकार (अथवा उसके प्रतिनिधि) को देगा।

(vii) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-54(ग) के अधीन यदि कोई जलयान बीमा कृत नहीं है तो जलयान को कार्गो और/अथवा यात्री सेवा के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

7. (i) नियम-3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा मास्टर द्वारा आवेदन किए जाने पर सर्वेक्षण प्रमाणपत्र

की वैधता, परिस्थिति की आवश्यकता पर और यदि सर्वेक्षक उस अवधि के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने का अनुशंसा करता है तो प्रारूप-8 में, तीन महीने तक बढ़ायी जा सकती है।

(ii) ड्राई डॉकिंग की अवधि को पूर्ण शुल्क जमा करने पर नियम-3 के अनुसार किसी अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा मास्टर द्वारा दिए गए आवेदन और परिस्थिति की अत्यावश्यकता पर यथास्थिति चार वर्ष अथवा तीन वर्ष (पेट्रोलियम उत्पाद की ढुलाई के लिए) से अधिक डॉकिंग अवधि में पुनर्विधिमान्य किया जा सकेगा। डॉक अवधि की वैधता का विस्तार एक वर्ष से अधिक नहीं होगा परन्तु यह तब जबकि सर्वेक्षक उस अवधि के लिए वैधता देने की सिफारिश करता हो और अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण उसके द्वारा किया गया हो।

(iii) यदि जलयान का सर्वेक्षण पूर्ण रूप से किया हो किन्तु सर्वेक्षक की राय में अन्तर्देशीय जलयान का हल, उपकरण अथवा मशीनरी एक वर्ष की अवधि से कम की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पर्याप्त घोषित किया गया हो तो सर्वेक्षण के लिए सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क देय होगा।

8. (i) हरेक जलयान, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, का सर्वेक्षण यथा विनिर्दिष्ट के अध्यक्षीन होगा:-

(क) किसी नए जलयान के सेवा में लगाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण;

(ख) हल, मशीनरी और उपकरण के सर्वेक्षण सहित हरेक बारह महीने में एक बार आवधिक सर्वेक्षण;

(ग) चार वर्षों की अवधि पर ड्राई डॉक सर्वेक्षण में ड्राई डॉकिंग और मशीनरी में टूट-फूट पर विस्तृत जाँच के बाद संतोषजनक परिचालन जाँच;

(घ) अतिरिक्त सर्वेक्षण जब कभी आवश्यक हो।

(ii) (क) किसी अन्तर्देशीय जलयान के सेवा में लगाने से पूर्व के सर्वेक्षण में हल, मशीनरी और उपस्कर का सम्पूर्ण निरीक्षण शामिल है। सर्वेक्षण ऐसा होगा कि इंतजाम, सामग्री, अल्प हल, बायलर और उनके अनुषंगी अग्नि उपस्कर और अन्य उपस्कर इन नियमों के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जलयान और उपस्कर के सभी भागों का कर्म कौशल सभी तरह से संतोषप्रद हो। परन्तु जलयान का तल जिसका सर्वेक्षण निर्माण के दौरान किया गया है उसे सर्वेक्षक द्वारा पानी पर उतारने से पहले जाँच करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि सर्वेक्षक को ऐसा करने के लिए विशेष कारण नहीं हो।

(ख) आवधिक सर्वेक्षण में सम्पूर्ण हल, बायलर, मशीनरी और उपस्कर की जाँच शामिल है एवं ड्राई डॉक में जलयान के बाहरी तल का भी निरीक्षण होगा सर्वेक्षण में

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हल, मशीनरी और उपस्कर संतोषजनक स्थिति में हो और यह जलयान की उद्देश्य पूर्ति हेतु उपयुक्त हो तथा यह इन नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।

(ग) कोई सर्वेक्षण, साधारण हो अथवा आंशिक, परिस्थिति के अनुसार की जाएगी-

(i) हरेक बार जब कोई दुर्घटना घटती है अथवा कोई त्रुटि का पता चलता है जिससे जलयान की सुरक्षा प्रभावित होती है;

(ii) इसकी दक्षता अथवा इसके उपकरण की सम्पूर्णता अथवा जब कभी कोई प्रभावी मरम्मत अथवा नवीकरण किया जाता है;

(iii) जब कभी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की अवधि को बढ़ाने के लिए निवेदन पर विचार किया जाता है।

(घ) सर्वेक्षण इस प्रकार होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक मरम्मत अथवा नवीकरण प्रभावी ढंग से कर दिया गया है और ऐसी मरम्मत अथवा नवीकरण का कर्म कौशल और सामग्री सब तरह से संतोषजनक है तथा अन्तर्देशीय जलयान उस सेवा के लिए उपयुक्त है, जिसके लिए यह आशयित है।

(iii) अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण पूरा करने के उपरांत सर्वेक्षण प्राधिकार के अनुमोदन के बिना इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9. इन नियमों के अधीन किसी प्रकार के सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ जलयान के स्वामी अथवा मास्टर द्वारा शुल्क, अनुसूची-IV में दिए गए दर के अनुसार देय होगा।

अध्याय : 3.0

अन्तर्देशीय जलयानों का निबंधन

10. (i) कोई अन्तर्देशीय जलयान किसी भी जलयात्रा पर अग्रसर नहीं होगा अथवा किसी सेवा हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के अधीन प्रदत्त प्रभावी निबंधन प्रमाणपत्र नहीं हो। किसी अन्तर्देशीय जलयान के निबंधन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र जलयान के स्वामी अथवा मास्टर द्वारा निबंधन प्राधिकार को प्रारूप-10 में दिया जाएगा।

(ii) जब निबंधन स्वामी के निवास स्थान अथवा व्यापार स्थल से दूसरे स्थान पर करना अपेक्षित हो अथवा यदि स्वामी एक कंपनी है, के निबंधित कार्यालय के स्थल से दूसरे स्थान पर करना है, तब निबंधन आवेदन पत्र के साथ उस राज्य सरकार से निबंधन को अनुमोदित करनेवाले पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें स्वामी के निवास स्थान अथवा व्यापार स्थल अथवा कंपनी के प्राधिकृत कार्यालय है।

- (iii) किसी अन्तर्देशीय जलयान के निबंधन के लिए दिए गए हरेक आवेदन पत्र के साथ एक कोषागार चालान/ बैंकड्राफ्ट/ई-पेमेन्ट की रसीद होगी, जिसमें अनुसूची-1 में उल्लिखित निबंधन शुल्क के जमा होने का उल्लेख होगा।
- (iv) किसी अन्तर्देशीय जलयान के निबंधन के लिए आवेदन करते समय जलयान का स्वामी अथवा मास्टर निम्नलिखित देगा :-
- (क) नवनिर्मित जलयान के मामले में जलयान का अनुमोदित रेखाचित्र, जलयान की खरीद से संबंधित कागजात और इसके स्वामित्व से संबंधित कागजात के साथ-साथ सर्वेक्षक द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र और निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र ;
- (ख) नवीकृत जलयानों के मामले में जलयान के अनुमोदित रेखाचित्र और इसके स्वामित्व से संबंधित कागजात के साथ-साथ सर्वेक्षक द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र और निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र;
- (ग) अधिनियम के अध्याय VIक, धारा-54ग के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र की प्रति।
11. किसी अन्तर्देशीय जलयान का निबंधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा जलयान के सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के उपरांत किया जाएगा।
- 12 .(i) किसी अन्तर्देशीय जलयान के निबंधन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निबंधन प्राधिकारी प्रारूप-11 में जलयान के स्वामी अथवा मास्टर को जलयान के निरीक्षण के लिए तिथि और समय की सूचना देते हुए एक नोटिस देगा।
- (ii) अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह निबंधन प्राधिकारी को ऐसी सूचना दे, जो उसके द्वारा यथापेक्षित हो।
13. हरेक अन्तर्देशीय जलयान स्थायी और सहज दृश्य रूप में निबंधन प्राधिकारी के संतुष्टि के अनुसार इस प्रकार चिह्नित होगा:-
- (i) अन्तर्देशीय जलयान का नाम इसके हरेक बो पर अथवा अधिरचना के उपयुक्त स्थान पर चिह्नित किया जाएगा और अन्तर्देशीय जलयान का नाम और निबंधन स्थल का नाम पिछले भाग में काली पृष्ठभूमि पर उजली स्याही में अथवा उजली पृष्ठभूमि में काली स्याही से बड़े अक्षरों में जो लम्बाई में 15 से0मी0 और चौड़ाई में 2 से0मी0 से कम नहीं हो, चिह्नित किया जाएगा।
- (ii) अन्तर्देशीय जलयान का निबंधन चिन्ह और निबंधित टन भार को दर्शाने वाली संख्या उसके मुख्य बीम पर अथवा मुख्य भाग के किसी स्थायी स्थान पर अंकित किया जाएगा। निबंधन चिन्ह का अक्षर और अंक 15से0मी0x10से0मी0 से छोटा नहीं होगा।

- (iii) डुबाव चिन्ह के पैमाना को मीटर और डेसीमीटर में अन्तर्देशीय जलयान के अगला और पिछला भाग दोनों पतन और आगे की भाग की ओर पर काट कर चिन्हित किया जायगा।
- (iv) अन्तर्देशीय जलयान की भार रेखा को 300 सेमी लम्बा और 35 सेमी चौड़ा काट कर अथवा जोड़कर चिन्हित किया जाएगा तथा जो अच्छे मौसम में अन्तर्देशीय जलयानों के अधिकतम डुबाव चिन्ह के संगत होगा।
- (v) अधिकतम डुबाव स्तर चिन्ह डेक स्तर के नीचे 62 सेमी से कम नहीं होगा। आवश्यकतानुसार स्थान डेक स्तर पर जलयान के चारों ओर लिया जाएगा।
14. (i) निबंधन प्राधिकार संतुष्ट होने पर प्रारूप-12 में एक निबंधन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर का कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन में शामिल प्राधिकारी के मांगने पर उसे प्रस्तुत करे। प्रमाणपत्र प्रारूप-12 के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकेगा।
- (ii) विशेष परिस्थिति में और कारणों को लेखबद्ध कर निबंधन प्राधिकार किसी अन्तर्देशीय जलयान को निबंधन प्रमाणपत्र तैयार करने की अवधि के दौरान जलयान चलाने हेतु एक अस्थायी पास प्रदान कर सकेगा। यह पास प्रारूप-13 में होगा और यह उसमें उल्लिखित समय-सीमा के भीतर होगा। उक्त पास 30 दिनों के लिए विधिमान्य होगा और उसका प्रभाव पास में दिए गए शर्तों के अधीन निबंधन प्रमाणपत्र के समान होगा।
15. निबंधन प्राधिकार द्वारा हरेक रजिस्ट्रीकृत जलयान के लिए प्रारूप-14 में निबंधन बही अलग से अनुरक्षित किया जाएगा, जिसमें निबंधन प्रमाणपत्र में दिए गए विवरण के अलावा अन्य बातें होंगी। यह मशीन से पृष्ठांकित और बंधी हुई होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अनुरक्षित किया जा सकेगा।
16. (i) जब पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयान को इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है कि वह टन भार अथवा संबंधित विवरण और रजिस्ट्रीकृत बही में यथादर्शित वर्णन के समरूप न हो तो निबंधन प्राधिकार द्वारा परिवर्तन दर्ज कराने की जिम्मेदारी अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर की होगी। अन्तर्देशीय जलयान को फिर से निबंधित कराना अपेक्षित होगा यदि निबंधन प्राधिकार इस बारे में कारणों को बताते हुए ऐसा निर्देश देता है। निबंधन प्राधिकार यह निर्णय करते समय कि क्या परिवर्तन को अभिलिखित किया जाय अथवा अन्तर्देशीय जलयान का नये सिरे से निबंधन किया जाय, निम्नलिखित विचारों से मार्गदर्शित होगा:-
- (क) जब कभी हल में अन्तर्देशीय जलयान की लम्बाई अथवा चौड़ाई अथवा गहराई को प्रभावित करने वाला कोई भौतिक परिवर्तन किया जाता है अथवा जहाँ कहीं एक और सहायक इंजन लगाया अथवा हटाया जाने सहित प्रणोदन के साधन में परिवर्तन होता है तब जलयान का नया निबंधन कराना आवश्यक होगा।

- (ख) जहाँ परिवर्तन में स्थान के आयामों में केवल परिवर्तन पूरा अथवा डेक हाउस इत्यादि का लगाना अथवा हटाना अथवा मंजूरी अथवा नामंजूरी अथवा अन्य समान बदलाव में कमींदल का स्थान अथवा मोटर अथवा वाष्प कमींदल से अन्य मोटर अथवा वाष्प कमींदल में परिवर्तन अथवा उसका विलोम सम्मिलित हो तो निबंधन प्राधिकार ऐसे परिवर्तन को दर्ज करने की अनुमति दे सकेगा बशर्ते इससे जलयान के स्थायित्व को खतरा नहीं होता हो।
- (ii) स्वामी, प्रारूप-15 में निबंधन प्राधिकार को ऐसे परिवर्तन की सूचना परिवर्तन होने के एक महीने के भीतर देगा, जिसमें जलयान के निबंधन स्थान का उल्लेख करते हुए किए गए परिवर्तन से संबंधित सम्पूर्ण विवरण होगा।
- (iii) अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क ऐसे आवेदन पत्र के साथ देय होगा। स्वामी द्वारा अन्तर्देशीय जलयान का निबंधन प्रमाणपत्र अन्य सहायक कागजात सहित निबंधन अथवा किए गए परिवर्तन को दर्ज करने के लिए अभ्यर्पित कर दिया जाएगा, यदि पंजीकरण प्राधिकारी ऐसा निर्देश दें।
- (iv) अन्तर्देशीय जलयान के हल, मशीनरी अथवा उपकरण के त्रुटिपूर्ण नहीं होने और नदी में प्रचालन योग्य होने से संबंधित संतुष्टि होने पर निबंधन प्राधिकार या तो नया निबंधन प्रमाणपत्र जारी करेगा अथवा प्रवर्तनिबंधन प्रमाणपत्र में ऐसा परिवर्तन करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे। यदि निबंधन प्राधिकार की राय में नवीन निबंधन प्रमाणपत्र जारी करने से पहले एक नया सर्वेक्षण कराना आवश्यक है तो वह स्वामी को सर्वेक्षण के लिए आवेदन समर्पित करने का निर्देश देगा। ऐसा सर्वेक्षण एक महीने के भीतर संपन्न होगा।
- (v) यदि निबंधन प्राधिकार के निदेश दिए जाने की दशा में कि जलयान को नए सिरे से निबंधित कराया जाय तो निबंधन प्राधिकार अस्थायी रूप से विद्यमान प्रमाणपत्रों में परिवर्तन के विवरण को पृष्ठांकित करेगा।
17. किसी अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी अथवा मास्टर अपने जलयान के निबंधन के अंतरण के लिए आवेदन प्रारूप-16 में करेगा। ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन निबंधन प्राधिकार को कोषागार चालान/बैंकड्राफ्ट/ई-पेमेन्ट की रसीद के माध्यम से अनुसूची-1 में यथानिर्दिष्ट शुल्क के साथ-साथ जलयान से संबंधित निबंधन प्रमाणपत्र के साथ किया जाएगा, जहाँ अन्तर्देशीय जलयान निबंधित है। यदि अंतरण दूसरे राज्य में होता है तब आवेदन पत्र के साथ ऐसे अंतरण से संबंधित केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रमाणिक प्रतिसंलग्न होगी। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर और यह संतुष्ट होने पर कि ऐसे अंतरण पर आपत्ति के लिए कोई आधार नहीं है तब निबंधन प्राधिकार आवेदन पत्र का अग्रेशन निबंधन के आशयित स्थान के निबंधन प्राधिकार को करेगा और अपनी बही अथवा निबंधन और प्रमाणपत्र पर आवश्यक प्रविष्टि करके निबंधन प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को वापस लौटा देगा।

18. अंतरण पंजीकरण से संबंधित आवेदन पत्र के साथ अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट शुल्क को दर्शानेवाला कोषागार चालान/बैंक ड्राफ्ट/ई-पेमेन्ट की रसीद होगा और ऐसे स्वामित्व का स्थानांतरण प्रारूप-17 में किया जाएगा। बिक्री विलेख पर निर्धारित स्टॉप शुल्क लगेगा। सम्यक् रूप से निष्पादित ऐसा प्रत्येक बिक्री विलेख उस स्थान के निबंधन प्राधिकार जहाँ अन्तर्देशीय जलयान निबंधित है, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और निबंधन प्राधिकार तदोपरांत निबंधन बही में अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी/सहभागी के रूप में अंतरिती का नाम प्रविष्ट करेगा और बिक्री विलेख में ऐसी प्रविष्टि को तिथि एवं समय के साथ, पृष्ठांकित करेगा। अन्तर्देशीय जलयान के स्वामित्व के अंतरण/एक सहभागी के प्रविष्टि के 30 दिनों के भीतर अंतरक और अंतरिती निबंधन प्राधिकार को संयुक्त रूप से बिक्री विलेख और अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क को दर्शानेवाला कोषागार चालान/बैंक ड्राफ्ट/ई-पेमेन्ट की रसीद के साथ रिपोर्ट करेगा, जिसके स्थानीय अधिकारिता में अंतरिती निवास करता है अथवा अपना व्यापार का संचालन करता है। अन्तर्देशीय जलयान के वृटिपूर्ण नहीं होने और दस्तावेज के सही होने से संबंधित संतुष्टि होने पर निबंधन प्राधिकार जलयान के स्वामित्व के अंतरण से संबंधित विवरण की प्रविष्टि निबंधन प्रमाणपत्र में करेगा। स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क कोषागार चालान/बैंक ड्राफ्ट/ई-पेमेन्ट की रसीद द्वारा प्रारूप -18 में किया जाएगा।
19. (i) यदि किसी समय कोई निबंधन प्रमाणपत्र खो जाता है तो स्वामी तुरंत प्रमाणपत्र जारी करने वाले निबंधन प्राधिकार को लिखित में सूचित करके उक्त प्राधिकारी को प्रारूप -19 में प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन करेगा। प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन कोषागार चालान जिसमें अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट दर से शुल्क का भुगतान किया गया है, इंगित हो, के साथ किया जाएगा। जब दूसरी प्रति लेने का कारण विकृत प्रमाणपत्र है तब विकृत प्रमाणपत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- (ii) ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर निबंधन प्राधिकार प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति लाल स्याही में दूसरी प्रति की स्टॉप लगाकर जारी करेगा।
- (iii) यदि मूल निबंधन प्रमाणपत्र के खो जाने के आधार पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी की जाती है और तदोपरांत प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के धारक को मूल प्रमाणपत्र मिल जाता है तो मूल प्रमाणपत्र उसके द्वारा शीघ्र निबंधन प्राधिकारी के पास जमा कराया जाएगा।
20. (i) जलयानों के निबंधन से संबंधित किसी मामले में निबंधन प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति अपील करता है तो अनुसूची-1 में उल्लेखित शुल्क का भुगतान कोषागार चालान/Bank Draft/e-payment द्वारा करने के उपरांत वह आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ निबंधन प्राधिकारी के आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर तीन प्रतियों में ज्ञापन राज्य सरकार के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को लिखित में करेगा।

- (ii) उप-नियम (1) के अनुरूप अपील का ज्ञापन प्राप्त हो जाने पर अपीलीय प्राधिकार सुनवाई के लिए समय और स्थान निर्धारित करेगा और अपीलकर्ता, निबंधन प्राधिकार, अपील से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को 15 दिनों से कम अवधि का नोटिस नहीं देगा।
21. (i) निबंधन प्राधिकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ कि अधिनियम के उपबंध का अनुपालन किया जा रहा है, किसी भी समय किसी जलयान में जा सकेगा, उसे निरुद्ध कर सकेगा अथवा उसका जाँच कर सकेगा। जाँच अधिकारी को निरीक्षण में उचित सहयोग देना एवं उसके द्वारा किसी विधिपूर्ण निर्देश का अनुपालन करना अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर की जिम्मेदारी और कर्तव्य होगा।
- (ii) यदि किसी अन्तर्देशीय जलयान को निरुद्ध किया जाता है तो जिस परिस्थिति में निरुद्ध का आदेश दिया गया है, उसका रिपोर्ट निबंधन प्राधिकार और राज्य परिवहन आयुक्त को 48 घंटे के भीतर भेजी जाएगी।
- (iii) यदि निबंधन प्राधिकार किसी समय संतुष्ट हो जाता है कि जलयान अन्तर्देशीय जलमार्ग में चलने के लिए योग्य नहीं है तो वह जलयान का निबंधन निलंबित करेगा और उसके स्वामी को उस जलयान से संबंधित सर्वेक्षण और निबंधित प्रमाणपत्र यथाशीघ्र अभ्यर्पित करना होगा। रद्दीकरण से पूर्व जलयान के स्वामीको सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा। निबंधन प्राधिकार पंजीकरण प्रमाणपत्र को स्थगित/रद्द भी कर सकेगा यदि जलयान विनष्ट कर दिया गया हो अथवा सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य कर दिया गया हो।
- (iv) प्रमाणपत्र के निलम्बन से संबंधित आधार के संबंध में स्वामी को एक उचित अवसर दिए बगैर अधिनियम की धारा-19छ के अधीन कोई प्रमाणपत्र निलम्बित नहीं किया जाएगा।

अध्याय : 4.0

अन्तर्देशीय जलयानों के अभियंता और इंजन चालक को सक्षमता प्रमाणपत्र

22. न्यूनतम कर्मिदल/मानवशक्ति:-

अधिनियम की धारा-25, 26, 27 के अधीन मानवशक्ति की आवश्यकता, यात्रियों/माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के जलयानों के लिए मास्टर, अभियंता, इंजन चालक, कर्मिदल, लश्कर, गीजर की आवश्यकता प्राधिकारी/सर्वेक्षक द्वारा प्रचालन स्थिति को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सर्वेक्षक/सक्षम प्राधिकारी की राय में पूर्णतः योग्य नहीं है अथवा असक्षम है उसे किसी जलयान में

नियोजित नहीं किया जाएगा। इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हरेक जलयान पर प्रचालन के दौरान निम्नलिखित न्यूनतम कर्मीदल होंगे।

(i) 565 BHP अथवा शक्ति अथवा अधिक के इंजन वाले जलयानों के लिए-

- (क) प्रथम श्रेणी के मास्टर प्रमाणपत्र सहित एक मास्टर,
- (ख) अभियंता प्रमाणपत्र सहित एक अभियंता,
- (ग) दो लश्कर,
- (घ) एक ग्रीजर।

(ii) 226 BHP किन्तु 565 BHP से कम के इंजन वाले जलयानों के लिए-

- (क) द्वितीय श्रेणी के मास्टर प्रमाणपत्र सहित एक मास्टर,
- (ख) प्रथम श्रेणी के इंजन चालक प्रमाणपत्र सहित एक अभियंता,
- (ग) एक लश्कर,
- (घ) एक ग्रीजर।

(iii) भीतर इंजन 226 BHP से कम वाले जहाजों के लिए-

- (क) सांरग प्रमाणपत्र सांरग के साथ एक मास्टर,
- (ख) द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र के साथ एक इंजीनियर,
- (ग) एक लश्कर,
- (घ) एक ग्रीजर।

23. (i) अन्तर्देशीय जलयान अभियंता, प्रथम श्रेणी इंजन चालक, द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षक द्वारा परीक्षा ऐसे स्थान पर ऐसी तिथि को ली जाएगी, जिसे परीक्षा केन्द्र द्वारा प्रकाशित किया गया हो।

(ii) परीक्षा के लिए हरेक आवेदन इस नियमावली से संलग्न प्रारूप-20 में भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ऐसे भरे गए आवेदन परीक्षा केन्द्र पर प्राप्त किए जाएंगे, जिसके साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न रहेगा :-

- (क) अभ्यर्थी के दोनों प्रायोगिक और सैद्धांतिक अनुभव के सभी साक्ष्य की अनुप्रमाणित प्रति;
- (ख) नियोक्ता से अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र ;
- (ग) ऐसी परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी शामिल होना चाहता है, के लिए विहित शुल्क की रकम के भुगतान को दर्शाने वाले चालान अथवा रसीद;
- (घ) इस नियमावली के तहत अभ्यर्थी को प्रदान किए गए कोई प्रमाणपत्र ;

- (ड) हाल में खींचा हुआ अभ्यर्थी के दो फोटो जिसके पीछे हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान हो;
- (च) आयु का प्रामाणिक प्रमाण।
- (iii) किसी भी अभ्यर्थी को सक्षमता प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा पदाधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दे कि वह चिकित्सीय रूप से अन्तर्देशीय जलयान, पतनयान इत्यादि पर काम करने के लिए योग्य है तथा वह वर्णाध नहीं है।
- (iv) सभी अभ्यर्थी जो अन्तर्देशीय जलयानों पर इंजन चालक और अभियंता के रूप में काम करने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौपरिवहन संस्थान (निनी), पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्थान अथवा DG Shipping द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चार आधारभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए यथा-
- (क) प्रारंभिक प्राथमिक उपचार (ईएफए)
- (ख) उत्तरजीविता तकनीक में दक्षता (पीएसटी)
- (ग) वैयक्तिक सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी (पीएसएसआर)
- (घ) अग्निनिवारण और अग्नि शमन (एफपीएफएफ)
- (v) अन्तर्देशीय जलयानों पर इंजन चालक और अभियंताओं के रूप में काम करने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को इसके अधीन विनिर्दिष्ट संगत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए बगैर सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (vi) यदि किसी अभ्यर्थी ने तटरक्षक, भारतीय नेवी (नौ सेना) अथवा नियमित सेना के किसी जलयान पर अभियंता के रूप में पाँच वर्षों की अवधि के लिए सेवा दिया है तो जलयान के आकार आधार पर और राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौपरिवहन संस्थान (निनी), पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या DG Shipping द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से चार आधारभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम सहित संगत प्रारंभिक पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूरा करने पर उसे अन्तर्देशीय जलयानों पर अभियंता अथवा इंजन चालक के रूप में सेवा प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा।
- (vii) उपर्युक्त पारा (6) के अनुसार प्रदान किए गए सेवा प्रमाणपत्र का प्रभाव इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र के समान होगा। इस प्रकार जारी होने वाला सेवा प्रमाणपत्र प्रारूप -30 में जारी किया जाएगा।
- (viii) मुख्य परीक्षक यदि उचित समझे तो वे किसी व्यक्ति को किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान जिसका इंजन 170 अंकित अश्वशक्ति अथवा ऐसे किसी कम अंकित अश्व शक्ति

का हो जिसे वे उचित समझे और जिनके पास इन नियमों के तहत प्रदान किए गए प्रथम श्रेणी इंजन चालक का प्रमाणपत्र अथवा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन इंजन चालक का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो अथवा प्रदान किया गया समझा गया हो और जो ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोंदित जलयान के इंजन चालक के रूप में पाँच वर्षों की सेवा दे चुका हो जिसकी शक्ति 70 अंकित अश्वशक्ति से कम का नहीं हो और उसमें से ढाई वर्ष से अन्यून अवधि के लिए वह ऐसे जलयान के इंजन चालक रहा हो उसे यथा स्थिति मास्टर अथवा अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सकेगा।

- (ix) उपर्युक्त पारा (8) के तहत प्रदान किए गए कोई अनुज्ञप्ति केवल ऐसे समय के लिए लागू रहेगी जब तक उसे धारण करने वाला व्यक्ति उपर्युक्त पारा (8) में दिए गए प्रकृति के इंजन चालक प्रमाणपत्र को धारण करता हो। परन्तु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो ऐसी अनुज्ञप्ति की परिस्थितियों को स्थगित, रद्द अथवा परिवर्तित कर सकेगी।
- (x) सक्षमता अथवा सेवा का प्रत्येक प्रमाणपत्र और इन नियमों के तहत प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति बनायी जाएगी और उसकी एक प्रति प्रमाणपत्र अथवा अनुज्ञप्ति की हकदारी रखने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा और दूसरी प्रति विहित रीति से रखी और रिकार्ड की जाएगी।

अन्तर्देशीय मोटर जलयानों के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए अर्हता

24. किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह-

- (i) भारत का नागरिक न हो,
- (ii) परीक्षा की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूरी न करता हो,
- (iii) देवनागरी लिपि में हिन्दी को पढ़ने और लिखने योग्य न हो,

25. अर्हता:-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी की न्यूनतम अर्हता स्थानीय भाषा के ज्ञान सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अंग्रेजी अथवा हिन्दी में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी होगी।
- (ii) सशस्त्र सेना और पैरामिलिट्री (अर्द्ध सैनिक) से भिन्न कोई अभ्यर्थी जो अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का इच्छुक है जिसकी प्रथम सेवा इन नियमों की घोषणा के बाद की हो तो उसे निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी संस्थान किसी अन्य संस्थान से रेटिंग (इंजन) के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि को कुल अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से सेवा के रूप में माना जाएगा।

(iii) अभ्यर्थी राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौ परिवहन संस्थान अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से द्वितीय श्रेणी इंजन चालक का प्रारंभिक पाठ्यक्रम किया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी सेवा दिया हो-

(क) कोई मोटर जलयान जो 226 ब्रेक अश्व शक्ति से कम का न हो, जिसके इंजन कक्ष में 4 वर्ष से कम अवधि की सेवा न दिया हो और जिसमें से चालक के सहायक के रूप में दी गई सेवा एक वर्ष से कम अवधि की न हो अथवा कुल 4 वर्षों की सेवा जी.पी.रेटिंग अथवा रेटिंग(इंजन) में से कम-से-कम 6 महीने राज्य के अन्तर्देशीय नदियों/पत्तन में चलने वाली अन्तर्देशीय जलयानों पर दी गई हो जहाँ अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी इंजन चालक की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो; अथवा

(ख) कोई मोटर जलयान जो 85 ब्रेक अश्वशक्ति से कम का न हो, जिसके इंजन कक्ष में 5 वर्ष से कम अवधि की सेवा न दिया हो अथवा कोई मोटर जलयान जो 40 ब्रेक अश्व शक्ति से कम का न हो, के इंजन कक्ष में 6 वर्ष से कम अवधि की सेवा न दिया हो और जिसमें से चालक के सहायक अथवा आयल मैन के रूप में दी गई सेवा एक वर्ष से कम अवधि की न हो; अथवा

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा मान्यताप्राप्त विद्यालय बोर्ड से उत्तीर्ण किया हो और जिन्होंने अन्तर्देशीय जलमार्गों पर/में तीन वर्ष की सेवा दिया हो और जिसमें से एक वर्ष की सेवा ऑयल मैन अथवा चालक के सहायक के रूप में दिया हो और राज्य के अन्तर्देशीय नदियों/पत्तन में चलने वाले जलयानों पर कम-से-कम छः महीना कार्य किया हो जहाँ अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी इंजन चालक की परीक्षा में शामिल हो रहा हो;

(घ) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दसवीं (मैट्रिक) की परीक्षा मान्यताप्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करके राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौपरिवहन संस्थान (निनी), पटना अथवा इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में एक वर्ष का अन्तर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षण किया हो अन्तर्देशीय जलमार्गों अथवा समुद्र में दो वर्षों की सेवा करेगा यदि कुल सेवा अन्तर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षु के रूप में जलयान पर जलयान पुनर्संरचना प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ रिकॉर्ड बही में सत्यापित कराकर और निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित अथवा अनुमोदित करवाकर और कम-से-कम छः महीने सुयोग्य द्वितीय श्रेणी इंजन चालक अथवा प्रथम श्रेणी इंजन चालक के अधीन अथवा राज्य के अन्तर्देशीय नदियों/पत्तन में चले वाले जलयानों पर सेवा दिया हो जहाँ उम्मीदवार द्वितीय श्रेणी इंजन चालक की परीक्षा में शामिल हो रहा हो।

26. अपेक्षित ज्ञान:-ऐसे अभ्यर्थी को:-

- (i) विभिन्न प्रकार के आंतरिक दहन इंजन के कार्य प्रणाली से संबंधित परीक्षा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए और मशीनरी के मुख्य कल-पुर्जे के नाम बताने के योग्य होना चाहिए;
- (ii) मशीनरी के विभिन्न कल-पुर्जे की जरूरत समझने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के वाल्व फोर्क, पाईप और कनेक्शन के प्रयोग और प्रबंधन को समझने सहित सिलिंडर में प्रवाहित होने वाले वायु और ईंधन के विभिन्न तरीकों से परिचित होने की आवश्यकता होगी;
- (iii) इंजन के चालू होने में आने वाली परेशानियों के मुख्य कारणों को विस्तार से समझाने में दक्ष होने के साथ-साथ उससे सम्बन्ध त्रुटि को दूर करने के उपाय के साथ वह चालू और प्रतिकूल व्यवस्था के तंत्र को समझाने में और उसके त्रुटि को दूर करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी;
- (iv) किसी इंजन का मरम्मत करने में दक्ष होने के साथ-साथ उसके काम करने वाले कल-पुर्जे को व्यवस्थित करके इंजन को पुनः अच्छी स्थिति में रखने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। उसे मशीनरी के साधारण टूट-फूट को दूर करके दुर्घटना से होने वाली त्रुटि को दूर करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी;
- (v) आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के ईंधन तेलों की प्रकृति और गुणों से परिचित होने की आवश्यकता होगी। उसे फ्लैश प्वाइंट का अर्थ समझना अनिवार्य होगा;
- (vi) ईंधन तेल टैंक में छिद्र हो जाने से होने वाले खतरे को जानने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी और विस्फोट निवारण के उपाय जानना होगा। इंजन बंद करने के बाद वैपराइजर से निकलने वाले ज्वलनशील वाष्प का निवारण करने में सक्षम होना चाहिए। उसे आग लगने पर उसका निवारण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा;
- (vii) प्रायोगिक जाँच- अभ्यर्थी को आवश्यक होने पर परीक्षक के सामने मोटर जलयान के इंजन को वास्तव में चलाकर अपने प्रायोगिक जानकारी को प्रदर्शित करना होगा।

**अन्तर्देशीय मोटर जलयानों के प्रथम श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता
प्रमाणपत्र हेतु अर्हता**

27. किसी अन्तर्देशीय मोटर जलयान के प्रथम श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी और वे निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता धारण करेंगे:-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी के पास द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता/सेवा प्रमाणपत्र होगा।

(ii) किसी अन्तर्देशीय मोटर जलयान के प्रथम श्रेणी इंजन चालक के रूप में सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से प्रथम श्रेणी इंजन चालक हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना होगा। संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि, कुल अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से सेवा के रूप में मानी जाएगी।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी सेवा दिया हो-

(क) किसी मोटर जलयान के लिए द्वितीय श्रेणी इंजन चालक का प्रमाणपत्र धारण करते हुए किसी मोटर जलयान, जिसकी शक्ति 565 ब्रेक अश्वशक्ति के कम का न हो, के मुख्य इंजन पर नियमित निगरानी रखने वाले इंजन चालक के सहायक के रूप में एक वर्ष से कम न हो; अथवा

(ख) मोटर जलयान के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के प्रमाणपत्र सहित इंजन चालक के सहायक/ऑयलमैन के रूप में 24 महीने से कम अवधि के लिए न रहा हो और किसी मोटर जलयान के मुख्य इंजन, जिसकी शक्ति 226 ब्रेक अश्व शक्ति से कम का न हो, पर कार्य किया हो; अथवा

(ग) अन्तर्देशीय जलयानों के लिए द्वितीय श्रेणी इंजन चालक का प्रमाणपत्र धारण करते हुए किसी मोटर जलयान, जिसकी शक्ति 226 ब्रेक अश्वशक्ति से कम न हो, के इंजन कक्ष में तीन वर्षों से कम अवधि के लिए कार्य किया हो जिसमें से सहायक चालक अथवा ऑयल मैन के रूप में एक वर्ष से कम अवधि की सेवान हो; अथवा

(घ) मोटर जलयानों के लिए द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के प्रमाणपत्र सहित 18 महीने कम से कम अवधि के लिए किसी मोटर जलयान, जिसकी शक्ति कम से कम 113 ब्रेक अश्व शक्ति से कम का न हो, के इंजन चालक के रूप में कार्य किया हो।

28. अतिरिक्त अर्हता-(i) ऐसे अभ्यर्थी को नियम-26 द्वारा आवश्यक द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के प्रमाणपत्र के उच्च स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम श्रेणी इंजन चालक के सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं उन्हें किसी इंजन का मरम्मत करने सहित उसके कल-पुर्ज को समायोजित करने और इंजन का कार्यकारी स्थिति में लाने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें मशीनरी से संबंधित साधारण टूट-फूट को ठीक करने की समझ होने के साथ-साथ दुर्घटना से हुई खराबी का निवारण के उपाय जानना भी आवश्यक होगा। उसे मेरिन इंजन के वाल्व सेटिंग और इंजेक्टर सेटिंग की जानकारी होनी चाहिए और इंजन की खराबी को दूर करने के लिए उचित ज्ञान के साथ ईंजन का हेड और लाइन तथा उचित ज्ञान के साथ इंजन का हार्क तथा हेड बदलने में समर्थ होना चाहिए।

अन्तर्देशीय मोटर जलयानों के अन्तर्देशीय अभियंता के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु अर्हता

29. (i) आयु-किसी अन्तर्देशीय मोटर जलयान के अन्तर्देशीय अभियंता के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु किसी अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी।

(ii) अर्हता-(क) ऐसे अभ्यर्थी जो मोटर अन्तर्देशीय मोटर जलयान के सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं उन्हें निम्नी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से अन्तर्देशीय अभियंता हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम करना होगा।

संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि कुल अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से सेवा के रूप में मानी जाएगी।

(ख) (i) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का केन्द्रीय अधिनियम, 1) के अधीन उसे प्रथम श्रेणी इंजन चालक सक्षमता सेवा का प्रमाणपत्र धारी होना चाहिए।

(ii) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का केन्द्रीय अधिनियम, 1) के अधीन जारी प्रथम श्रेणी इंजन चालक प्रमाणपत्र धारी होते हुए किसी जलयान जिसकी क्षमता 226 बीएचपी से कम हो पर 27 महीने से अधिक कार्य किया हुआ होना चाहिए अथवा उसे 226 बीएचपी से अधिक शक्ति के इंजन के जलयानों पर 18 महीने काम किया हुआ होना चाहिए।

(iii) आवश्यक ज्ञान-ऐसे अभ्यर्थी को-

(क) साफ-साफ लिखने का ज्ञान होने के साथ-साथ अंकगणित जिसमें साधारण और दशमलव भिन्न तथा वर्गमूल शामिल हैं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें स्प्रिंग अथवा भार सहित स्तर की सुरक्षा और राहत वाल्व, टैंक से बंकर तक भंडारण क्षमता और तेल की खपत संबंधी प्रश्न और अन्य इसी प्रकार की समस्या के समाधान में भी सक्षम होना चाहिए और क्रैंक और टनेल शैफ्ट और मशीन के अन्य भाग पर प्रतिवर्ग ईंच पड़ने वाले दबाव और दिए गए आयाम पर प्राप्त होनेवाली हवा के लिए उपयुक्त कार्यकारी दबाव की गणना करेगा जब आवश्यक डाटा दी जाय।

(ख) ज्वलन के तरीके सहित तेल, गैस और अन्य आंतरिक दहन इंजन की कार्य प्रणाली के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करने में सक्षम हो ताकि दोनों के अंतर को बताया जा सके और रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सके जिससे ज्ञात हो सके कि वह साधारण प्रयोग में आनेवाली रचनाओं को विस्तार से समझने की क्षमता रखता है।

(ग) विभिन्न प्रकार के इंजन के सिलिंडर में प्रवाहित होने वाली हवा और ईंधन के विभिन्न तरीकों, ईंधन के आपूर्तिकरण कार्बुरेटिंग, अथवा गैसीकरण के लिए

उपकरण का निर्माण तथा सिलिंडर, पिस्टन इत्यादि के शीतल होने के तरीके से परिचित होना चाहिए।

- (घ) कर्मशाला में आंतरिक दहन इंजन के निर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा जलयान पर मशीनरी को लगाने में प्रयुक्त तरीके का संतोषजनक ज्ञान होना चाहिए।
- (ङ) मशीनरी के विभिन्न कल-पुर्जों के लिए आवश्यक सावधानी को जानने सहित विभिन्न प्रकार के वाल्व, कॉर्क, पाईप और कनेक्शन के प्रयोग और प्रबंधन की जानकारी रखनी चाहिए।
- (च) इंजन के चालू होने में आने वाली परेशानी के मुख्य कारणों को बताने और वर्णन करने में समर्थ होना चाहिए तथा उसे जानकारी होनी चाहिए कि इसमें आने वाली खराबी को दूर करने के लिए वह क्या उपाय करेंगे। उन्हें यह भी दिखाकर सिद्ध करना होगा कि वे मशीनरी को चलाने और पीछे करने की तंत्र को समझने और उसमें आने वाली परेशानी को दूर करने में दक्ष हैं।
- (छ) मशीनरी में होने वाली साधारण टूट-फूट को ठीक करने सहित शाफ्टिंग इत्यादि की जांच की समझ होने के साथ-साथ बिल्कुल खराब मशीनरी को अस्थायी अथवा स्थायी मरम्मत करने की क्षमता हो।
- (ज) इंजन कक्ष में प्रयुक्त प्रेशर गॉज, बैरोमीटर, थर्मोमीटर और अन्य उपकरण की बनावट और जिस सिद्धांत पर वे कार्य करते हैं उसकी समझ होनी चाहिए।
- (झ) सेन्ट्रीफ्यूगल बकेट और प्लंजर पम्प का कार्यकारी ज्ञान और उसकी रचना तथा जिन सिद्धांतों पर वे कार्य करते हैं का ज्ञान होना चाहिए।
- (ञ) जीवन रक्षण, अग्नि अनुप्रयोग और सामान्य अनुशासन के लिए अन्तर्देशीय जलयान नियमों के उपबंधों को समझना चाहिए।

अध्याय : 4.1

अन्तर्देशीय जलयानों के सेरांग और मास्टर को सक्षमता प्रमाणपत्र

30. (i) अन्तर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी-I, मास्टर श्रेणी-II और सेरांग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा परीक्षक द्वारा ऐसी तिथि को ऐसे स्थान पर ली जाएगी जो परीक्षा केन्द्र द्वारा प्रकाशित की जाए।
- (ii) परीक्षा के लिए हरेक आवेदन इस नियमावली से संलग्न प्रारूप-20 में भरकर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे भरे हुए आवेदन परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त होंगे और इसके साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होंगे-

- (क) अभ्यर्थी के प्रायोगिक और सैद्धांतिक अनुभव दोनों के सभी साक्ष्यों की अनुप्रमाणित प्रति;
- (ख) नियोक्ता से अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र;
- (ग) ऐसी परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी शामिल होना चाहता है, के लिए विहित शुल्क की रकम के भुगतान को दर्शाने वाला चालान अथवा रसीद;
- (घ) इस नियमावली के तहत अभ्यर्थी को प्रदान किए गए कोई प्रमाणपत्र;
- (ड.) हाल में खींचा हुआ दो फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान हो;
- (च) आयु का प्रामाणिक साक्ष्य।
- (iii) सभी अभ्यर्थी जो अन्तर्देशीय जलयानों पर सेरांग, द्वितीय श्रेणी मास्टर और प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में काम करने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौपरिवहन संस्थान (निनी), पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी संस्थान अथवा DG Shipping द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चार आधारभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए यथा-
- (क) प्रारंभिक प्राथमिक उपचार (ईएफए)
- (ख) उत्तरजीविता तकनीक में दक्षता (पीएसटी)
- (ग) वैयक्तिक सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी (पीएसएसआर)
- (घ) अग्निनिवारण और अग्नि शमन (एफपीएफएफ)
- (iv) किसी अभ्यर्थी को तब तक सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके यह सिद्ध नहीं कर देता है कि वह कार्य करनेके लिए और अन्तर्देशीय जलयान, पतनयान इत्यादि पर चढ़ने के लिए चिकित्सीय रूप से तंदरुस्त है और उसकी नेत्र दृष्टि हरेक नेत्र में 6/6 है और वह वर्णांध नहीं है।
- (v) नीचे विनिर्दिष्ट सुसंगत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए बगैर किसी अभ्यर्थी को सेरांग, द्वितीय श्रेणी मास्टर और प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (vi) यदि किसी अभ्यर्थी ने तटरक्षक, भारतीय नौसेना अथवा नियमित सेना के किसी जलयान पर अभियंता के रूप में अथवा मास्टर के रूप में पाँच वर्षों की अवधि के लिए सेवा दी है तो उसे जलयान के आकार के आधार पर किए गए कार्य और राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौपरिवहन संस्थान (निनी), पटना अथवा इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा DG Shipping द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से चार आधारभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम सहित सुसंगत प्रारंभिक पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूरा करने पर

प्रथम श्रेणी मास्टर, द्वितीय श्रेणी मास्टर अथवा सेरांग के रूप में सेवा प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा।

- (vii) पारा (6) के अनुसार प्रदान किए गए सेवा प्रमाणपत्र की मान्यता इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र के समान ही होगा। इस प्रकार जारी होने वाला सेवा प्रमाणपत्र प्रारूप -30 में जारी किया जाएगा।
- (viii) मुख्य परीक्षक यदि उचित समझते हैं तो वे किसी व्यक्ति को किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान जिसका इंजन 170 अभिहित अश्वशक्ति अथवा ऐसे किसी कम अभिहित अश्वशक्ति का हो जिसे उचित समझे और जिनके पास इन नियमों के तहत प्रदान किए गए द्वितीय श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र और जो ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान जिसका इंजन चालीस अथवा इससे अधिक अभिहित अश्वशक्ति का हो के मास्टर के रूप में पाँच वर्षों से अन्यून की सेवा दे चुका हो यथा स्थिति मास्टर अथवा अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।
- (ix) उपर्युक्त पारा (8) के तहत प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति केवल ऐसे समय के लिए लागू रहेगी जब तक उसे धारण करने वाला व्यक्ति उपर्युक्त पारा (8) में दिए गए प्रकृति के द्वितीय श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र को धारण करता हो। परन्तु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो ऐसी अनुज्ञप्ति की परिस्थितियों को स्थगित, रद्द अथवा परिवर्तित कर सकेगी।
- (x) सक्षमता अथवा सेवा का प्रत्येक प्रमाणपत्र और इन नियमों के तहत प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति बनायी जाएगी और उसकी एक प्रति प्रमाणपत्र अथवा अनुज्ञप्ति की हकदारी रखने वाले व्यक्ति को दी जाएगी और दूसरी प्रति विहित रीति से रखी और रिकार्ड की जाएगी।

31. सेरांग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए अर्हता:-

- (i) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि वह-
 - (क) भारत का नागरिक न हो,
 - (ख) परीक्षा की तिथि को आयु 21 वर्ष की आयु पूरी न करता हो,
 - (ग) देवनागरी लिपि में हिन्दी को पढ़ने और लिखने योग्य न हो।
- (ii) अर्हता-सेरांग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किसी अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा किसी क्षेत्रीय भाषा में आठवीं पास होगी।
- (iii) सेरांग के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि को कुल अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजनार्थ सेवा के रूप में माना जाएगा।

- (iv) सशस्त्र सेना और पैरामिलिट्री (अर्द्ध सैनिक) से भिन्न कोई अभ्यर्थी जो अन्तर्देशीय जलयान सेरांग के रूप में सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का इच्छुक है, जिसकी प्रथम सेवा इन नियमों की घोषणा के बाद की हो तो उसे निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से DG Shipping के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि को कुल अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से सेवा के रूप में माना जाएगा।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी समुद्र में अथवा अन्तर्देशीय जलमार्गों के जलयानों पर जिसका इंजन 226 बीएचपी से कम का न हो, चार वर्ष की सेवा दिया हो अथवा पाँच वर्ष की सेवा ऐसे जलयान पर दिया हो जिसका इंजन 85 बीएचपी से कम का न हो अथवा छः वर्ष की अवधि की सेवा ऐसे जलयान पर दिया हो जिसका इंजन 40 बीएचपी से कम का न हो जिसमें से एक वर्ष की सेवा मास्टर के सहायक(डेक) अथवा सुकानी के रूप में दिया हो और कम-से-कम छः महीने की सेवा उस राज्य के अन्तर्देशीय नदियों/पत्तन में चलने वाले जलयानों पर दी हो जहाँ अभ्यर्थी सेरांग की परीक्षा में शामिल हो रहा हो, अथवा
- (vi) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो समुद्र अथवा अन्तर्देशीय जलमार्गों पर तीन वर्षों की सेवा की होगी, जिसमें से एक वर्ष की सेवा मास्टर के सहायक अथवा सुकानी के रूप में और छः महीने की सेवा उस राज्य के अन्तर्देशीय नदियों/पत्तन में चलनेवाले जलयान पर दी हो जहाँ अभ्यर्थी सेरांग की परीक्षा में शामिल हो रहा हो, अथवा
- (vii) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं (मैट्रिक) की परीक्षा उत्तीर्ण करके निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का अन्तर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षण पूरा किया हो अन्तर्देशीय जलमार्गों अथवा समुद्र में दो वर्ष की सेवा देगा, यदि कुल सेवा रिकॉर्ड बही में दर्ज और निनी द्वारा संचालित अथवा अनुमोदित जलयान संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ अन्तर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षु के रूप में निष्पादित किया गया है और कम-से-कम छः महीने वाच कीपिंग की सेवा सुयोग्य सेरांग अथवा प्रथम श्रेणी मास्टर अथवा द्वितीय श्रेणी मास्टर के अधीन उस राज्य के अन्तर्देशीय नदियों अथवा पत्तन में चलने वाले जलयानों पर दिया हो, जहाँ वह सेरांग की परीक्षा में शामिल हो रहा है, अथवा
- (viii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस, पीएसी अथवा पैरा मिलिट्री बल की जल परिवहन कंपनी तथा बाढ़ में पाँच वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए सेवा दिया हो।
- (ix) सेरांग की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को निम्नलिखित विषयों की परीक्षा देनी होगी।

- (क) चलत जलयान और यंत्र नोदित जलयान दोनों से संबंधित मार्ग के नियम उनके विनियम, प्रकाश, कोहरा एवं ध्वनि संकेत;
- (ख) चिन्हांकन और लेड लाईन का प्रयोग तथा कम्पास का ज्ञान;
- (ग) चप्पू अथवा जलयान के दौरान किसी नाव का प्रबंधन;
- (घ) जलयान के ग्राउंडिंग होने की स्थिति में उठाए जानेवाले कदम;
- (ङ) सभी परिस्थितियों में अन्तर्देशीय जलयानों का प्रबंधन;
- (च) अनुकर्षण अथवा अनुकर्षित करते समय अन्तर्देशीय जलयानों का प्रबंधन;
- (छ) लौह अयस्क, कोयला, ओडेसी, पेट्रोलियम उत्पाद की दुलाई पर आंशिक प्रश्न;
- (ज) जीवन रक्षण, अग्नि उपयंत्र, टक्कर निवारण और सामान्य अनुशासन के लिए अन्तर्देशीय जलयान नियम के उपबंध;
- (झ) यात्रियों की दुलाई से संबंधित नियमों के उपबंध।

32. द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु अर्हता:-

- (i) आयु-किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी।
- (ii) अर्हता-(1) द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु अभ्यर्थी को सेरांग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का धारण करना होगा।
- (iii) द्वितीय श्रेणी मास्टर के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से द्वितीय श्रेणी मास्टर का प्रारंभिक पाठ्यक्रम करना होगा। संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि को कुल अर्हक सेवा की गणना करने प्रयोजनार्थ सेवा में रूप में माना जायगा।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी की सेवा किसी अन्तर्देशीय जलयान, जिसकी क्षमता 282 बीएचपी से कम न हो, केहेल्समैन सुकानी के रूप में दो वर्ष अथवा किसी अन्तर्देशीय मोटर जलयान, जिसकी क्षमता 282 बीएचपी से कम हो, के सेरांग के रूप में 3 वर्षों की होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित विषयों की परीक्षा देनी होगी-
 - (क) सभी परिस्थितियों में अन्तर्देशीय जलयानों का प्रबंधन;
 - (ख) तूफान और संकट संकेत का ज्ञान;
 - (ग) कम्पास का ज्ञान;
 - (घ) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 के अन्तर्देशीय जलमार्गों, इसके लंगर स्थान, शोल, (छिछला स्थान), बोयाज, बीकन, लाईट और ऐसी अन्य सामग्रियों का ज्ञान;

- (ड) चलंत जलयान और यंत्र नोदित जलयान दोनों से संबंधित मार्ग के नियम, उनके विनियमन, प्रकाश, कोहरा और ध्वनि संकेत;
- (च) लीड लाईन का चिन्हांकन और प्रयोग;
- (छ) जलयान के ग्राउंडिंग होने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदम;
- (ज) अनुकर्षित अथवा अनुकर्षण करते समय अथवा आगे बढ़ाने के समय अन्तर्देशीय जलयानों का प्रबंधन;
- (झ) लौह अयस्क, कोयला, ओडीसी, पेट्रोलियम उत्पाद, सीमेंट, फ्लाई ऐश, कंटेनर की दुलाई पर प्रश्न;
- (ञ) जीवन रक्षण, अग्नि उपयंत्र तथा जलयानों के परिचालन के संबंध में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों का उपबंध;
- (ट) यात्रियों की दुलाई से संबंधित नियमों का उपबंध;
- (ठ) दुलाई चिन्हों और अन्तर्देशीय जलयानों की स्टेबिलिटी (स्थिरता) का ज्ञान;
- (ड) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम और डी जी द्वारा निर्गत सुसंगत सूचना का ज्ञान;
- (ढ) सिमुलेटर में प्रदर्शित होने वाले जलयान के सुरक्षित नौपरिवहन हेतु जी पी एस, डी जी पी एस, वी एच एफ, रडार, ए आर पी ए और इको साउन्डर का प्रयोग।
- (v) शुल्क वापसी की अनुमति नहीं- अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी उसे नहीं की जाएगी और उच्चतर ग्रेड के प्रमाणपत्र हेतु परीक्षा देने के लिए दावेदार होने की स्थिति में उसे पुनः पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

33. प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु अर्हता:-

- (i) आयु-किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी।
- (ii) अर्हता-(क) प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करना होगा।
- (ख) प्रथम श्रेणी मास्टर के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौपरिवहन संस्थान, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से प्रथम श्रेणी मास्टर का प्रारंभिक पाठ्यक्रम करना होगा।

संबंधित पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि को कुल अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से सेवा के रूप में माना जाएगा।

- (iii) ऐसा अभ्यर्थी -

- (क) द्वितीय श्रेणी मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करते हुए किसी मोटर जलयान, जिसकी क्षमता 226 बीएचपी से कम न हो, के मास्टर के रूप में 27 महीने से अन्यून अवधि की सेवा की हो; अथवा
- (ख) द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करते हुए किसी जलयान, जिसकी क्षमता 565 बीएचपी से कम न हो, के मास्टर के सहायक के रूप में 18 महीने से अन्यून अवधि की सेवा की हो।
- (iv) अतिरिक्त ज्ञान-प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी को, सेरांग और द्वितीय श्रेणी मास्टर की कोटि के लिए आवश्यक ज्ञान के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक की परीक्षा देनी होगी-
- (क) टाईड-टेबल (ज्वार-भाटा) और धारा का ज्ञान;
- (ख) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के जल सर्वेक्षण चार्टों का ज्ञान;
- (ग) ट्वीन स्कू जलयानों के संचालन का ज्ञान;
- (घ) लॉग बुक लिखना;
- (ङ) मौसम और तरंगों का ज्ञान;
- (च) क्षेत्रों के लिए निर्गत मौसम रिपोर्ट के उपयोग करने में समर्थ होने का ज्ञान;
- (छ) क्षेत्र के पूरे वर्ष के ऋतुओं और सामान्य मौसम का ज्ञान;
- (ज) विभिन्न प्रकार के नौ भारों को चढ़ाने, भरने, सुरक्षित करने, ढोने और उतारने का ज्ञान;
- (झ) जलयानों के स्थायित्व और ग्राउंडिंग प्रभाव का ज्ञान;
- (ञ) अग्निशमन साधित्र, प्रकाश और ध्वनि संकेत, जीवन रक्षा साधित्र और उनके उपयोग का ज्ञान;
- (ट) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का केन्द्रीय अधिनियम, 1) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों का ज्ञान;
- (ठ) टर्मिनलों और पत्तनों से संबंधित भारतीय अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण के नियमों का ज्ञान;
- (ड) कोलकाता पत्तन नियमावली के अलावा सीमा-शुल्क विनियमन की ज्ञान, जहाँ तक ये अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयानों पर लागू हैं;
- (ढ) झण्डों, मोर्स (कूट संकेत) और पोतध्वज के अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के माध्यम से जारी संकेत, वर्ण अक्षर और संख्या की पहचान;

- (ण) नाविक कम्पास और जाइरो कम्पास के प्रयोग और कम्पास के प्रयोग में त्रुटियों की पहचान एवं समाधान का ज्ञान;
- (त) प्रदूषण नियंत्रण और निवारण और अन्तर्देशीय जलमार्गों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का ज्ञान;
- (थ) जीवन रक्षा, अग्नि साधित्र, टक्कर निवारण और सामान्य अनुशासन से संबंधित अन्तर्देशीय जलयाननियमों के उपबंध का ज्ञान;
- (द) अन्तर्देशीय जल पर लागू मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय X, XI और XII और धारा-134 के उपबंधों का ज्ञान।
- (v) निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से अभ्यर्थी को अन्तर्देशीय जलयान मैनुवैरिंग सिमुलेटर पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करना होगा।
- (vi) नियम-30 के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए हरेक अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का भुगतान परीक्षा केन्द्र पर करना होगा जो वापस नहीं किया जायेगा-
- (क) प्रथम श्रेणी मास्टर/अन्तर्देशीय जलयान अभियंता-रु0 2000.00
- (ख) द्वितीय श्रेणी मास्टर/ प्रथम श्रेणी इंजन चालक-रु0 1600.00
- (ग) सेरांग/द्वितीय श्रेणी इंजन चालक-रु0 1000.00
- उपरोक्त शुल्क समय-समय पर परिवहन विभाग के द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं।
- (vii) अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी मास्टर, द्वितीय श्रेणी मास्टर और सेरांग का सक्षमता प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में जारी किया जायेगा।
- (viii) इन नियमों के अधीन प्रदत्त सभी प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति अन्तर्देशीय जल परिवहन, राँची के कार्यालय में रिकॉर्ड(दर्ज) की जाएगी।

34. प्रमाणपत्र प्रदान करना:-

- (i) तटरक्षक, भारतीय नौसेना अथवा सेना के किसी जलयान पर मास्टर अथवा अभियंता के रूप में तीन वर्षों की सेवा देने वाले व्यक्ति को सेरांग, प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी मास्टर अथवा अन्तर्देशीय जलयान अभियंता, प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी इंजन चालक का सक्षमता प्रमाणपत्र निम्नलिखित के अध्याधीन दिया जाएगा-
- (क) निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान सेबोट हैंडलर पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा करना;
- (ख) चार मौलिक पाठ्यक्रमों को संतोषजनक रूप से पूरा करना।
- (ii) पुलिस, पीएसी अथवा अन्य अर्द्धसैनिक बल की बाढ़ अथवा जल परिवहन कंपनी में 3 वर्ष अथवा उससे अधिक कार्य करने वाले किसी अभ्यर्थी को बोट हैंडलर के रूप में अनुज्ञप्ति निम्नलिखित के अध्याधीन प्रदान की जाएगी-

- (क) निनी, पटना अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से बोट हैंडलर पाठ्यक्रम संतोषजनक रूप से पूरा करना;
- (ख) चार बुनियादी पाठ्यक्रमों को संतोषजनक रूप से पूरा करना।
- (iii) मास्टर अथवा अभियंता को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा सेवा पूरे भारतवर्ष में विधिमान्य होगा ।

(iv) सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रारूप और वैधता-

(क) सक्षमता प्रमाणपत्र उपयुक्त प्रारूप में जारी किया जाएगा-

- (i) अन्तर्देशीय जलयान अभियंता प्रारूप 21
- (ii) प्रथम श्रेणी इंजन चालक प्रारूप 22
- (iii) द्वितीय श्रेणी इंजन चालक प्रारूप 23
- (iv) प्रथम श्रेणी मास्टर प्रारूप 24
- (v) द्वितीय श्रेणी मास्टर प्रारूप 25
- (vi) सेरांग प्रारूप 26

(ख) मास्टर, सेरांग, अभियंता, इंजन चालक अथवा लश्कर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम बार जारी होने वाले सभी प्रकार के सक्षमता प्रमाणपत्र पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(ग) वैधता समाप्त होने के उपरांत मास्टर, अभियंता, इंजन चालक और सेरांग का सक्षमता प्रमाणपत्र एक बार में पाँच वर्षों के लिए नवीकृत होगा।

(घ) नवीकरण के लिए आवेदन उचित शुल्क के साथ किसी परीक्षा केन्द्र पर किया जाएगा।

(ङ) नवीकृत नहीं किया गया कोई प्रमाणपत्र व्यपगत हो जाएगा। व्यपगत प्रमाणपत्र यदि तीन वर्षों से अधिक का हो तो एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के उपरांत संतोषजनक कारण देने पर ही नवीकृत किया जाएगा। तीन वर्षों के उपरांत प्रमाणपत्र का नवीकरण मौखिक परीक्षा के उपरांत किया जाएगा और यदि संतोषजनक पाया गया तो परीक्षक एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने की सिफारिश कर सकेगा।

(च) जब कभी कोई मास्टर अथवा सेरांग अथवा कोई अभियंता अथवा इंजन चालक मुख्य परीक्षक को संतुष्ट कर देता है कि बिना उसकी गलती के उसका प्रमाणपत्र अथवा अनुज्ञप्ति खो गया है अथवा प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति से उसे वंचित रखा गया

है तो रिकॉर्ड के अनुसार दावेदार होने की स्थिति में इसे प्रमाणपत्र अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाएगा जिसका प्रभाव मूल के समान होगा।

(छ) इस अध्याय के अधीन प्रदत्त कोई प्रमाणपत्र अथवा कोई पृष्ठांकन झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित मामलों में स्थगित अथवा रद्द किया जा सकेगा यथा-

- (i) यदि अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण में न्यायालय यह रिपोर्ट देती है कि किसी जलयान को क्षति अथवा हानि अथवा उसका ध्वंस अथवा परित्याग अथवा जीवन की हानि ऐसे प्रमाणपत्र को धारण करने वाले की गलती अथवा चूक के कारण हुई है अथवा ऐसा प्रमाणपत्र धारी अक्षम है अथवा मत्तता, निर्दयता अथवा अन्य कदाचार में दोषी हुआ है, अथवा
- (ii) यदि ऐसे प्रमाणपत्र को धारण करने वाला गैरजमानती अपराध में दोषी सिद्ध होता है, अथवा
- (iii) यदि ऐसे प्रमाणपत्र के धारक जलयान को छोड़कर भागने का दोषी सिद्ध होता है अथवा बिना अवकाश और अथवा पर्याप्त कारण के अपने जलयान अथवा अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, अथवा
- (iv) यदि, सक्षमता अथवा सेवा प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति और द्वितीय श्रेणी मास्टर अथवा सेरांग अथवा इंजन चालक के रूप में ऐसे कोई व्यक्ति जो सरकार की राय में यथास्थिति द्वितीय श्रेणी मास्टर अथवा सेरांग अथवा चालक, के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो।

(ज) इस अध्याय के अधीन हरेक व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र स्थगित अथवा रद्द हो गया है वह इसे मुख्य परीक्षक को सौंप देगा।

(झ) झारखंड सरकार अथवा मुख्य परीक्षक नया प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किसी स्थगन अथवा रद्दीकरण आदेश को प्रतिसंहत कर सकेगा जिसे उसने इस अध्याय के अधीन निर्गत किया है अथवा किसी व्यक्ति को, जिसका प्रमाणपत्र इस प्रकार रद्द कर दिया गया है, नया प्रमाणपत्र बिना परीक्षण के प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार प्रदान किए गए प्रमाणपत्र का वही प्रभाव होगा जो इस अधिनियम के अधीन परीक्षण के पश्चात् सक्षमता प्रमाणपत्र के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

अध्याय : 5.0

अन्तर्देशीय जलयान में यात्रियों का संरक्षण और वहन

35. किसी अन्तर्देशीय जलयान का मास्टर अथवा स्वामी अथवा मास्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई कर्मचारी अन्तर्देशीय जलयान पर यात्री के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से इनकार कर सकेगा:-

- (i) यदि उसने अपना भाड़ा का भुगतान नहीं किया है; अथवा
- (ii) यदि वह विक्षिप्त है; अथवा
- (iii) यदि वह किसी संक्रामक अथवा स्पर्शजन्य बीमारी से ग्रस्त है; अथवा
- (iv) यदि वह मदमत्त है और अपनी देखभाल करने में असमर्थ है; अथवा
- (v) यदि वह विच्छिन्न है, अथवा यदि वह अन्यथा ऐसी स्थिति में है, या उसका व्यवहार ऐसा है कि उससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो सकती है अथवा होने की संभावना है; अथवा
- (vi) जब अन्तर्देशीय जलयान अथवा उसका कोई भाग जिसमें वह व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है पहले से ही विधिवत् रूप में अधिकतम यात्रियों से भरा हुआ है।

36. (i) कोई यात्री -

- (क) पहले से किराया भाड़ा भुगतान किए बिना किसी अन्तर्देशीय जलयान में यात्रा नहीं करेगा अथवा यात्रा करने की कोशिश नहीं करेगा; अथवा
- (ख) जिस श्रेणी के लिए किराया भाड़ा का भुगतान किया है उससे उच्चतर श्रेणी में यात्रा नहीं करेगा अथवा यात्रा करने की कोशिश नहीं करेगा; अथवा
- (ग) भुगतान किए गए स्थान से आगे की दूरी की यात्रा अतिरिक्त दूरी के लिए पहले से अतिरिक्त किराया भाड़ा का भुगतान किए बिना नहीं करेगा; अथवा
- (घ) किसी ऐसी तिथि को टिकट का उपयोग नहीं करेगा अथवा उपयोग करने की कोशिश नहीं करेगा जिस तिथि को टिकट उपलब्ध नहीं है; अथवा
- (ङ) भाड़ा का पहले से भुगतान किए बिना अपने साथ सामान न ले जाएगा अथवा न ले जाने की कोशिश करेगा।

(ii) किसी अन्तर्देशीय जलयान का हरेक यात्री मास्टर अथवा मास्टर या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आवश्यक होने पर -

- (क) अपने भाड़ा का भुगतान करेगा, यदि पहले से भुगतान नहीं किया है;
- (ख) परीक्षण के लिए अपना टिकट प्रस्तुत करेगा;
- (ग) यात्रा की समाप्ति पर अपना टिकट सौंप देगा।

(iii) कोई भी यात्री अपने टिकट में परिवर्तन अथवा क्षति इस प्रकार नहीं करेगा जिससे कि उस पर लिखी हुई कोई चीज अथवा तिथि अथवा संख्या अस्पष्ट हो जाय।

37.(i) कोई भी यात्री किसी अन्तर्देशीय जलयान पर अपने साथ न ले जायगा अथवा जहाज पर नहीं रखेगा-

- (क) कोई सड़ा हुआ मांस, मछली अथवा सब्जी अथवा ऐसी बदबूदार वस्तु;

(ख) कोई खतरनाक और विस्फोटक सामग्री।

(ii) अन्तर्देशीय जलयान पर का कोई यात्री-

- (क) अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर अथवा किसी अन्य अधिकारी को अपने कार्य के निर्वहन में बाधा अथवा विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा;
- (ख) सामान अथवा नौभार को चढ़ाते अथवा उतारते समय किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न हस्तक्षेप करेगा;
- (ग) अन्तर्देशीय जलयान को अथवा उस पर किसी सामान को क्षति अथवा क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा;
- (घ) किसी चलंत अन्तर्देशीय जलयान पर चढ़ने अथवा उतरने अथवा चढ़ने का प्रयास अथवा उतरने का प्रयास नहीं करेगा;
- (ङ) किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित स्थान अथवा डिब्बा में बिना विधिमान्य कारण के प्रवेश नहीं करेगा अथवा अन्तर्देशीय जलयान के किसी अधिकारी अथवा मास्टर द्वारा वापस निकलने के लिए अनुरोध करने पर इनकार नहीं करेगा;
- (च) धूम्रपान अथवा अग्नि अथवा लाईट का धारण अन्तर्देशीय जलयान के किसी भाग में नहीं करेगा, जहाँ अग्नि अथवा लाईट का धारण अथवा धूम्रपान उसके मास्टर द्वारा वर्जित किया गया है;
- (छ) मदमत्त और विच्छृंखल अवस्था में नहीं रहेगा अथवा मदमत्त और अपनी देखभाल करने में असमर्थ नहीं रहेगा;
- (ज) कोई परेशानी अथवा अभद्र व्यवहार नहीं करेगा अथवा अश्लील अथवा गाली-गलौज भाषा का प्रयोग नहीं करेगा;
- (झ) बिना विधिमान्य कारण के किसी अन्य यात्री के साथ छेड़खानी या हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(iii) कोई भी पुरुष यात्री किसी अन्तर्देशीय जलयान में यह जानते हुये कि यह डिब्बा या स्थान सिर्फ महिलाओं के प्रयोग के लिये आरक्षित है, उक्त डिब्बा अथवा स्थान में जान बूझकर बिना विधिमान्य कारण के प्रवेश नहीं करेगा अथवा प्रवेश करने पर अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा उस स्थान से निकलने के लिए कहने पर वहाँ नहीं रहेगा।

38. किसी अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा स्वामी या मास्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई कर्मचारी निम्नलिखित यात्रियों को अन्तर्देशीय जलयान छोड़ने के लिए कह सकेगा यथा:-

- (i) मानसिक रूप से अस्वस्थ यात्री और उनके अनुचर (यदि कोई हो) यदि वे मास्टर या स्वामी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी कर्मचारी के विशेष अनुमति के बिना जलयान पर सवार हुए हैं;
- (ii) किसी संक्रामक अथवा स्पर्शजन्य बीमारी से ग्रस्त यात्री, जब वे मास्टर अथवा स्वामी अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारी के विशेष अनुमति के बिना जलयान पर सवार हुआ है;
- (iii) ऐसे यात्री जो मदमत्त हैं और अपनी देखभाल करने में अक्षम हैं;
- (iv) ऐसे यात्री जो विचछुंखल है या ऐसी स्थिति में हैं अथवा ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो अथवा होने की संभावना हो;
- (v) ऐसे कोई यात्री जो किसी अन्तर्देशीय जलयान अथवा उसके किसी भाग पर विधिमान्य रूप से अधिकतम यात्री के होते हुए सवार होता है या सवार होने का प्रयास करता है; और ऐसे यात्री जिन्होंने भाड़ा का भुगतान नहीं किया है।

39. यदि किसी व्यक्ति को, जिसे नियम-35 के अधीन किसी अन्तर्देशीय जलयान में प्रवेश अनुमति अस्वीकार कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति जलयान पर सवार नहीं होगा; और यदि कोई व्यक्ति जिसे नियम-38 के अधीन किसी अन्तर्देशीय जलयान को छोड़ना अपेक्षित है, तो वह ऐसे सुविधाजनक समय और स्थान पर जलयान छोड़ेगा जैसा मास्टर/स्वामी अथवा प्राधिकृत कर्मचारी निदेश दे।

परन्तु जिस व्यक्ति का प्रवेश नियम-38 के खण्ड (ड) के अधीन अस्वीकृत होता है, वह अपना किराया वापस लेने का हकदार होगा।

40. यदि कोई यात्री, जो नियम-36 का उल्लंघन करके धोखा देने का इरादा रखता है या कोई व्यक्ति, यदि नियम-37 का उल्लंघन करता है, तो उस पर 1000.00 ₹ के जुर्माने तक से दंडित किया जाएगा।

41. (i) जब कभी अन्तर्देशीय जलयान पर प्लेग, हैजा अथवा अन्य खतरनाक महामारी रोग होता है तो मास्टर अथवा सेरांग तुरंत-

(क) रोगी को उसके बिस्तर, पेय उपकरण और भोजन सहित अन्तर्देशीय जलयान के अंतिम छोर पर स्थित स्टर्न स्थान पर भेज देगा, जहाँ उसे पर्दा द्वारा शेष यात्रियों से अलग रखा जाएगा। प्लेग के मामले में कपड़ा, बिस्तर और यदि आवश्यक समझा जाए तो रोगी का सामान तुरंत असंक्रमित किया जाएगा।

(ख) सभी प्रकार के मलमूत्र, उल्टी और मूत्र, जो कि रोगी द्वारा जहाज पर उत्सर्जित किया जाए, उसे तत्काल सायलिन विलयन द्वारा साफ कराया जाएगा।

- (ग) मामले को अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त जिसके अधिकार क्षेत्र में निकटतम घाट होता है, को रिपोर्ट करेगा, और जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को भी रिपोर्ट करेगा।
- (ii) जहाँ ऐसा घाट किसी अनुमंडल अथवा जिला के मुख्यालय में नहीं है, उप-नियम (1) के उप-खण्ड (ग) में उल्लिखित रिपोर्ट यथास्थिति मास्टर अथवा सेरांग द्वारा सर्वाधिक उपलब्ध द्रुत साधन द्वारा किसी अनुमंडल अथवा जिला के दूसरे मुख्यालयों को, जहाँ अन्तर्देशीय जलयान भेजी जाएगी।
- (iii) यदि ऐसा मामला आता है, जब अन्तर्देशीय जलयान किसी अनुमंडल अथवा जिला के मुख्यालयों के घाट पर रहता है, अथवा अन्यथा जब अन्तर्देशीय जलयान निकटतम घाट पर पहुँचता है जो कि ऐसे मुख्यालय में होता है, तो मास्टर अथवा सेरांग अन्तर्देशीय जलयान को यथास्थिति उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाएगा।
- (iv)(क) उप-नियम (1) में उल्लिखित रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी शीघ्र किसी चिकित्सा पदाधिकारी को जाँच और अन्तर्देशीय जलयान को असंक्रमित करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा।
- (ख) ऐसा चिकित्सा पदाधिकारी अन्तर्देशीय जलयान का दौरा करेगा और यदि उपयुक्त अस्पताल उपलब्ध होता है अथवा कोई अन्य संतोषजनक व्यवस्था रोगियों के उपचार और अलग करने के लिए होता है तो वह रोगी को जलयान से उतारेगा।
- (v) जहाँ कोई अस्पताल उपलब्ध नहीं हो और कोई अन्य व्यवस्था भी नहीं किया जा सकता हो तो रोगी को उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किन्तु उप-नियम (4) के अधीन प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी अन्तर्देशीय जलयान पर रोगी को समुचित रूप से अलग रखने से संबंधित उपाय सुनिश्चित करके खुद को संतुष्ट करेगा कि रोग को फैलने से रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर लिए गए हैं।
- (vi) उप-नियम (4) के अधीन प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी सभी मामले में डेक केबिन, मलमूत्र विसर्जन स्थान और अन्तर्देशीय जलयान के किसी अन्य भाग जहाँ रोगी रहा हो, उसे सायलिन विलयन द्वारा पूरी तरह से साफ कराएगा और सभी उपकरण, जिसे रोगी ने उपयोग किया है, को असंक्रमित कराएगा।
- (vii)(क) मृत्यु की स्थिति में रोगी का शव सांद्र सायलिन से भिगा हुआ कपड़ा में लपेटकर उसके संबंधी, दोस्त अथवा संबंधी/दोस्त के नहीं होने की स्थिति में पुलिस को अंतिम क्रिया करने के लिए सौंप देगा;
- (ख) यदि नियम-41 के उप-नियम(1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वे पहले से असंक्रमित नहीं किये गये हैं तो मृत व्यक्ति के कपड़े (थैला में रखे को छोड़कर),

उसके बिस्तर और उसके पास के सभी खाद्य सामग्री को जला दिया जाएगा जब तक कि इससे प्रतिकूल आदेश चिकित्सा पदाधिकारी नहीं देते हैं।

- (viii) उप-नियम (4) के अधीन प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी रोगी के साथ चलने वाले दल के सभी व्यक्तियों के नाम और पता सुनिश्चित करके अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उस जिला के जिला उपायुक्त को रिपोर्ट करेगा, जहाँ वे जा रहे हैं।
 - (ix) इन नियमों में निहित आदेशों का जब अनुपालन कर लिया जाता है, और उप-नियम (4) के अधीन प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अन्तर्देशीय जलयान को आगे रोकने का और कोई कारण नहीं है तो वह मास्टर अथवा सेरांग को यात्रा प्रारंभ करने की अनुमति दे सकेगा।
 - (x) अन्तर्देशीय जलयान के प्रत्येक स्वामी को प्रत्येक अन्तर्देशीय जलयान पर पाँच लीटर सायलिन अनिवार्य रूप से रखना होगा।
 - (xi) उप-नियम (4) के अधीन प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर रोगी को उतरने की अनुमति दी जा सकेगी।
 - (xii) उपर्युक्त नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना से दण्डित किया जाएगा, जो अधिकतम 1000 ₹0 तक हो सकेगी।
42. (i) जलयानों के यात्रा पर जाने से पहले किसी अन्तर्देशीय जलयान, उसके नौभार और कोई प्लव अथवा प्लवों, जो अनुकर्षण के लिए आशयित हैं, को सुरक्षित रूप से अनुकर्षित कर दूर ले जाया जाएगा और सुखी घास अथवा किसी अन्य ज्वलनशील सामग्री को अन्य पर्याप्त सुरक्षा हेतु तारपोलिन से उचित रूप से सुरक्षित किया जायगा।
- (ii) अधिनियम की धारा-50 और धारा-51 के उपबंधों को अन्तर्देशीय जलयान के किसी महत्वपूर्ण स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (iii) यदि कोई व्यक्ति, किसी अन्तर्देशीय जलयान पर अपने साथ कोई खतरनाक सामग्री ले जाता है, यदि ऐसा करना अपेक्षित है, तो वह, उस सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर अथवा स्वामी या मास्टर के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा।
 - (iv) कोई भी व्यक्ति किसी अन्तर्देशीय जलयान के नौभार डेक पर अथवा होल्ड में किसी प्रकार की खुली बत्ती का प्रयोग नहीं करेगा और किसी प्रकार की बन्द बत्ती भी प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अन्तर्देशीय जलयान के किसी पदाधिकारी के प्रभार में हो।
 - (v) अन्तर्देशीय जलयान पर फायर स्टेशन (दमकल केन्द्र) पदाधिकारियों और कर्मियों के अधीन किया जाएगा।

- (vi) किसी प्रकार के बारूद अथवा अन्य विस्फोटक का तब तक ले नहीं जाया जाएगा जब कि उसे समुचित रूप से निर्मित मैगजिन डिब्बा में नहीं रखा जाता हो और अन्तर्देशीय जलयान पर जब बारूद को लादा या उतारा जा रहा हो किसी प्रकार के आग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vii) मास्टर को खतरनाक सामग्री की सुपुर्दगी से संबंधित उप-नियम (2) अथवा बारूद अथवा अन्य विस्फोटक के किसी मैगजिन डिब्बा में ढुलाई से संबंधित उप-नियम (6) की कोई बात विस्फोटक निरीक्षक के प्रभार में रहने वाले विस्फोटक के नमूनों की ढुलाई पर लागू नहीं होगी।
- (viii) प्रत्येक अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर अथवा स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह उपर्युक्त नियमों का अनुपालन करे और उसे प्रभावी बनाए और इन नियमों का उल्लंघन करने पर वह अथवा अन्य व्यक्ति कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माना से जो 20,000/-रु० तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा दोनों से दंडित होगा।

43. यात्री ढोने वाले अन्तर्देशीय जलयान में नौभार की लदाई निम्न प्रकार से विनियमित होगी:-

- (i) 36 मी० से कम लम्बाई वाले हल के स्टर्न व्हील अन्तर्देशीय जलयान, जब डेक पर नौभार या यात्री की ढुलाई करेगा, में निम्नलिखित लगा हुआ होगा-
 - (क) मार्ग में आगे और पीछे पोतों के बीच शिफ्टिंग बोर्ड और उंचाई कम से कम नौभार के बराबर;
 - (ख) मार्ग में आगे और पीछे पोतों के बची उपरी डेक पर काफी मात्रा में वायर नेट अथवा समान प्रकाश भाग कम से कम 1.8 मी० ऊँचा;
- (ii) यात्री और नौभार दोनों की ढुलाई करने वाले सभी अन्य अन्तर्देशीय जलयानों में डेक पर ढुलाई होने वाले सभी प्रकार के नौभार को हिलने/खिसकने पलटने से रोकने के लिए दक्षता पूर्वक सजाया जाएगा।
- (iii) नौभार के हरेक ओर कम से कम 75 से०मी० चौड़ी जगह, और वुलवर्क के भीतर, आगे और पीछे नौचालन हेतु खाली छोड़ा जाएगा।
- (iv) इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्वामी अथवा मास्टर को कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा जुर्माना से जो 20,000/-रु० तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा दोनों से दंडित होगा।

44. शीर्षांतर (फ्री बोर्ड):-

- (i) यात्री जलयान के मामले में जब यह यात्रियों और कर्मियों की पूरी संख्या के साथ भारित होकर, हरेक व्यक्ति के लिए 65 कि०ग्रा० वजन के साथ सभी आवश्यक ईंधन को लेकर 6 मी० लम्बाई अथवा उससे कम के जलयानों के लिए पानी से उपर की स्पष्ट ऊँचाई

निम्नतम बिन्दु पर 38 सेमी० से कम न हो और 18 मी० और उससे अधिक की लम्बाई के जलयानों के लिए 76 सेमी० होगा। 6 मी० और 18 मी० चाई के बीच लम्बाई कुल जलयानों के लिये यह ऊँचाई अनुपात में होगी। लम्बाई स्टेम के अग्र भाग से लेकर पृष्ठ भाग तक मापी जाएगी और क्लियर साईड कवरींग बोर्ड की उच्चतम बिंदु तक ऊँचाई तक मापा जाएगा। हालांकि आधा डेक को फिट करने पर क्लियर साईड की माप साईड के ऊँचाई तक होगी अथवा गनवेल की ऊँचाई तकमें से जो कोई माप छोटा शीर्षांतर देगा। डेक वाले नावों में फ्री बोट डेक की उंचाई के बगल से मापा जाएगा।

(ii) प्रतिकूल मौसम के दौरान जलयान को चलाने की अनुमति देने के लिए उप-नियम (1) में किये गये गणना के 1.5 गुणा शीर्षांतर होगा।

45. (i) किसी दुर्घटना अथवा अन्य कारण से किसी अन्तर्देशीय जलयान को होने वाले नुकसान के सभी मामलों में जिससे हल उपकरण का कोई भाग अथवा मशीनरी की दक्षता प्रभावित होती है, तो पतन का सर्वेक्षक, जहाँ अन्तर्देशीय जलयान हो, जलयान पर जाकर नुकसान का आकलन करेगा। ऐसा करने में जलयान पर सामानों की स्थिति अथवा अवस्था में बदलाव नहीं करने से संबंधित सावधानी बरतेगा।

(ii) दुर्घटनाग्रस्त अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसका एक प्रतिवेदन यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

46. (i) टक्कर के मामले में सर्वेक्षक अन्तर्देशीय जलयान की बत्ती और स्क्रीन का परीक्षण करेगा और यदि अन्तर्देशीय जलयान, जिसके साथ इसका टक्कर हुआ है, वह जिला के अन्तर्गत है तो उस अन्तर्देशीय जलयान की बत्ती का भी निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट अलग से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसमें आकार, स्थिति और लैम्प एवं स्क्रीन के स्थान का विवरण सहित यह भी उल्लेख होगा कि क्या उनके मत में कोई कमी है।

(ii) सर्वेक्षकों को लाईट और स्क्रीन के संबंध में अपने रिपोर्ट के शब्दों पर बहुत सावधान होना चाहिए क्योंकि न्यायालय में जाने पर यह साक्ष्य के रूप प्रयुक्त हो सकेगा।

(iii) यदि किसी अन्तर्देशीय जलयान के दुर्घटना होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य कारण से सर्वेक्षक हल का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से जलयान को डॉक ले जाने की आवश्यकता समझते हैं तो वे ऐसा कर सकेगा किन्तु इस शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना वास्तव में आवश्यक न हो।

(iv) जब तक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विपरीत निर्देश नहीं दिया जाता हो सर्वेक्षक मरम्मत के दौरान अन्तर्देशीय जलयान का प्रमाणपत्र अपने पास रखेगा और इस उद्देश्य के लिए उसे मास्टर की आवश्यकता होगी।

जब तक नुकसान इस प्रकृति का नहीं हो जिसमें सर्वेक्षक के मत में प्रमाणपत्र रद्द होना चाहिए। ऐसे मामलों में उसे अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अग्रेषित करना चाहिए। गंभीर नुकसान के सभी मामलों में प्रमाणपत्रों को रद्द करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को वापस कर देना चाहिए।

(v) यदि मास्टर अथवा स्वामी प्रमाणपत्र देने से इंकार करता हो तो सर्वेक्षक तुरंत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी और राज्य परिवहन आयुक्त को सूचित करेगा।

(vi) जब जलयान सर्वेक्षक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार हल और मशीनरी दोनों मामलों में सक्षम बनाया जाता है तो उसे प्रमाणपत्र के पीछे अपना पृष्ठांकन करना होगा, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया है, कि नुकसान की भरपाई इस प्रकार हुआ है कि वह जिस अवधि के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है उस अवधि में चलता रहेगा और प्रमाणपत्र की वापसी मास्टर अथवा स्वामी अथवा उसके किसी एजेंट को करके अन्तर्देशीय जलयान को आगे बढ़ने की अनुमति देगा। इसके उपरान्त वह की गई आवश्यक मरम्मत से संबंधित विवरण रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भेज कर प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन कराएगा।

47. ऐसे सभी मामलों में जिसमें सर्वेक्षक को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा स्वामी अथवा मास्टर से ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है और जिसे रद्द अथवा प्रतिसंहत कर दिया गया है, उसके लिए उसे अविलंब आवेदन करना होगा और उसके आवेदन पर विचार नहीं होने की स्थिति में वह मामले की जानकारी शीघ्र देगा। ऐसे स्वामी अथवा मास्टर पर 200 ₹ का जुर्माना लगाया जाएगा जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अपेक्षा किए जाने पर भी ऐसे प्रमाणपत्र सौंपने देने से इंकार करता है अथवा उपेक्षा करता है।

48. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी राज्य परिवहन आयुक्त सामान्य अथवा विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा जलयान स्वामी, जलयान निर्माता अथवा व्यक्ति अथवा यात्री जो जलयान प्रचालन से संबंधित किसी भी मामले में शामिल है, उसे जलयान की सुरक्षा, संचालन का अनुश्रवण, यात्री की सुविधा और अन्तर्देशीय परिवहन क्षेत्र के सामान्य विनियमन में वृद्धि करने के लिए, संबंधित प्रचालन संबंधित पहलुओं अथवा जलयानों के निश्चित तकनीकी विवरण में से किसी को हटाने/जोड़ने/संशोधित करने के लिए निदेश दे सकेगा।

अध्याय : 6.0

अन्तर्देशीय जलयानों पर प्राणरक्षक उपकरण ले जाना

49. जलयानों का वर्गीकरण:-

(i) इस नियम के प्रयोजनार्थ अन्तर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाएगा, यथा -

- (क) श्रेणी I-यात्री जलयान और फेरी लांच नाव;
- (ख) श्रेणी II-श्रेणी I, श्रेणी III और श्रेणी IV से इतर जलयान और नौभार जलयान;
- (ग) श्रेणी III-गैर प्रणोदित जलयान (बार्ज);
- (घ) श्रेणी IV-आरामदायक जलयान और साहसिक यात्रा जलयान।

(ii) श्रेणी I के जलयानों की आवश्यकता:-

- (क) जलयान पर कम से कम 50 प्रतिशत यात्रियों और कर्मियों के प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या में जीवन बेड़ा अथवा प्लावक उपकरण;
- (ख) जलयान पर 50 प्रतिशत यात्रियों और कर्मियों के लिए एक लाईफ जैकेट;
- (ग) बच्चे के लिए लाईफ जैकेट, जो कुल व्यक्तियों में से 10 प्रतिशत को ढोने के लिए प्रमाणित हो। इस धारा के प्रयोजनार्थ बच्चा से अभिप्रेत है, 30 कि०ग्रा० से कम वजन का कोई व्यक्ति;
- (घ) 25 मी० लम्बाई तक के जलयानों हेतु कम से कम 4 जीवन रक्षक बोया (प्लव), 25-45 मी० लम्बाई तक के जलयानों के लिए 6 लाईफ बोया और 45 मी० से अधिक लम्बाई के जलयानों के लिए कम से कम 8 जीवन रक्षक बोया। कम से कम दो जीवन रक्षक बोया स्वप्रज्वलित लाईट के साथ होगा यदि जलयान का नौचालन रात्रि में होता है;
- (ङ) 150 यात्री क्षमता के श्रेणी I के हरेक जलयान पर न्यूनतम 10 व्यक्तियों की यात्री क्षमता वाले कम से कम एक जीवन रक्षक नाव होगा। नाव की लांचिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। जलयानों के दोनों ओर नाव को लगाया जाएगा यदि एक से अधिक नाव उपलब्ध कराई गई हो;
- (च) जीवन नौका, जीवन बेड़ा और जीवन जैकेट एक साथ 100 प्रतिशत यात्रियों और कर्मियों के लिए होगा;
- (छ) नौका के सभी कर्मियों को कृत्रिम श्वसन और प्राथमिक उपचार सहित बचाव कार्य का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त होगा;
- (ज) सभी नौकाओं के पास हेड लाईट, सर्च लाईट, हैंड टॉर्च और आपतकालीन लालटेन होगा;

(झ) नौकाएं मजबूत होनी चाहिए और इसका अनुरक्षण मापदंड भी कड़ा होना चाहिए। पानी के अंदर रहने वाली सामग्री दुरुस्त, मजबूत और नदी के लायक होनी चाहिए। छोटे जलयानों में एक जोड़ा चप्पु, विद्युत विच्छेदन की स्थिति से बचने के लिए तैयार रखना चाहिए।

(iii) श्रेणी II के जलयानों के लिए आवश्यकता-

(क) श्रेणी II के हरेक जलयान में निम्नलिखित साधन उपलब्ध होगी -

(i) 10 मी० से अधिक लम्बाई के जलयान के लिए कर्मीदल को शामिल करने हेतु कम से कम एक जीवन बेड़ा;

(ii) जहाज पर हरेक कर्मीदल अथवा व्यक्तियों के लिए एक जीवन जैकेट;

(iii) 25 मी० लम्बाई तक के जलयानों के लिए कम से कम दो जीवन बोया और 25 मी० से अधिक लम्बाई वाले जलयानों के लिए 4 जीवन बोया, जिसमें से एक स्वप्रज्वलित लाईट से सुसज्जित होगा, यदि जलयान का नौचालन रात्रि में होता है।

(ख) 100 प्रतिशत कर्मीदल के लिये जीवन बेड़ा, जीवन जैकेट और जीवन बोया।

(iv) श्रेणी III के जलयानों के लिए आवश्यकता श्रेणी III के हरेक मानवयुक्त जलयान पर निम्नलिखित साधन होगी-

(क) कम से कम दो जीवन बोया जिसमें प्रत्येक सेल्फ स्वीच लाईट से सुसज्जित होगा, यदि जलयान का नौचालन रात्रि में होता है;

(ख) जलयान पर हरेक कर्मीदल के लिए एक लाईफ जैकेट।

(v) श्रेणी IV के जलयानों के लिए आवश्यकता:-

(क) 10 मी० लम्बाई तक के श्रेणी IV के हरेक जलयान पर हरेक व्यक्ति के लिए एक लाईफ जैकेट होगा। 10 मी० से अधिक लम्बाई के जलयान में सभी व्यक्तियों के लिए जलयान पर पर्याप्त जीवन बेड़ा रखेगा। छोटे जलयान, जहाँ प्लावक उपकरण नहीं रखे जा सकते हों, वहाँ 100 प्रतिशत प्लावकता जीवन जैकेट और जीवन बोया के माध्यम से होगी।

(ख) श्रेणी IV के सभी जलयानों पर कम से कम दो लाईफ बोया रहेगा, जिसमें से एक सेल्फ लाईटिंग प्रकार का होगा, यदि जलयान का नौचालन रात्रि में होता है। छोटे जलयान जहाँ प्लावक उपकरण को नहीं रख सकते हों, वहाँ 100 प्रतिशत प्लावकता जीवन जैकेट और जीवन बोया के माध्यम से होगी।

50. तकनीकी आवश्यकता इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध कराया गया प्रत्येक जीवन रक्षक उपकरण अनुमोदित प्रकार का होगा और सर्वेक्षक की संतुष्टि के अनुरूप समुचित रूप से सजा कर रखा जाएगा।

51. प्रयोगितों का प्रदर्शन श्रेणी I के हरेक जलयान पर बचाव उपकरण की सूची और प्रयोग संबंधी निदेश महत्वपूर्ण स्थान पर प्रदर्शित होगा।
52. छूट जलयानों अथवा जलयानों के प्रकार, जिसके नौतल का निर्माण इन नियमों के प्रभाव में आने से पूर्व तदनुरूप स्तर पर हों, उन्हें प्रावधानों के अनुपालन से छूट दी जा सकेगी जिसमें इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष तक जीवन नौका को रखने का प्रावधान है, बशर्ते इसके बदले जलयान पर पर्याप्त जीवन बेड़ा उपलब्ध कराया गया हो।

अध्याय : 7.0

अन्तर्देशीय जलयान और अग्निशमन उपकरण

53. यह नियम, निम्न को छोड़कर, सभी जलयानों पर लागू होगा:-

- (i) सकल 500 टन भार से उपर के जलयान-इन जलयानों को तटीय समुद्र यात्रा पर जाने वाले जहाज पर लागू वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) नियमावली 1969 में विहित की आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- (ii) हॉवरक्राफ्ट:-हॉवरक्रॉफ्ट के मामले में सक्षम पदाधिकारी द्वारा विशेष रूप से आवश्यकताओं का निर्धारण किया जायेगा।
- (iii) परन्तु ये नियम विद्यमान जलयानों पर, इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से छः महीने की अवधि के लिए अथवा इसके अगले वार्षिक सर्वेक्षण तक, जो पहले हो, लागू नहीं होंगे।

54. ले जानेवाले उपकरण:-

सभी अन्तर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित प्रकार के अग्नि उपकरण उपलब्ध कराये जाएँगे-

- (i) शक्ति से चलने वाले फायर पंप: सकल 150 टन से उपर के हरेक जलयान में कम से कम एक।
- (ii) हस्तचालित फायर पंप: 21 मी० से अधिक लम्बाई के प्रत्येक जलयान में कम से कम एक।
- (iii) वाटर सर्विस पाईप, हाईड्रैन्ट, फायर होज: हरेक प्रकार के जलयान, जिसमें वाटर सर्विस पाईप, सहित अग्नि पंप आवश्यक हो, तो हाईड्रैन्ट और फायर हाउस इसको इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि कमसे कम एक शक्तिशाली वाटर जेट को जलयान के किसी भी भाग में घुमाया जा सके। होज का व्यास 32 मि०मी० से कम नहीं होगा।
- (iv) प्लेन नॉजल: इस नियमावली के अनुसार संधारित हरेक अग्नि हॉज के लिए एक प्लेन नॉजल रखा जाएगा।

- (v) स्प्रे नॉजल: इस नियमावली के अनुसार संधारित हरेक अग्नि हॉज के लिए एक स्प्रे नॉजल रखा जाएगा।
- (vi) वहनीय सोडा ऐश/पानी के प्रकार के अग्निशमन: ऊपरी डेक के उपर यात्रियों के लिए रखे गए प्रत्येक स्थान में एक और कर्मिंदल के लिए रखे गए स्थान और डेक के नीचे यात्री के लिए रखे गए स्थान में हरेक के लिए कम से कम दो अग्निशमन रखे जायेंगे परन्तु 15 मी० से कम लम्बाई के जलयानों में ऐसे एक अग्निशमन को रखने की आवश्यकता होगी।
- (vii) वहनीय प्रकार के अग्निशमन: हरेक मशीनरी स्थान में कम से कम दो अग्निशमन।
- (viii) वहनीय ड्राई पाउडर प्रकार के अग्निशमन: विशाल विद्युत स्थापन वाले हरेक जलयान में कम से कम एक अग्निशमन।
- (ix) फायर एक्स (कुल्हाडी): 15 मी० से अधिक लम्बाई के हरेक जलयान में कम से कम एक।
- (x) फायर बकेट (बाल्टी): हरेक कर्मिंदल सदस्य के लिए कम से कम एक न्यूनतम दो। उन बकेटों में से 50 प्रतिशत बकेट डोरी युक्त होगी। किसी भी जलयान पर 20 से अधिक बकेट नहीं रहेगा।
- (xi) स्कूप सहित सैण्ड बॉक्स: हरेक जलयान में मशीनरी और बॉयलर वाले स्थानों में कम से एक। जिसमें बालू की मात्रा 0.075 घनमीटर से कम नहीं होगी।
- (xii) गैर पोर्टेबल फोम टाईप अग्निशमन: 30 मी० से अधिक लम्बाई के मोटर जलयानों के मामले में कम से कम एक-एक। ऐसे अग्निशमन की क्षमता 45 ली० से कम नहीं होगी।
- (xiii) वायुरोधन व्यवस्था: ईंधन ऑयल स्थापन क्षेत्र रखने वाले सभी जलयानों में सभी निर्धारित स्थान वायुरोधन व्यवस्था से आच्छादित होगी।

55. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन:-

यदि किसी मामले में अन्तर्देशीय जलयान उपर्युक्त निर्धारित आवश्यकताओं को पूरी तरह से पालन करने में अंतर्देशीय सक्षम नहीं हो तो 45 मी० से अधिक लम्बाई अथवा सकल 150 टन भार के जलयानों के सभी मामलों में उपलब्ध किए जाने वाले उपकरणों को अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

56. मास्टर/स्वामी का उत्तदायित्व:-

- (i) सभी अन्तर्देशीय जलयानों का मास्टर सुनिश्चित करेगा कि जलयान में अग्निशमन के और खतरा अथवा विस्फोट से सुरक्षा के लिए उपकरण इन नियमों के अनुसार लगे हुए हैं और जलयान के कर्मिंदल इन उपकरणों के प्रयोग में दक्ष हैं।

- (ii) यदि किसी मामले में कोई अन्तर्देशीय जलयान इन नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरी तरह से पालन करने में सक्षम नहीं हो तो 45 मी० से अधिक लम्बाई के सभी जलयानों में उपलब्ध किए जाने वाले अग्नि उपकरण अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

57. शास्ति:-

इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन होने पर जलयान के स्वामी, मास्टर अथवा चालक को छः महीने तक की अवधि के लिए कारावास अथवा 500 ₹० तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

अध्याय : 8.0

यात्री सुविधा

(उपयोजन-यह भाग सभी जलयानों पर लागू होगा)

58. यात्री सुविधा:-

- (i) यात्री के लिए रखे गए स्थान के हरेक भाग का क्षेत्रफल और उसमें सीटों की लम्बाई मापी जाएगी और क्षेत्रफल और सीटों द्वारा दी गई कम संख्या अच्छे मौसम के दौरान अनुज्ञेय संख्या होगी बशर्ते कि खुले जलयानों में यात्रियों की अनुज्ञेय संख्या 0.3 मी० की लम्बाई में 2 से अधिक और किसी स्थिति में 100 से अधिक नहीं होगी।
- (ii) प्रतिकूल मौसम के दौरान ढुलाई के लिए अनुमति दिए जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या अच्छे मौसम के दौरान ढुलाई किए जाने वाले कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी बशर्ते सँकरी खाड़ियों जैसे जलमार्गों में प्रचालित होने वाले जलयानों को वर्ष भर समान संख्या में यात्रियों को ढोने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) खुला लांच-

- (क) यात्री सुविधा के लिए उपलब्ध अधिकतम स्थान का निर्धारण सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा। निर्धारित सुविधा को ध्यान में रखते हुए, लंगर और केबल के समुचित रखाव और जलयान के अगले हिस्से में किसी अन्य आवश्यक उपकरण को भी ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षक द्वारा निर्धारण किया जाएगा और लम्बाई की माप इस बिन्दु से बल्कहेड के अग्र भाग तक, यात्री के लिए रखे गए स्थान से मशीनरी के स्थान को अलग करते हुए, की जाएगी।
- (ख) यदि मशीनरी जलयान के बीच स्थित है और यात्रियों के लिए मशीनरी के बल्कहेड और जलयान के स्टेम के बीच अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है तो इसका निर्धारण सर्वेक्षक द्वारा स्टेयरिंग व्यवस्था और ईंधन टैंक के लिए रखे गए स्थान पर समुचित

ध्यान देते हुए किया जाएगा, जिसमें यात्री सुविधा पर भी विचार होगा। उपयुक्त अंतराल पर चौड़ाई की माप साईड बेंच के पिछले भाग अथवा गनवेल के अन्दर अथवा हाफ डेक के अन्दर (जहाँ लगे हुए हैं), जो कोई माप सबसे कम है, की जाएगी।

(ग) मशीनरी के लिए रखे गए स्थान के पंक्तिबद्ध स्थान को यात्रियों की गणना में शामिल किया जा सकेगा, यदि इंजन देशांतर बल्कहेड से घिरा हुआ हो और यदि कास्टिंग अथवा बल्कहेड और बैकसीट के बीच की दूरी कम से कम 0.9 मी० हो।

(घ) किसी क्षेत्रफल में अनुज्ञेय यात्रियों की संख्या उपर्युक्त माप के अनुसार खुले स्थान के वर्गमीटर में क्षेत्रफल को 0.36 से विभाजित करके ज्ञात की जाएगी। कर्मिंदल और सामान के लिए 15 प्रतिशत जगह रखी जाएगी। बैठाने के लिए अनुज्ञेय संख्या हरेक लगातार सीट के मीटर में लम्बाई को 0.45 से विभाजित करके ज्ञात किया जाएगा।

(ङ) प्लवनशील उपकरण पर बैठने की गणना अलग से की जाएगी।

(iv) डेक लांच-

(क) यात्री सुविधा के लिए उपलब्ध स्थान के अग्रतम भाग का निर्धारण उपर्युक्त के खुले लांच अनुसार किया जाएगा और इस क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल स्काई लाईट, कम्पेनियन, मशीनरी केसिंग, नाट्य स्थान, जीवन नौका और वेन्टिलेटर के लिए रखे गए स्थान को घटाकर प्राप्त किया जाएगा।

(ख) अधिकतम अनुज्ञेय यात्रियों की संख्या का अभिनिश्चय भाजक द्वारा, डेक के नीचे सैलून अथवा केबिन सतह के वर्गमीटर में डेक के क्षेत्रफल को भाजक 0.56 से विभाजित करके किया जाएगा। डेक के नीचे केवल एक सैलून अथवा केबिन सतह होगा। उचित मापदण्ड वाले जलयान को छोड़कर तथा 250 से अधिक अनुज्ञेय यात्री जलयान को छोड़कर डेक के नीचे केवल एक सैलून, यात्री की गणना में शामिल किया जाएगा।

(i) सभी जलयानों में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि आपातकाल में किसी व्यक्ति को शीघ्रता से आगे और पीछे गुजरने में कोई गंभीर बाधा न करें।

(ii) सीढ़ी, धोने की जगह अथवा शौचालय के प्रवेश द्वार से 0.5 मी० के भीतर के स्थान को यात्री के लिए मापित स्थान में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) भारी संख्या में यात्रियों की ढुलाई में शामिल जलयानों के हरेक डेक पर एक मजबूत अवरोधक का निर्माण किया जाएगा।

(v) जलयान को अधिक भारित करने से संबंधित किसी मामले विषय का अभिनिश्चय अथवा गणना करने की बाबत शीर्षांतर से संबंधित उपबंध सर्वोपरि होगा।

अध्याय : 9.0

स्थायित्व

(अनुप्रयोग- यह भाग सभी जलयानों पर लागू होगा)

59. स्थायित्व:-

- (i) स्थायित्व के तत्वों का निर्धारण करने के लिये एक आनत परीक्षण किया जाएगा। जब तक मेटसेन्टर को विभिन्न ड्राफ्टों पर तिर्यक करने के लिए स्थान से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, वजन से भारित जलयान का परीक्षण पूर्णतः भारित स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा।
- (ii) तिर्यक मेटासेन्ट्रिक उंचाई को दर्शाने वाले गणना और हील के कोण, जो जलयान के एक तरफ पर दो तिहाई यात्रियों के होने और दूसरे तरफ पर एक तिहाई के कारण होंगे, के लिए सर्वेक्षण प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। हरेक यात्री का वजन 65 कि०ग्रा० माना जाएगा।
- (iii) डेक वाले जलयानों में, सबसे उपरी डेक अथवा ऐसे डेकों में जहाँ यात्रियों की पहुंच है प्रति यात्री 0.27 वर्गमीटर स्थान रहेगा और यात्री का गुरुत्व केन्द्र डेक के उपर 0.75 मी० पर रहेगा।
- (iv) खुले जलयानों में यात्रियों का गुरुत्व केन्द्र सीट से उपर 0.3 मीटर पर रहेगा।
- (v) किसी भी स्थिति में सर्वेक्षक किसी जलयान पर यात्रियों की संख्या किसी सीमा के लिए, प्रमाणित नहीं करेगा। जबतक के वह संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि जलयान के पास पर्याप्त स्थायित्व और उस संख्या के यात्रियों की सुरक्षित ढुलाई करने के लिए पर्याप्त शीर्षांतर है।
- (vi) हॉवरक्राफ्ट के स्थायित्व पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
- (vii) प्रारंभिक जीएम कम से कम 0.15मी० होगा।

अध्याय: 10.0
लंगर और केबल
(अनुप्रयोग-यह भाग सभी जलयानों पर लागू होगा)

60. लंगर और केबल:-

- (i) 15 मी० से कम लम्बाई के हरेक अन्तर्देशीय जलयान में कम से कम एक लंगर और चेन केबल का प्रावधान होगा।
- (ii) 15 मी० और उससे अधिक लम्बाई के हरेक अन्तर्देशीय जलयान में कम से कम दो लंगर और चेन के बल का प्रावधान होगा।
- (iii) 100 टन से अधिक के हरेक जलयान के मामले में सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में केबल और लंगर विनिर्दिष्ट किया जाएगा। परन्तु यह कि वर्गीकरण सोसाइटी के प्रावधानों के अनुरूप लंगर और केबल साधारणतया मान्य होगा।

61. इको साउंडर:-

- (i) 100 टन से अधिक के हरेक जलयान में एक इको साउंडर होगा। हरेक जलयान में कम से कम 3.2 कि०ग्रा० भार का एक हैण्डलेड लाईन 15 फीट लम्बाई वाला रखा जाएगा, परन्तु उथले जलमार्गों में चलने वाले छोटे जलयानों में गहराई मापने वाले पोल अथवा उपयुक्त चिन्हांकित रॉड रखा जाएगा।
- (ii) हरेक खुला जलयान में कम से कम तीन ओड़ ;वंतेद्ध, तीन रो लॉक (row locks) और दो दक्ष नौका हूक रखा जाएगा।
- (iii) हरेक जलयान में कम से कम दो हीविंग लाईन रहेगा।

अध्याय : 11.0
नौचालन और संचार उपकरण
(अनुप्रयोग-यह भाग सभी जलयानों पर लागू होगा)

62. प्रकाश और आकृति:-

हरेक जलयान को अन्तर्देशीय जलयान टक्कर निवारण नियम, 2002 के अनुरूप नौचालन प्रकाश तथा/ध्वनि संकेत इत्यादि देने वाला साधन उपलब्ध कराया जाएगा। जलयान के ब्रिज से सर्च लाईट भी दिया जाएगा।

63. कम्पास, द्विनेत्री, व्हील संकेतक ब्रिज इंजन नियंत्रण, पी ए प्रणाली मोबाइल जैसे संचार उपकरण दिया जाएगा।

64. अर्थदण्ड:-

जलयान के स्वामी, मास्टर अथवा चालक द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर उसे छः महीने तक की अवधि के लिए कारावास अथवा 500 ₹0 तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

अध्याय : 12.0

प्रकाश एवं ध्वनि संकेत और टक्कर निवारण

अभिचालन और जलयात्रा

भाग-क

65. रूपाकार:-

प्रत्येक जलयान, हरेक समय, देखने-सुनने के साथ-साथ विद्यमान परिस्थितियों तथा स्थितियों में सभी उपलब्ध उपयुक्त साधनों और दशाओं में एक समुचित रूपाकार बनाए रहेगा ताकि स्थिति और टक्कर के खतरे का पूर्ण मूल्यांकन किया जा सके। जलयान चैनल चिन्हों के लिए प्रयुक्त प्रकाशमान चिन्हों की स्थिति को जानने के लिए सर्चलाईट का उपयोग करेगा।

66. सुरक्षित गति:-

(i) प्रत्येक जलयान, हरेक समय, सुरक्षित गति से आगे बढ़ेगा ताकि टक्कर निवारण और भूमि पकड़ने की स्थिति से निबटने के लिए उचित और प्रभावी कार्रवाई कर सके तथा विद्यमान परिस्थितियों और स्थितियों में समुचित दूरी पर उसे रोका जा सके।

(ii) सुरक्षित गति के निर्धारण में निम्नलिखित अवयवों पर ध्यान दिया जाएगा-

(क) दृश्यता की स्थिति;

(ख) मत्स्य जलयान अथवा अन्य जलयान को शामिल करते हुए यातायात सघनता;

(ग) विद्यमान स्थितियों में ठहराव दूरी और घुमाव क्षमता के विशेष संदर्भ में जलयान का युक्तिचालन;

(घ) नदी, हवा, धारा और नौचालन संबंधी समीप जोखिम की स्थिति;

(ङ.) तटीय नौचालन संबंधी सहायताएं और रात्रि एवं दिवस नौचालन चिन्हों की उपलब्धता एवं स्थिति;

(च) जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आरोपित गति प्रतिबंध;

(छ) जलमार्ग में उपलब्ध गहराई के संदर्भ में जलयान का कर्षण; और

(ज) रात्रि में तटीय प्रकाशों अथवा अपने प्रकाशों से इतर विकीर्ण प्रकाश जैसे पथ प्रकाश की उपस्थिति।

67. टक्कर का खतरा:-

(i) प्रत्येक जलयान टक्कर के खतरे को पता लगाने के लिए विद्यमान परिस्थितियों और स्थितियों के अनुकूल सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करेगा। यदि कोई संदेह हो, तो ऐसे खतरे को विद्यमान माना जाएगा।

(ii) टक्कर का खतरा निर्धारण करने में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाएगा-

(क) ऐसा जोखिम को विद्यमान माना जाएगा यदि किसी आसन्न जलयान का कम्पास पर्याप्त रूप से नहीं बदलता है और अपने जलयान से स्पष्ट दूरी घटती है;

(ख) ऐसा खतरा कभी-कभी तब भी विद्यमान रहता है जब कोई परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। विशेषकर जब वह कोई बहुत ही विशाल जलयान या किसी कर्षण के नजदीक आता है। अथवा कोई जलयान के निकट से गुजरता है; और

(ग) कम्पास रहित जलयान के लिए यदि सापेक्ष स्थिति अपरिवर्तित रहती है।

68. टक्कर निवारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई:-

(i) टक्कर निवारण के लिए की गई कोई कार्रवाई, यदि मामले की परिस्थिति अनुकूल है, तो काफी समय रहते और अच्छी नाविकी के प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए ठीक से की जाएगी।

(ii) टक्कर निवारण के लिए गति अथवा दिशा में परिवर्तन, यदि मामले की परिस्थिति ऐसा करने के लिए अनुकूल हो, काफी विस्तार पर किया जाएगा ताकि दूसरे जलयान को आसानी से दिख जाए। दिशा और/अथवा गति में छोटे-छोटे लगातार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) यदि जगह पर्याप्त है, तो नजदीकी टक्कर की स्थिति के निवारण के लिये केवल दिशा में परिवर्तन ही सर्वाधिक प्रभावी कार्रवाई होगी बशर्ते यह समय रहते किया गया हो और अन्य आसन्न टक्कर की स्थिति न हो।

(iv) दूसरे जलयान से टक्कर निवारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरे जलयान से सुरक्षित दूरी हो जाये और कार्रवाई के प्रभाव पर तब तक ध्यान रखना है जब तक कि दूसरा जहाज सुरक्षित रूप से दूर न गुजर जाय।

(v) टक्कर निवारण अथवा स्थिति के मूल्यांकन करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो जलयान अपनी गति धीमी करेगा या अपने प्रणोदन को रोकते या पीछे करते हुए अपना मार्ग बदल लेगा।

69. संकरा चैनल:-

- (i) संकरे चैनल से चलने वाला जलयान, जितना सुरक्षित और व्यवहारिक हो, अपर स्टार बोर्ड के तरफ चैनल के बाहरी सीमा के यथा निकट रहेगा। 10 मी० से कम लम्बाई का कोई जलयान अथवा पाल जलयान, किसी जलयान के मार्ग में अवरोध नहीं डालेगा, जो चिन्हित चैनल के भीतर ही केवल सुरक्षित नौचालन कर सकता है।
- (ii) मछली पकड़ने में शामिल जलयान नाव्य चैनल में किसी अन्य जलयान के मार्ग में रूकावट नहीं डालेगा।
- (iii) कोई जलयान नाव्य चैनल को पार नहीं करेगा यदि ऐसे पार करने से नाव्य चैनल के धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चलने वाले जलयानों को अवरोध होता हो।
- (iv) मोड़ के निकट अथवा संकरे चैनल के क्षेत्र में, जहाँ अन्य जलयान अन्तर्निहित रूकावट के कारण अदृश्य हो सकता है, वहां नौचालन विशेष सतर्कता और चौकसी के साथ उपयुक्त ध्वनि संकेत के साथ किया जाएगा।
- (v) प्रत्येक जलयान, यदि मामले की स्थिति ऐसी हो, संकरे चैनल में लंगर डालने से परहेज करेगा।

जब एकल पथ यातायात लागू हो, जलयान उस पथ में तभी जाएगा जब यातायात संकेतक ऐसा करने की अनुमति देता हो। पथ में रहते हुए जलयान अधिकतम अनुमान्य गति के साथ आगे बढ़ेगा और जल्द-से-जल्द चैनल खाली कर देगा। जलयान यातायात पथ में लंगर नहीं डालेगा अथवा नहीं रूकेगा और लंगर में इंतजार कर रहे जलयानों के साथ टक्कर से बचने के लिए एकल पथ में जाते अथवा निकलते समय सतर्क रहेगा।

भाग- ख

एक दूसरे को दिखाई देने पर जलयानों का संचालन

70. चलंत जलयान:-

जब दो चलंत जलयान एक दूसरे को दिखाई देता है अथवा एक दूसरे के निकट इस प्रकार आता है कि टक्कर का खतरा उत्पन्न हो जाये तो उसमें से एक दूसरे के मार्ग से इस प्रकार बाहर होगा कि-

- (i) किसी गैर ज्वारीय नदी में, जब एक जलयान धारा की विपरीत दिशा में और दूसरा जलयान धारा की दिशा में आगे बढ़ता है तो धारा के विपरीत चलने वाला जलयान दूसरे जलयान के मार्ग से बाहर रहेगा।
- (ii) जब दोनों जलयान धारा की विपरीत अथवा धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, तो किसी ज्वारीय लागून में हवा की दिशा में चलने वाला जलयान दूसरे जलयान को मार्ग देगा।
- (iii) जो जलयान स्वतंत्र चल रहा है, वह तने पाल वाले जलयान के मार्ग से बाहर रहेगा।
- (iv) पोर्ट (बाये) के मार्ग पर तने पाल वाले चल रहा जलयान, स्टारबोर्ड (दाये) मार्ग पर चल रहा तने पाल वाला जलयान के मार्ग से बाहर रहेगा।
- (v) इन नियमों के निमित्त 'अपस्ट्रीम' धारा की विपरीत की दिशा और 'डाउनस्ट्रीम' धारा की दिशा मानी जाएगी। "अनुवात गमन दिशा" मुख्य नौचालन अथवा विशाल मस्तूल वाले नाव के विपरीत दिशा में माना जाएगा।

71. अन्य जलयान से आगे निकलना:-

- (i) इन नियमावली में किसी बात के रहते हुए भी, यदि कोई जलयान दूसरे जलयान से आगे बढ़ता है, तो वह जिस जलयान से आगे बढ़ता है, उसके मार्ग से अलग रहेगा।
- (ii) एक जलयान को दूसरे जलयान से आगे बढ़ा हुआ तभी माना जाएगा जब अपने दण्ड के पीछे की दिशा से 22.5 से अधिक डिग्री से दूसरा जलयान आ रहा हो। ऐसी स्थिति में जिस जलयान से आगे बढ़ रहा है, उसके संदर्भ में रात्रि को वह केवल उस जलयान का स्टर्न लाईट/टोईंग लाईट देख पाएगा किन्तु उसका कोई साईड लाईट नहीं देख जायेगा।
- (iii) इन नियमों के अधीन, दो जलयानों के बीच किसी प्रकार के उत्तरोत्तर बदलाव या वहन से आगे बढ़ने वाले जलयान को पार करने वाला जलयान नहीं माना जाएगा अथवा उसे जलयान से आगे बढ़ने के कारण मार्ग से बाहर होने के उत्पन्न दायित्व से तब तक मुक्त नहीं माना जाएगा जब कि वह अंतिम रूप से काफी आगे नहीं बढ़ जाता है।

72. आमने-सामने स्थिति:-

यदि दो यंत्र नोदित जलयान एक दूसरे के आमने-सामने हों अथवा करीब-करीब पारस्परिक मार्गों में मिलने के कारण एक दूसरे से टक्कर का खतरा उत्पन्न हो जाये तो उसके निवारण के लिए हरेक जलयान अपने स्टारबोर्ड (दाये) के तरफ अपना मार्ग बदलेगा, जिससे कि प्रत्येक दूसरे के पत्तन तरफ से होकर निकल जाये।

73. पारगमन की स्थिति:-

जब दो यंत्र नोदित जलयान एक दूसरे को पार करता है, और टक्कर का खतरा उत्पन्न होता है, शीर्षांतर के तरफ के जलयान दूसरी ओर के जलयान को मार्ग देगा और यदि ऐसी परिस्थिति हो तो वह दूसरे जलयान से आगे नहीं बढ़ेगा।

74. मार्ग देने वाले जलयान द्वारा कार्रवाई:-

हरेक जलयान, जो इन नियमों द्वारा दूसरे जलयान के मार्ग से अलग रहने के लिये निदेशित है, जहाँ तक संभव हो, दूसरे जलयान को निर्बाध मार्ग देने के लिए शीघ्र तथा ठोस कार्रवाई करेगा।

75. खड़े जलयान द्वारा कार्रवाई:-

- (i) (क) जहाँ, इनमें से किसी नियम द्वारा दो में से किसी एक जलयान को दूसरे के मार्ग से अलग रहना है तो दूसरा अपना गति और मार्ग बनाए रखेगा।
(ख) दूसरा जलयान किसी भी तरह से सिर्फ अपने कौशल द्वारा टक्कर निवारण करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा, जैसे ही उसे स्पष्ट हो जाता है कि मार्ग से अलग होने वाला जलयान, इन नियमावली के द्वारा यथापेक्षित मार्ग से बाहर जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहा है।
- (ii) जब किसी कारण से अपनी चाल और मार्ग को बनाए रखने वाले जलयान अपने को इतना नजदीक पाता है कि केवल मार्ग देने वाले जलयान की कार्रवाई द्वारा टक्कर का निवारण नहीं हो सकता है तो वह टक्कर निवारण के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
- (iii) इस नियम के उप-नियम 1 (ख) के अनुसार पारगमन की स्थिति में, दूसरे जलयान के टक्कर से बचने के लिए जो जलयान कार्रवाई करता है, वह परिस्थिति के अनुसार पोर्ट (बाये) की दिशा में दूसरे जलयान के लिए अपना मार्ग नहीं बदलेगा।
- (iv) इस नियमावली के अधीन मार्ग देने वाले जलयान मार्ग से हटने की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो जाता है।

76. जलयान (के बीच) की जिम्मेदारी:-

- (i) कोई चलंत यंत्र नोदित जलयान निम्न के मार्ग से बाहर रहेगा-
(क) जलयान नियंत्रण में नहीं है;

- (ख) जलयान के परिचालन की क्षमता बाधित है;
- (ग) जलयान मछली पकड़ने में लगा है;
- (घ) कोई चलंत जलयान, चप्पूवाली नौकी अथवा देशी नौका; और
- (ङ.) धारा की दिशा में चलने वाले जलयान को धारा की विपरीत दिशा में चलने वाले जलयान द्वारा, यदि विद्यमान परिस्थिति में ऐसा करने की अनुमति हो।
- (ii) कोई चलंत जलयान निम्न मार्ग से बाहर रहेगा-
 - (क) जलयान नियंत्रण में नहीं है;
 - (ख) जलयान के परिचालन की क्षमता बाधित है;
 - (ग) जलयान मछली पकड़ने में लगा है;
- (iii) मछली पकड़ने में शामिल जलयान, मार्ग में, यथासंभव निम्न जलयान के रास्ता से बाहर रहेगा-
 - (क) जलयान नियंत्रण में नहीं है;
 - (ख) जलयान का परिचालन क्षमता बाधित है;

भाग-ग

77. सीमित दृश्यता में जलयान का संचालन:-

- (i) एक जलयान को दूसरा जलयान दृश्यमान नहीं होने पर यह नियम लागू होगा, जब सीमित दृश्यता के क्षेत्र में या उसके नजदीक नौचालन होता है;
- (ii) हरेक जलयान नियमों के अनुसार समुचित श्रव्य संकेत देगा और सीमित दृश्यता में नौचालन करते समय प्रकाश देगा;
- (iii) सीमित दृश्यता की विद्यमान स्थिति में हरेक जलयान सुरक्षित गति से आगे बढ़ेगा। यंत्र नोदित जलयान तुरंत चाल परिवर्तन के लिए अपना इंजन तैयार रखेगा;
- (iv) हरेक जलयान, इस भाग के नियम का अनुपालन करते समय, सीमित दृश्यता की स्थितियों और परिस्थितियों पर उचित ध्यान देगा;
- (v) ऐसी स्थिति को छोड़कर, जहाँ यह निश्चित है कि टक्कर का खतरा नहीं है, हरेक जलयान जिसे स्पष्ट सुनाई पड़ता है, वह दूसरे जलयान को कोहरा संकेत देगा अथवा जो सन्निकट होने से बचने में असमर्थ है, वह अपनी बीम आगे बढ़ायेगा, चाल घटाएगा और आवश्यक होने पर मार्ग से बाहर हो जायेगा तथा टक्कर का खतरा समाप्त होने तक अत्यधिक सावधानी के साथ नौचालन करेगा।

78. प्रकाश और आकृति:-

- (i) इस नियम के प्रावधान सभी मौसम में लागू होंगे।

- (ii) प्रकाश से संबंधित नियम सूर्यास्त से सूर्योदय तक लागू होंगे और ऐसे समय के दौरान, केवल ऐसे प्रकाश को छोड़कर, जिससे इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकाश का दिग्भ्रम नहीं होता है, दृश्यता अथवा विशिष्ट पहचान प्रभावित नहीं होता है अथवा उचित खोज करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, कोई अन्य प्रकाश नहीं दिखाई जायगी।
- (iii) इन नियमों द्वारा निर्धारित प्रकाश, यदि ले जाना संभव हो, सीमित दृश्यता में सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी दिखाई जायगी और अन्य सभी परिस्थितियों में, जब यह आवश्यक समझा जाए, दिखाया जा सकता है।
- (iv) दिन में आकृति से संबंधित नियमों का अनुपालन किया जायगा।
- (v) प्रकाश और आकृति के स्थान एवं तकनीकी विवरण के संदर्भ में इन नियमों में यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो तो समुद्र में टक्कर निवारण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन के अनुलग्नक-1 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायगा।

79. जलयानों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकाश:-

- (i) जलयान के अग्र और पश्च सेण्टर लाईन पर स्थित “मास्टर हेड लाईट” नामक एक श्वेत प्रकाश 225 डिग्री के आर्क होराइजन पर अविच्छिन्न प्रकाश देने वाला और इस प्रकार स्थित होगा कि जलयान के दोनों ओर आगे से 22.5 डिग्री बीम के पीछे तक प्रकाशित करेगा। यह प्रकाश, जहाँ तक प्रासंगिक होगा, 20 मी० अथवा उससे अधिक की लम्बाई के जलयान के हल के ऊपर, जिसकी उंचाई 3 मी० से कम न होगी और 20 मी० से कम लम्बाई के जलयान के हल के 2 मी० ऊपर स्थित होगा।
- (ii) स्टारबोर्ड (दायाँ) की तरफ हरा प्रकाश और पोर्ट (बायाँ) की तरफ लाल प्रकाश “साईड लाईट” है, जिसमें से प्रत्येक 112.5 डिग्री के आर्क होराइजन पर एक अविच्छिन्न प्रकाश देगा और इस प्रकार स्थित होगा कि सामने से 25 डिग्री बीम के पीछे तक प्रकाशित करेगा। 20 मी० से कम लम्बाई के किसी जलयान में साईडलाईट को एक लालटेन के साथ जलयान के अग्र और पश्च सेण्टर लाईन के साथ रखा जा सकता है। साईडलाईट को मस्तूल शीर्ष प्रकाश के 1 मी० से कम नीचे नहीं रखा जाएगा।
- (iii) “स्टर्न लाईट” यथासंभव स्टर्न पर स्थित एक श्वेत प्रकाश है, जो 135 डिग्री के आर्क होराइजन पर लगातार प्रकाशित होगा और स्टर्न के आसन्न इस प्रकार स्थित होगा कि जलयान के दोनों ओर पश्च प्रकाश से 67.5 डिग्री लाईट दिखाएगा।
- (iv) “टोईंग लाईट” एक पीला प्रकाश है जो इस नियम की उप-नियम (3) में उल्लिखित ‘स्टर्न लाईट’ के समान विशेषता रखता है।
- (v) “ऑल राउंड लाईट” 360 डिग्री के आर्क होराइजन पर लगातार चमकने वाला प्रकाश है।
- (vi) “फ्लैशिंग लाईट” नियमित अंतराल पर चमकने वाला प्रकाश है।

80. प्रकाश की दृश्यता:-

इन नियमों में निर्धारित प्रकाश निम्नलिखित न्यूनतम दूरियों तक प्रकाशित करेगा-

- (i) 20 मी० अथवा उससे अधिक लम्बाई के जलयान, मस्तूल शीर्ष लाईट 3 मील, साईड लाईट 2 मील, स्टर्न लाईट 2 मील, टोईंग लाईट 2 मील, ऑल राउंड लाईट 1 मील।
- (ii) 20 मी० से कम लम्बाई के जलयान में मस्तूल शीर्ष लाईट 2 मील तक, साईड लाईट 1 मील तक, स्टर्न लाईट 1 मील तक, श्वेत, लाल, हरा अथवा पीला ऑल राउंड लाईट 1 मील तक प्रकाशित करेगा।

81. चलंत यंत्र नोदित जलयान द्वारा दिखाए जाने वाले प्रकाश:-

(i) कोई चलंत यंत्र नोदित जलयान निम्नलिखित लाईट प्रदर्शित करेगा-

- (क) एक अग्र मस्तूल शीर्ष लाईट (मास्ट-हेड);
- (ख) साईड लाईट;
- (ग) एक स्टर्न लाईट;

(ii) पैरा (1) में निर्धारित प्रकाश के बदले में 10 मी० से कम लम्बाई का कोई यंत्र नोदित जलयान एक ऑल राउंड श्वेत प्रकाश प्रदर्शित कर सकता है और प्रासंगिक होने पर साईड लाईट अथवा संयुक्त लालटेन भी हो सकता है।

82. टोईंग ओर पुशिंग जलयान द्वारा दिखाए जाने वाले प्रकाश:-

(i) टोईंग अथवा पुशिंग के दौरान कोई यंत्र नोदित जलयान प्रदर्शित करेगा-

- (क) उध्वाधार लाईन में दो मस्तूल शीर्ष लाईट, जब दोनों के बीच लम्बाई 200 मी० से अधिक हो, ऐसे प्रकाश ऊर्ध्वधार दिशा में हो। ये प्रकाश नियम 81 (1)(क) में निर्धारित प्रकाश के बदले होगा। ये प्रकाश 1 मी० से कम अलग नहीं होगा और सबसे नीचे का प्रकाश हल के उपर 2 मी० से कम उंचाई पर नहीं होगा।

(ख) साईड लाईट;

(ग) एक स्टर्न लाईट;

(घ) स्टर्न लाईट से उपर ऊर्ध्वधार दिशा में एक टोईंग लाईट;

(ii) जब पुशिंग जलयान और आगे से पुशिंग हो रहे जलयान संयुक्त ईकाई के रूप में सम्बन्ध है, तो उसे यंत्र नोदित जलयान के रूप में माना जाएगा और वह नियम 106 में निर्धारित प्रकाश दिखाएगा।

(iii) टोईंग किया जा रहा कोई जलयान अथवा वस्तु प्रदर्शित करेगा -

(क) साईड लाईट;

(ख) एक स्टर्न लाईट;

बशर्ते टोईंग अथवा पुशिंग किए जा रहे जलयानों की कोई भी संख्या को एक समूह में एक जलयान के रूप में प्रकाशमान किया जाएगा।

- (iv) आगे की ओर धक्का दिए गए जलयान, जो कि संयुक्त इकाई का भाग नहीं है, वह आगे की ओर अंतिम छोर पर साईड लाईट देगा।
- (v) बगल की ओर खींचे जाने वाले जलयान अंतिम छोर के साईड लाईट पर स्टर्न लाईट प्रदर्शित करेगा।
- (vi) जहाँ, किसी पर्याप्त कारण से, खींचे जाने वाले जलयान या वस्तु के द्वारा इस नियम में निर्धारित प्रकाश को प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है तो कम से कम अप्रदीप्त जलयान अथवा वस्तु की उपस्थिति को इंगित करने के लिए खींचे गए जलयान अथवा वस्तु को प्रकाशित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।

83. पाल जलयान और चप्पू जलयान द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले प्रकाश:-

(i) पाल जलयान प्रदर्शित करेगा-

(क) साईड लाईट;

(ख) स्टर्न लाईट;

(ii) 20 मी० से कम लम्बाई के किसी पाल जलयान में पैराग्राफ (1) में निर्धारित प्रकाश को मस्तूल के निकट अथवा उसके शिखर पर एक लालटेन के रूप में संयुक्त किया जा सकेगा, जहाँ उसे देखा जा सके।

(iii) इस नियम के पैराग्राफ (1) में निर्धारित प्रकाश के अतिरिक्त कोई चलत पाल जलयान मस्तूल के निकट अथवा उसके शिखर पर जहाँ उन्हें उपर की ओर लाल और नीचे की ओर हरा एक ऊर्ध्वधार लाईन में दो ऑल राउंड लाईट प्रदर्शित किया जा सकता है।

(iv) 10 मी० से कम लम्बाई के चलत जलयान/चप्पू जलयान इस नियम में निर्धारित प्रकाश प्रदर्शित कर सकेगा, किन्तु यदि वह नहीं ऐसा करता है तो उसे श्वेत प्रकाश दिखाने के लिये एक विद्युत टॉर्च अथवा प्रकाशित लालटेन तैयार रखना होगा जिससे कि काफी समय रहते टक्कर का निवारण किया जा सके।

84. मछली पकड़ने वाले जलयान द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले प्रकाश:-

(i) मछली पकड़ने में शामिल जलयान प्रदर्शित करेगा-

(क) ऊर्ध्वधार लाईन में दो ऑल राउंड लाईट, उपर वाला लाल और नीचे वाला श्वेत और दो शंकुओं से बनी आकृति के रूप में जिनके शिखर एक साथ ऊर्ध्वधार दिशा में अथवा किसी टोकरी के रूप में हो।

(ख) जलगामी होते समय (क) में निर्धारित प्रकाश के अतिरिक्त साईड लाईट और एक स्टर्न लाईट होगा।

(ii) 10 मी० से कम लम्बाई के कोई जलयान/चप्पू जलयान लालटेन दिखाएगा और एक विद्युत टॉर्च तैयार रखेगा ताकि काफी समय रहते टक्कर का निवारण किया जा सके।

85. अनियंत्रित अथवा प्रतिबंधित गति के जलयानों द्वारा दिखाए जाने वाले प्रकाश:-

(i) अनियंत्रित जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा-

(क) ऊर्ध्वधार दिशा में दो ऑल राउंड लाल प्रकाश, जहाँ उन्हें रात्रि में आसानी से देखा जा सके।

(ख) दिवस भर ऊर्ध्वधार दिशा में दो बॉल अथवा सदृश्य आकृतियाँ।

(ग) जलगामी होते समय उप-नियम (क) में निर्धारित प्रकाश के अतिरिक्त साईड लाईट और एक स्टैम लाईट।

(ii) चाल में प्रतिबंधित जलयान प्रदर्शित करेगा-

- (क) ऊर्ध्वधार दिशा में तीन ऑल राउंड लाईट, जिसमें से सबसे उपर वाला और सबसे नीचे वाला लाल होगा और बीच वाला श्वेत होगा।
- (ख) ऊर्ध्वधार दिशा में तीन आकृतियाँ जिसमें से सबसे उपर और सबसे नीचे बॉल होंगे और बीच में एक डायमंड होगा।
- (ग) जलगामी होते समय उप-नियम(क) में निर्धारित प्रकाश के अलावा मस्तूल शीर्ष प्रकाश, साईडलाईट और स्टर्न लाईट।
- (घ) लंगर पर रहते समय उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्धारित प्रकाश और आकृति के अतिरिक्त लंगर पर रखे गए जलयानों के लिए नियम 82 में निर्धारित प्रकाश और आकृति भी प्रदर्शित होगा।

86. ड्रेजिंग में शामिल जलयानों द्वारा प्रदर्शित प्रकाश:-

ड्रेजिंग में शामिल जलयान नियम 85 (2) में प्रकाश के अतिरिक्त, दो ऑल राउंड लाल प्रकाश अथवा दो बॉल ऊर्ध्वधार दिशा में, साईड इंगित करने के लिए, प्रदर्शित करेगा, जहाँ पर अवरोध विद्यमान है।

87. पायलट जलयानों द्वारा दिखाए जाने वाला प्रकाश:-

पायलट कार्य पर लगे जलयान प्रदर्शित करेगा -

- (i) मस्तूल शीर्ष पर अथवा निकट दो ऑल राउंड प्रकाश ऊर्ध्वधार दिशा में, जिसमें उपर वाला श्वेत और नीचे वाला लाल होगा।
- (ii) जलगामी होने पर इसमें अतिरिक्त साईड लाईट ओर स्टर्न लाईट।

88. लंगर पर स्थित जलयान और भूमि पकड़े हुए जलयान द्वारा दिखाए जाने वाले प्रकाश:-

(i) लंगर पर रखे गए जलयान प्रदर्शित करेगा-

- (क) अग्र भाग में एक ऑल राउंड श्वेत प्रकाश अथवा दिन में एक बॉल;
- (ख) स्टर्न पर अथवा उसके निकट और (क) में विहित प्रकाश से नीचे स्तर पर एक ऑल राउंड श्वेत प्रकाश;

(ii) 20 मी० से कम लम्बाई का जलयान एक ऑल राउंड श्वेत प्रकाश प्रदर्शित कर सकेगा है, जहाँ उसे आसानी से देखा जा सके।

(iii) भूमि पकड़े हुए जलयान उप-नियम (1) अथवा (2) में निर्धारित प्रकाश के अतिरिक्त निम्न प्रकाश प्रदर्शित करेगा जहाँ उसे आसानी से देखा जा सके -

- (क) ऊर्ध्वधार लाईन में दो ऑल राउंड लाल प्रकाश;
- (ख) दिन में ऊर्ध्वधार लाईन में तीन बॉल।

(iv) 10 मी० से कम लम्बाई का जलयान/चप्पू जलयान लालटेन दिखाएगा और विद्युत टॉर्च तैयार रखेगा ताकि काफी समय पहले टक्कर के निवारण किया जा सके।

89. हाइड्रोफॉयल और यांत्रिक देशी यान द्वारा दिखाए जाने वाले प्रकाश:-

जहाँ किसी यांत्रिक देशी यान या हाइड्रोफॉयल द्वारा नियम में निर्धारित स्थिति अथवा विशिष्ट प्रकाश और आकृति को प्रदर्शित करना संभव नहीं है, वह यथासंभव स्थिति और विशिष्टता के अनुरूप प्रकाश और आकृति प्रदर्शित करेगा।

90. ध्वनि संकेतक:-

ध्वनि संकेतक उपकरण, के संदर्भ में जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, समुद्र में टक्कर निवारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन(1972) के अनुलग्नक III के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

91. ध्वनि संकेतक के लिए उपकरण:-

20 मी० से अथवा उससे अधिक लम्बाई के जलयान को एक व्हिस्ल और एक बेल (घंटी) उपलब्ध कराया जाएगा और 100 मी० अथवा उससे अधिक लम्बाई के जलयान को इसके अतिरिक्त एक गौंग उपलब्ध कराया जाएगा।

92. चाल नियंत्रण और चेतावनी संकेतक:-

(i) जब एक जलयान दूसरे जलयान के दृष्टिगत होता है तो जलगामी यंत्र नोदित जलयान इन विनियमों के द्वारा यथा आवश्यक और प्राधिकृत चाल नियंत्रण व्हिस्ल पर निम्नलिखित संकेतकों द्वारा अभिप्राय इंगित करेगा-

(क) “इंगित करने के लिए एक छोटा धमाका (करीब एक सेकंड की अवधि का धमाका) में अपना मार्ग स्टारबोर्ड (दाये) की ओर परिवर्तित कर रहा हूँ।

(ख) “मैं पोर्ट (बाये) की ओर मार्ग परिवर्तित कर रहा हूँ” इंगित करने के लिए दो छोटा धमाका।

(ग) “मैं स्टर्न प्रणोदन का प्रचालन कर रहा हूँ”। इंगित करने के लिए तीन छोटा धमाका।

(ii) अन्य यान से आगे निकलने वाला जलयान-

(क) “मैं आपके स्टारबोर्ड (दाये) भाग से आपके यान से आगे बढ़ने का इरादा रखता हूँ” इंगित करने के लिए दो दीर्घकालिक धमाका (करीब चार से छः सेकंड की अवधि का प्रत्येक धमाका) के बाद एक छोटा धमाका।

(ख) “मैं आपके पोर्ट (बाये) भाग से आपके यान से आगे बढ़ने का इरादा रखता हूँ” इंगित करने के लिए दो दीर्घकालिक धमाका के बाद दो छोटा धमाका।

(ग) जिस जलयान से आगे बढ़ा जा रहा है, वह अपनी स्वीकृति निम्नलिखित संकेतकों अथवा विह्वल द्वारा इंगित करेगा, एक दीर्घकालिक, एक छोटा, एक दीर्घकालिक, एक छोटा धमाका के क्रम में। संदेह की स्थिति में उपनियम (3) में निर्धारित ध्वनि संकेतक दे सकेगा।

(iii) संदेह होने पर-जब एक दूसरे को दिखाई देने वाला जलयान एक दूसरे के निकट आता है और किसी कारण से कोई जलयान दूसरे जलयान के इरादा अथवा कार्रवाई को समझने में असफल हो जाता है अथवा संदेह में रहता है कि दूसरे जलयान द्वारा टक्कर निवारण के लिए कार्रवाई की जा रही है तो संदेह में रहने वाला जलयान तुरंत कम से कम 5 छोटा और रैपिड फ्लैश प्रकाश संकेत और ध्वनि संकेत देकर शंका इंगित करेगा।

(iv) मोड़ पर-मोड़ के निकट अथवा किसी चैनल का कोई क्षेत्र जहाँ अन्य जलयान अदृश्य हो सकता है, कोई जलयान एक लंबा धमाका करेगा। ऐसे संकेतक को जवाब आसन्न जलयान द्वारा दीर्घकालिक धमाका द्वारा दिया जाएगा।

93. प्रतिबंधित दृश्यता में ध्वनि संकेतक:-

प्रतिबंधित दृश्यता के निकट अथवा क्षेत्र में, दिवस अथवा रात्रि दोनों में इन नियमों में निर्धारित संकेतक निम्न प्रकार प्रयुक्त होगा-

- (i) जलगामी यंत्र नोदित जलयान एक दीर्घकालिक धमाका करेगा, जो 2 मिनट से अधिक समय के अंतराल पर नहीं होगी।
- (ii) अपने मार्ग पर प्रशस्त परन्तु रुका हुआ यंत्र नोदित जलयान करीब 2 सेकंड के अंतराल पर लगातार दो दीर्घकालिक धमाका करेगा जो 2 मिनट से अधिक समय के अंतराल पर नहीं होगी।
- (iii) अनियंत्रित जलयान, चाल में प्रतिबंधित जलयान, ड्रॉट द्वारा प्रतिबंधित जलयान, टोईंग, मछली पकड़ने अथवा दूसरे जलयान को धक्का देने में शामिल जलयान एक दीर्घकालिक धमाके के बाद दो छोटे धमाके जैसे लगातार तीन धमाका होगा जो दो मिनट से अधिक अंतराल पर नहीं होगा।
- (iv) लंगर पर खड़े जलयान करीब 5 सेकंड तक लगातार घंटी बजायेगा जो 1 मिनट से अधिक अंतराल पर नहीं होगा। लंगर पर खड़ा जलयान, इसके अतिरिक्त, अपनी स्थिति से संबंधित चेतावनी और आसन्न जलयानों के टक्कर की संभावना से बचने के लिए तीन लगातार धमाका एक छोटा, एक दीर्घकालिक और एक छोटा धमाका करेगा। भूमि पकड़े हुए जलयान लगातार घंटी बजने से पहले और बाद में घंटी पर तीन अलग-अलग और भिन्न स्ट्रोक लगाएगा।

- (v) 10 मी० से कम लम्बाई के जलयान को उपर्युक्त उल्लिखित संकेत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किन्तु वह 2 मिनट से कम अंतराल पर कुछ अन्य प्रभावी ध्वनि संकेत करेगा।

94. आपदा संकेत:-

जब कोई जलयान आपदा में है और उसे अन्य जलयानों अथवा तट से मदद की आवश्यकता है तो निम्नलिखित संकेतक का उपयोग या प्रदर्शन जलयान द्वारा अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से किया जाएगा -

- (i) किसी ध्वनि संकेतक उपकरण से लगातार ध्वनि निकालना;
- (ii) ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी वृत्ताकार रूप में पताका या प्रकाश घूमाना;
- (iii) डेक पर तेज रौशनी बिखेरना;
- (iv) “रेडियो टेलिफोनी” द्वारा आपात्संकेत (मे डे) का प्रसारण;
- (v) जलयान पर संकेतक “एनसी” के अंतर्राष्ट्रीय कोड को फहराना।

95. छूट:-

कोई जलयान (अथवा जलयानों की श्रेणी) जिसका कील इन नियमों के लागू होने के प्रविष्टि होने से पूर्व विनिर्माण के चरण में था, उसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन से, इन नियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए छूट दी जा सकती है -

- (i) नियम 78 (5) में यथा निर्धारित रंग विवरण और तीव्रता सहित प्रकाशों का स्थापन।
- (ii) नियम 79 के निर्देशन के फलस्वरूप जलयानों पर मस्तूल शीर्ष प्रकाश और साईड लाइट का पुनर्स्थापन।
- (iii) नियम 80 में निर्धारित दूरियों सहित प्रकाश का स्थापन।

96. पत्तन नियमावली और राष्ट्रीय जलमार्ग विनियमावली के प्रावधानों का अनुप्रयोग:-

ऊपर उल्लिखित किसी बात के रहते हुए भी, राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए पत्तन नियमावली और टक्कर निवारण विनियमन 2002 के प्रावधान यंत्र नोदित जलयानों पर जलयात्रा के दौरान पत्तन सीमा के भीतर और राष्ट्रीय जलमार्गों पर सम्पूर्ण ता में लागू होंगे।

अध्याय : 13.0

जलमार्गों पर सुरक्षा उपाय

97. खतरनाक माल की ढुलाई:-

जलयान पर जलमार्ग से किसी भी खतरनाक माल की ढुलाई सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन और सुरक्षा संबंधी अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। खतरनाक माल की ढुलाई

से संबंधित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधान सभी श्रेणियों पर लागू होंगे।

98. विस्फोट अथवा अग्नि का निवारण:-

सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और सुरक्षा संबंधी अनुमति और भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के प्रावधानों के अधीन यथा आवश्यक विस्फोटक नियंत्रक की अनुमति के बिना जलयान पर किसी विस्फोटक सामग्री को लदाई, भंडारण अथवा ढुलाई नहीं की जायेगी।

99. तेल/रसायन/खतरनाक नौभार इत्यादि के कारण बंदरगाह, पत्तन और जलमार्ग पर प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधान अन्तर्देशीय जलयानों के लिए मार्गदर्शक मापदण्ड होंगे और इन नियमों के तहत इनका अनुप्रयोग होगा।

100. पुल होकर पार करना:-

जब कोई जलयान किसी पुल के नीचे से गुजरता है, तो मस्तूल की ऊँचाई अथवा गिरे हुए मस्तूल की ऊँचाई और उसका व्हील हाउस/अधिरचना जलमार्ग स्तर और सड़क पुल की ऊँचाई के बीच से कम होगी। इस जलयान की गति विद्यमान मौसम की स्थितियों और अनुभव होने वाली धाराओं के संदर्भ में विनियमित होगी।

101. कुछ परिस्थितियों में गति में कटौती:-

- (i) हरेक जलयान, खड़े अथवा अन्य चलत जलयान अथवा अधिरचना और तट को संभावित खतरे से बचाने के लिए अत्यधिक बहाव अथवा खिंचाव उत्पन्न करने से बचने के लिए गति विनियमित करेगा।
- (ii) खासकर, जलयान समय रहते गति कम करेगा परन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि स्टीयरिंग प्रभावित न हो-
 - (क) पत्तन प्रवेश द्वार से बाहर;
 - (ख) तट से बंधे जलयानों के निकट अथवा नौभार चढ़ाने अथवा उतारने के स्थान के निकट;
 - (ग) रुकने वाले सामान्य स्थानों पर जलयानों के निकट।

102. जलयान का मार्ग से विचलन:-

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए बिना अन्तर्देशीय जलमार्ग में जलयान का मार्ग से विचलन निषिद्ध है।

103. नाव्य चैनल को पार करना:-

नाव्य चैनल को पार करते समय फेरी जलयान, नाव्य चैनल की दिशा में गतिमान जलयानों अथवा बेड़ा से स्वयं को इतनी दूरी पर बनाए रखेगा जिससे कि जलयानों को या बेड़ों को मार्ग बदलने अथवा गति कम करने के लिए बाध्य होना नहीं पड़े।

परन्तु, फेरी जलयानों को विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नाव्य चैनल पार करने की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे जलयान रात्रि में हरा ऑल राउंड प्रकाश और दिन में हरा ध्वज लगाएगा और परिस्थिति के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाएगा।

104. खड़े जलयान:-

सभी खड़े जलयान, बेड़ा और उत्पलावक उपकरण निश्चित रूप से लंगर पर अथवा मजबूती से इस प्रकार बंधे होने चाहिए कि वे धारा की वेग को सह सके और जल स्तर में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप व्यवस्थित हो सके।

105. मास्टर अथवा स्वामी को निर्देश:-

(i) हरेक जलयान किसी मास्टर के प्रभार में होगा जो अर्हित होगा और इस नियमावली के तहत प्रमाणपत्र धारित करेगा। मास्टर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्वामी के साथ सामूहिक रूप से किसी अथवा सभी नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा। मास्टर/स्वामी की जिम्मेदारी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) सतर्कता बरतने और जलयान को होने वाली क्षति से बचाने के लिए, जलमार्ग में स्थापन और नौवहन और नौचालन को निर्बाध बनाने के लिये आवश्यक सावधानी बरतना;

(ख) आसन्न खतरे से बचने के लिए परिस्थिति (नाविक के सामान्य परंपरा के अनुसार) अनुसार सभी आवश्यक उपाय किए जाना, भले ही इन विनियमों से भिन्न हो;

(ग) जलयान और उसके कर्मीदल तथा नौकर्षण में जलयान के लिए लागू नियमावली अथवा विनियमावली के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होना, जब जलयान दूसरे जलयान को खींचने में शामिल हो;

(घ) मास्टर/स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि क्षेत्र विशेष में जलयात्रा अथवा सेवा देने के लिए लागू वैध सर्वेक्षण प्रमाणपत्र रखता है;

(ङ) मास्टर/स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान के पास वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है और यह भी कि किसी जलयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस जलयान के केवल विधि मान्य नौचालन के लिए ही प्रयुक्त होगा;

(च) मास्टर/स्वामी सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों द्वारा यथा अपेक्षित प्रचालन क्षेत्र और जलयान प्रकार के लिए पर्याप्त कर्मी दल है;

- (छ) मास्टर/स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मों दल के पास विधिमान्य सक्षमता/सेवा प्रमाणपत्र है;
- (ज) मास्टर/स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान पर ढुलाई किए जा रहे खतरनाक माल अथवा विस्फोटक सामग्री केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत करने के बाद और जलयान पर ऐसे माल अथवा सामग्री को ढोने के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के अनुसार अपनायी गयी प्रक्रिया और सुरक्षा सावधानी के अनुसार है;
- (झ) मास्टर जलयान के सामान/कर्मों दल की सूची, जलयान लॉग और इंजन लॉग का संधारण करेगा;
- (ञ) मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय जलयान अधिभारित नहीं है अथवा जलयान पर ढोने के लिए अभिप्रमाणित यात्रियों की संख्या से अधिक यात्री सवार नहीं है;
- (ट) स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान में कोई अनाधिकृत बदलाव नहीं किया गया है;
- (ठ) मास्टर/स्वामी सुनिश्चित करेगा कि जलयान अग्निशमन और यात्रियों को बचाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है और कर्मों दल आपात स्थिति से निबटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित है;
- (ड) स्वामी/मास्टर सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के अनुसार यथा आवश्यक लाईफ बोया, लाईफ जैकेट, लाईफ राफ्ट इत्यादि जैसे जीवन रक्षक उपकरण हरेक जलयान में उपलब्ध कर दिए गए हैं और उनको इस प्रकार रखा गया है कि आपात स्थिति में उनका उपयोग तेजी से किया जा सकेगा;
- (ढ) स्वामी तीसरी पार्टी जोखिम के विरुद्ध जलयान का बीमा सुनिश्चित करेगा;
- (ण) स्वामी/मास्टर जलयान के विनिर्माण की तिथि, सर्वेक्षण की तिथि, सर्वेक्षण की समाप्ति तिथि, यात्री और नौभार की क्षमता और कानून द्वारा यथा आवश्यक ऐसे अन्य विवरण उपदर्शित करेगा;
- (त) समय पर और गुणवत्ता अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित करना;
- (थ) अंतर्देशीय पोत का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु (प्रदुषण से बचाव और नियंत्रण एवं अंतर्देशीय जल का संरक्षण) नियमावली, 2016 भारत के राजपत्र अधिसूचना, दिनांक-13 जुलाई, 2016 में अधिसूचित है। यह भी सुनिश्चित करना कि कभी भी जलमार्ग में जलयान से अपशिष्ट जैसे गाद, कूड़ा, तैलीय पदार्थ इत्यादि का निष्कासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त और कहीं नहीं होगा ।

(ii) मास्टर अथवा जलयान का प्रभारी व्यक्ति निम्न स्थितियों में निकटतम सक्षम प्राधिकारी/पुलिस को तत्काल रिपोर्ट करेगा :

- (क) कोई जलयान जो दुर्घटनाग्रस्त, परित्यक्त अथवा क्षतिग्रस्त है;
- (ख) दुर्घटना/मृत्यु, गंभीर चोट कारक अपघात/दुर्घटना;
- (ग) आपत्ति में कोई अन्य जलयान दृष्टिगत होना;
- (घ) जलयान में आग लगना अथवा पानी भरना;
- (ङ.) किसी जलमार्ग स्थापन अथवा स्थाई अधिरचना को नुकसान;
- (च) किसी जलयान ने किसी अन्य जलयान को क्षति अथवा नुकसान पहुंचाया है; अथवा
- (छ) चार्ट में अप्रदर्शित बाधा का अवलोकन अथवा नौचालन संबंधी सहायताओं की असफलता;
- (ज) जलयान पर किसी वस्तु का गिर जाना जिससे नौचालन में बाधा अथवा खतरा हो सकता है;
- (झ) जलमार्ग में तेल का रिसना;
- (ञ) जलयान पर चोरी अथवा डकैती ।

(iii) मास्टर-

- (क) किसी जलयान अथवा बेड़ा को देखने पर जिसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण जलयान अथवा व्यक्तियों के जीवन को खतरा अथवा चैनल के बाधित होने का खतरा होता है, ऐसे जलयानों को अपने जलयान की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना तुरंत सहायता पहुंचायेगा;
- (ख) किसी सामुद्रिक अपघात के मामले में आसन्न जलयानों को समय रहते आवश्यक कार्रवाई करके चैनल से बाहर निकलने के लिए चेतावनी देगा, जब जलयान डूब रहा हो या नियंत्रण से बाहर हो गया हो।

(iv) जलयान पर तैनात सभी कर्मी दल ऐसे जलयान के मास्टर के आदेशों और नियंत्रण में होंगे।

मास्टर सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुशासन और सदाचरण का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है। कर्मीदल यात्रियों के मामले में दखल अंदाजी अथवा उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करेगा।

(v) जब जलयात्रा के दौरान मास्टर जलयान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, जलयान पर सवार सेरांग को मास्टर की शक्ति और जिम्मेदारी के प्रभार में माना जाएगा यदि मास्टर की ऐसी अनुपस्थिति एक दिन से अधिक होती है तो विधिवत रूप से सुयोग्य मास्टर की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी और इसकी सूचना शीघ्र सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

- (vi) जलयान के मास्टर अथवा प्रभारी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इन विनियमों के अनुपालन के सत्यापन करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

अध्याय : 14.0

अन्यान्य

106. कुछ अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के संबंध में नियम में संशोधन संबंधी राज्य सरकार की शक्ति:-

राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा इस नियम के सभी अथवा कुछ उपबन्धों को किसी विशेष वर्ग के यंत्र नोदित जलयान में नहीं लागू होने की घोषणा कर सकती है तथा इन नियमों को वैसे संशोधन के साथ लागू कर सकती है जो कि अधिसूचना में उल्लेखित हो।

107. इस नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित सभी तरह के शुल्कों में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार सरकार में निहित रहेगा।

108. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

यदि इस नियमावली के अंतिम रूप से प्रभावी होने में कोई कठिनाई आती है एवं इस कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो राज्य सरकार अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर इस तरह के संशोधन का प्रावधान कर सकती है।

अध्याय : 15.0

बीमा और अर्थदंड

109. यंत्र चालित नौका के बीमा के संदर्भ में अधिनियम का अध्याय VIA एवं अर्थदंड के संदर्भ में अधिनियम का अध्याय VII लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।

अनुसूची-I

[नियम 10(3)]

(राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क में परिवर्तन कर सकेगी)
अध्याय III के अधीन देय शुल्क
(रूपये में)

(क) प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण पर देय शुल्क निम्नानुसार होगा :-	
(i) 50 एम.टी.जी.आर.टी. के और तक के जलयान	1000.00
(ii) 50 एम.टी. से अधिक और 100 एम.टी.जी.आर.टी. तक के जलयान	2000.00
(iii) 100 एम.टी. से अधिक और 200 एम.टी.जी.आर.टी. तक के जलयान	4000.00
(iv) प्रत्येक अतिरिक्त 100 एम.टी.जी.आर.टी. अथवा उनके भाग	2000.00
(ख) किसी अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण हेतु जिसे वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।	2000.00
(ग) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यथा निदेशित नये ढंग से रजिस्ट्रीकरण	उपर्युक्त (क) के सापेक्ष इंगित दरों की पूरी रकम
(घ) किसी जलयान में किए गए बदलाव का रजिस्ट्रीकरण	1000.00
(ङ.) अनुकृति प्रमाणपत्र जारी करना	500.00
(च) उस राज्य में अथवा भिन्न राज्य में स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण रजिस्ट्रीकरण	उपर्युक्त (क) के सापेक्ष इंगित दरों की पूरी रकम
(छ) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील	1000.00
(ज) पर्यवेक्षण शुल्क :	
(i) ₹0 10 लाख की रकम तक की अनुमानित लागत - न्यूनतम 1 प्रतिशत 10000.0	10000.00
(ii) ₹0 10 लाख से 40 लाख तक की रकम की अनुमानित लागत(₹0 10000+10 लाख से ऊपर की रकम पर 0.5%)	(₹0 10000+ 10 लाख से ऊपर की रकम पर 0.5%)
(iii) ₹0 40 लाख की अनुमानित रकम के ऊपर(₹0	(₹0 25000.00+ 40

25000+40 लाख से ऊपर की रकम पर 0.25%)	लाख से ऊपर की रकम पर 0.25%)
--------------------------------------	--------------------------------

अनुसूची-II [नियम 27 देखें]

प्रथम श्रेणी इंजन चालक की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

निम्नलिखित विषयों पर एक पत्र (पेपर) की लिखित परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी। कुल पूर्णांक के 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा।

1. प्रारंभिक गणित

अंक

20

(क) जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव और साधारण भिन्न

(ख) संख्या के घात और मूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, सीधा और व्युत्क्रम विचरण, औसत।

(ग) आयत, त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल और परिमिति, बक्से की आकृति के वस्तु, बेलन, पिरामिड, शंकु और गोला का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, सिम्पसंस का प्रथम और द्वितीय नियम क्षेत्र निरूपक, प्रिज्मी; निरूपक का प्रयोग करते हुए सिम्पसंस के नियम द्वारा समुद्र/नदी/नहर जल के तल और नौकाओं के विस्थापन तथा विभिन्न ड्राउट के क्षेत्रफल का पता लगाना।

(घ) दिए गए सूत्र के उपयोग, दिए गए सूत्र के क्रम स्थापन सहित साधारण समीकरण के हल

(ड.) समुद्र जल और स्वच्छ जल में टीपीआई (कुल दबाव सूचकांक) की गणना करना।

(च) नौका का वहन क्षमता ज्ञात करना।

2. अभियांत्रिकी ज्ञान

अंक

20

खण्ड-क (सामान्य)

(i) मौलिक ईकाई, (ii) घनत्व और विशिष्ट घनत्व, (iii) बलों का समानांतर चतुर्भुज, (iv) बलों का त्रिभुज, (v) आघूर्ण और लीवर, (vi) समानांतर बल, (vii) गुरुत्व केन्द्र, (viii) दबाव और तनाव, (ix) घर्षण, (x) कार्य, (xi) तापमान स्केल, (xii) उष्मा और विशिष्ट उष्मा की मात्रा, (xiii) विद्युतीय मात्रा और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, (xiv) प्रतिरोध, (xv) ओम का नियम, (xvi) आमीटर/वोल्टमीटर विधि से प्रतिरोध की माप

खण्ड- ख (सामुद्रिक अभियांत्रिकी)

- (i) सामुद्रिक इंजन के कार्य सिद्धांत
- (ii) आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन में भेद
- (iii) मशीनरी के प्रधान कल-पुर्जों के नाम
- (iv) मशीनरी के विभिन्न कल-पुर्जों के ज्ञान, वाल्व, कॉक्स पाईप्स और कनेक्शन के प्रयोग और अनुरक्षण तथा सिलिंडर में प्रवाहित होने वाले वायु और ईंधन के विभिन्न तरीके;
- (v) त्रुटि के कारण और उपचार;
- (vi) मेरिन इंजनों के कल-पुर्जों को खोलकर ठीक करना;
- (vii) आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त विभिन्न ईंधनों के गुणों की प्रकृति;
- (viii) तैलीय वाष्प अथवा गैस, फ्लैश प्वाइंट के कारण आग और विस्फोट से पूर्व सावधानी;
- (ix) अग्निशमन साधित्र के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण;
- (x) विद्युत प्रकाश स्थापन और बैट्री स्थापन के अभिन्यास एवं कार्य;
- (xi) प्रणोदक, टेल शाफ्ट रडर और सी कन्क्शन, स्टर्न ट्यूब्स, शाफ्ट ब्रैकैट्स की मरम्मत सहित ड्राई डॉकिंग;
- (xii) शाफ्ट रेखांकन;
- (xiii) गति, किसी जलयान के लिए ईंधन और स्वच्छ जल की खपत से संबंधित गणना;
- (xiv) गन्दा पानी निकालने के लिए व्यवस्था;
- (xv) त्रुटि सूची तैयार करना;
- (xvi) जीवन रक्षक साधित्र के उपयोग और अनुरक्षण;
- (xvii) मशीन और इंजन के कल-पुर्जों का मुक्तहस्त रेखाचित्र खींचने में सक्षम;
- (xviii) प्रक्रिया अथवा इंजन लॉग बुक का अनुरक्षण।

3. अभियांत्रिकी आरेखण

अंक 20

आरेखण उपकरण का उपयोग, ब्लू प्रिन्ट पढ़ना और इंजन के विभिन्न भागों का रेखाचित्र खींचना ।

अनुसूची-III
[नियम 30(3) देखें]

अन्तर्देशीय जलयान के अभियंताओं की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

निम्नलिखित विषयों पर एक पत्र (पेपर) की लिखित परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी। कुल पूर्णांक के 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा।

1. प्रारंभिक गणित

अंक

20

(क) जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव और साधारण भिन्न

(ख) संख्या के घात और मूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, सीधा और व्युत्क्रम विचरण, औसत।

(ग) आयत का क्षेत्रफल और परिमिति, त्रिभुज और वृत्त, बक्से की आकृति के वस्तु, बेलन, पिरामिड, शंकु और गोला का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, सिम्पसंस का प्रथम और द्वितीय नियम, उपर्युक्त के उपयोग को शामिल करते हुए प्रायोगिक अनु प्रयोग। क्षेत्रफल निरूपक और प्रिज्मीय निरूपक का उपयोग करते हुए सिम्पसंस के नियम के द्वारा समुद्री जल और स्वच्छ जल में विभिन्न ड्राउट पर नौकाओं के विस्थापन और जल के तलका क्षेत्रफल ज्ञात करना।

(घ) दिए गए सूत्र के उपयोग, दिए गए सूत्र के क्रमस्थापन सहित साधारण समीकरण के हल

(ङ) समुद्र जल और स्वच्छ जल में टीपीआई टीपीसी की गणना करना।

(च) समुद्र जल से स्वच्छ जल में अथवा विलोमतः नौका के जाते समय ड्राफ्ट में परिवर्तन

(च) नौका का वहन क्षमता ज्ञात करना।

2. अभियांत्रिकी ज्ञान

अंक 20

खण्ड-क (सामान्य)

(i) मौलिक ईकाई, (ii) घनत्व और विशिष्ट घनत्व, (iii) बलों का समानांतर चतुर्भुज, (iv) बलों का त्रिभुज, (v) आघूर्ण और लीवर, (vi) सामानांतर बल, (vii) गुरुत्व केन्द्र, (viii) दबाव और तनाव, (ix) घर्षण, (x) कार्य, (xi) तापमान स्केल, (xii) उष्मा और विशिष्ट उष्मा की मात्रा, (xiii)

विद्युतीय मात्रा और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, (xiv) प्रतिरोध, (xv) (क) ओम का नियम, (ख) आमीटर/वोल्टमीटर विधि से प्रतिरोधकी माप

खण्ड- ख (सामुद्रिक अभियांत्रिकी)

अंक 40

(i) प्रारंभ और व्युत्क्रम व्यवस्था और सुरक्षा उपाय के विशेष संदर्भ में जलयान पर प्रयुक्त दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक आंतरिक दहन इंजन (सुपर चार्ज और प्राकृतिक रूप से ऐसपॉयरेटेड) के प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्य सिद्धांत ।

(ii) अन्तर्देशीय जलयानों पर मशीनरी में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों के सामान्य अनुप्रयोग और प्रयोग।

(iii) प्रेशर गॉज, थर्मामीटर, पाइरोमीटर और जलयानों पर सामान्यतया प्रयुक्त अन्य मापक उपकरणों की बनावट, प्रयोग और कार्य सिद्धांत।

(iv) सेन्ट्रीफ्यूगल बकेट और गियर टाईप पंप के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण/स्थापन।

(v) बिल्ज, बैलास्ट ओर ईंधन प्रणाली के अभिन्यास एवं सृजन।

(vi) स्टेयरिंग गियर के बनावट, प्रचालन और अनुरक्षण ।

(vii) सुरक्षा उपायों के खास संदर्भ में विद्युत प्रकाश और विद्युत शक्ति स्थापन के अभिन्यास और कार्य।

(viii) मौन्टिंग सहित स्टेयरिंग हवा के टैंकों की बनावट और देखरेख ।

(ix) प्रशीतक संयंत्र का निर्माण और प्रचालन ।

(x) निश्चित जलयात्रा के लिए ईंधन, ल्यूब्रीकेटिंग तेल और जल की खपत का आकलन।

(xi) प्रणोदक, टेल, शाफ्ट, रडर सामुद्रिक कनेक्शन, स्टर्न ट्यूब्स, शाफ्ट ब्रैकेट सहित ड्राई डॉकिंग से संबंधित कार्य।

(xii) जलयान निर्माण के तत्व।

(xiii) तैलीय वाष्प अथवा गैस, फ्लैश प्वाइंट के कारण आग और विस्फोट से पूर्वापाय बंकरिंग के दौरान तेल रिसाव के खतरों से पूर्वापाय।

(xiv) क्रैंक मामले में और वायु प्रणाली प्रारंभ में विस्फोट।

(xv) अग्निशमन साधित्रों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण।

(xvi) सुरक्षा से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का ज्ञान।

(xvii) अभ्यर्थी से मशीन और इंजन के कल-पुर्जों का मुक्त हस्त रेखाचित्र खींचने की अपेक्षा होगी।

(xviii) त्रुटिपूर्ण सूची की तैयारी और इंजन लॉगबुक अनुरक्षित करने की प्रक्रिया।

(xix) जीवन रक्षक साधित्रों के प्रयोग और अनुरक्षण ।

3. अभियांत्रिकी आरेखण

अंक 20

आरेखण उपकरण का उपयोग, ब्लू प्रिन्ट पढ़ना, मशीन और इंजन के विभिन्न भागों का रेखाचित्र खींचना।

अनुसूची-IV

[नियम 9]

(राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क में परिवर्तन कर सकेगी)

क्र० सं०	अन्तर्देशीय जलयानों का सकल टनेज और अन्य विवरण	रूपये में देय शुल्क
1.(क)	प्रारंभिक सामान्य सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित शुल्क 10 टन तक	500.00
(ख)	10 टन से अधिक किन्तु 25 टन से कम	750.00
(ग)	25 टन से अधिक किन्तु 50 टन से कम	1000.00
(घ)	50 टन से अधिक किन्तु 75 टन से कम	1500.00
(ङ)	75 टन से अधिक किन्तु 100 टन से कम	2000.00
(च)	100 टन से अधिक किन्तु 300 टन से कम	4000.00
(छ)	300 टन से अधिक किन्तु 600 टन से कम	6000.00
(ज)	प्रत्येक 300 टन अथवा उसके किसी भाग के लिए 600 टन से अधिक	1000.00 अतिरिक्त
2.	उपर्युक्त मद संख्या 1 में टनेज के अनुसार मध्यवर्ती सर्वेक्षण के लिए और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान अथवा अतिरिक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण के लिए देय शुल्क	एक अतिरिक्त शुल्क
3.	रविवार और अन्य अवकाशों को सर्वेक्षण के लिए लगाए जाने वाले सामान्य शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क	एक अतिरिक्त शुल्क
4.	यदि 5:30 अपराह्न के बाद, किन्तु 9:00 बजे पूर्वाह्न से पहले सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाता है तो एक अतिरिक्त शुल्क लगेगा	एक अतिरिक्त शुल्क
5.	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अथवा अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र अथवा किसी व्यक्ति के प्राधिकरण पर जलयान के स्वामी अथवा मास्टर अथवा इंजन चालक के नाम में परिवर्तन के लिए	500.00
6.	सर्वेक्षण वैधता के विस्तार के लिए-मद संख्या 1 के अनुसार	एक अतिरिक्त शुल्क
7.	बिल्डर अथवा मरम्मत करने वाले का रजिस्ट्रीकरण अथवा	500.00

	सूचीबद्ध करने के लिए	
8.	प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति अथवा प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए	500.00
9.	सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अथवा आदेश अथवा सर्वेक्षक के संकल्प के विरुद्ध अपील	1000.00
10.	उपर्युक्त मद संख्या 1 में टनेज के अनुसार ड्राई डॉक सर्वेक्षण हेतु शुल्क	तीन गुणा शुल्क
11.	सर्वेक्षण शुल्क लागू होने का समय	1 वर्ष
12.	बदलाव/ मरम्मत के दौरान रेखाचित्र/योजना के अनुमोदन के लिए- अनुमानित लागत का 0.05 प्रतिशत न्यूनतम 1000 ₹0	1000.00 प्रत्येक के लिए
13.	यथा निवेदित डिजाइन प्लान/ड्राईंग/लेआउट पर विचार और परीक्षण हेतु- निविदा लागत राशि का 0.05 प्रतिशत न्यूनतम 2000 ₹0	2000.00 प्रत्येक
14.	हरेक दौरा में यथा निवेदित अग्निशामक, लाईफ बोया, चेन और लंगर इत्यादि के प्रत्यक्ष निरीक्षण हेतु	1000.00

प्रारूप-I

[नियम 3(3) देखें]

**अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन किसी अन्तर्देशीय जलयान के
सर्वेक्षण हेतु आवेदन**

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त/मुख्य सर्वेक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

मैं एतद् द्वारा अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ जिसका विवरण उल्लिखित तिथि और स्थान पर नीचे दिया हुआ है। मैंने अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-6 के अधीन नियुक्त पदाधिकारी को सर्वेक्षण के लिए ₹0 और सर्वेक्षक की यात्रा पर व्यय के लिए ₹0 का अतिरिक्त शुल्क भुगतान कर दिया है ।

1. जलयान का नाम
2. रजिस्ट्री पत्तन प्राधिकृत सं०
3. हल कम और कहाँ बनाया गया
4. हल का व्यास
5. टनेज (i) रजिस्ट्रीकृत
- (ii) सकल
6. पूर्व में सर्वेक्षण, यदि कोई कहाँ/कब
7. सर्वेक्षण की प्रकृति
8. सर्वेक्षक की प्रस्तावित यात्रा का दिनांक और समय
9. स्थान जहाँ जलयान खड़ा रहेगा
10. अपेक्षित प्रमाणपत्र की श्रेणी

स्वामी/ मास्टर का हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

नोट- (1) सभी मामलों में कम से कम तीन पूरे दिनों की सूचना दी जाएगी ।

(2) पूर्व में जलयानों के सर्वेक्षण नहीं होने की स्थिति में, आवेदक द्वारा लगभग में टनेज दिया जा सकेगा और सर्वेक्षण पर इसका वास्तविक निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार शुल्क उद्ग्रहित होगा ।

(3) जब तक सभी शुल्कों का भुगतान नहीं किया जाएगा, कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा ।

प्रारूप-2

[नियम 3(4) देखें]

अन्तर्देशीय जलयानों के निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि और समय

सेवा में,

अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी अथवा मास्टर

.....
.....

महोदय,

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन उपर्युक्त अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण के लिए प्राप्त आपके आवेदन के संबंध में अवगत कराया जाता है कि मैं इसके लिए जलयान पर तिथि महीना वर्ष बजे पहुंच जाऊंगा।

2. मैं सर्वेक्षण के लिए आवश्यक तैयारी की एक सूची साथ लगा रहा हूँ जिसे उल्लिखित उपर्युक्त तिथि और समय से पहले किये जाने का मैं निवेदन करता हूँ ताकि समय नष्ट होने से रोका जा सके अन्यथा किसी और दिन के लिए सर्वेक्षण स्थगित करना मेरे लिए आवश्यक हो जाएगा।

3. मैं अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-5 की उप-धारा (2) के प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :-

अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी, मास्टर और अधिकारी सर्वेक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सर्वेक्षक को मुहैया कराएगा और अन्तर्देशीय जलयान और उसके मशीनरी अथवा उसके किसी भाग तथा जलयान पर सभी उपकरण और सामानों से संबंधित ऐसी सभी सूचनाएं देगा जिसे सर्वेक्षण के उद्देश्य हेतु आवश्यक समझी जायेंगी।

भवदीय

सर्वेक्षक

किसी अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण के लिए आवश्यक तैयारी की सूची :-

- (1) अंतिम सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, यदि कोई
- (2) मास्टर का प्रमाणपत्र
- (3) अभियंता अथवा इंजन चालक का प्रमाणपत्र
- (4) अंतिम यात्री प्रमाणपत्र

- (5) निश्चित स्थानों पर पंप लगाना
- (6) स्पेयर टिलर को अपने स्थान पर लगाना
- (7) साईड लैम्प, मस्तूल शीर्ष लाईट हेतु लैम्प और डेक पर निश्चित स्थानों पर लंगर प्रकाश हेतु लैम्प तैयार रखना, यदि आवश्यक हो
- (8) लाईफ बोया तैयार रखना
- (9) डेक पर लीड और लाईन
- (10) फायर हॉज को जोड़ना और सहबद्ध करना तथा डेक तक ले जाना। संवाहक को जोड़ना
- (11) डेक, केबिन, स्टिरेज और सभी अन्य यात्री स्थान स्वच्छ और माप हेतु उपयुक्त स्थिति में रखना
- (12) चेन केबल (अथवा उसका कोई भाग) डेक पर रखना
- (13) होल्ड के उपर और नीचे जाने के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त सीढ़ी
- (14) निरीक्षण के लिए सभी पिस्टन साईड, पंप इत्यादि खोलना
- (15) अग्निशामक और फायर बकेट
- (16) इंजन प्रमाणपत्र
- (17) अंतिम बीमा प्रमाणपत्र
- (18) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई
- (19) जलयान का रेखाचित्र अथवा आरेखण ।

प्रारूप-3

[नियम 5(1) देखें]

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-7 के अधीन सर्वेक्षक की घोषणा

1. अन्तर्देशीय जलयान का नाम और सरकारी संख्या -
2. स्वामी का नाम और पता -
3. टनेज सकल/रजिस्ट्रीकृत -
4. कब और कहाँ बनाया गया और धातु -
5. नोमिनल पावर (हॉर्सपावर) -
6. इंजन का विवरण और बने कितना समय हुआ :-
बेलन की संख्या- बेलन का व्यास बेलन का स्ट्रोक
7. हल की स्थिति-
8. सामान्य उपकरण-
फायर बकेट की संख्या -
अग्निशामक की संख्या - कहाँ लगा है-
हैंडपंप की संख्या -
- 9 (क) मास्टर का नाम-
(ख) प्रमाणपत्र (श्रेणी एवं संख्या)-
10. (क) इंजन चालक का नाम -
(ख) प्रमाणपत्र (श्रेणी एवं संख्या)-
11. ड्राई डॉक में कब और कहाँ पिछली बार निरीक्षित -
12. सीमाएँ (यदि कोई) जिसके आगे जलयान जाने के लिए फिट नहीं है -
13. एक वर्ष से समय यदि कम हो तो हल, बायलर, इंजन अथवा कोई उपकरण पर्याप्त होगा
दिनांक को समाप्त वर्ष
14. नौका का नाप, यदि कोई .
लम्बाई चौड़ाई गहराई घनमीटर
क्षमता
(1)

(2)

(3)

15. लाईफ बोया की संख्या-

16. यात्री ढोने की क्षमता -

(क) प्रथम श्रेणी

(ख)द्वितीय श्रेणी

(ग) साधारण

डेक यात्री	क	ख	ग	द्वितीय केबिन यात्री	सैलून यात्री
	जब रातभर चला हो (सुगम और आंशिक सुगम जल)	जब दिनभर चला हो (सुगम और आंशिक सुगम जल)	जब दिनभर चला हो अथवा जलयात्रा जो छः घंटे से अधिक का नहीं हो (केवल सुगम जल)		
(i) डेकों के बीच					
(ii) मुख्य डेक					
(iii) ऊपरी अथवा ब्रीज					
कुल					
कुल योग					

मैं एतद् द्वारा निम्नांकित घोषणा करता हूँ:-

(1) कि दिनांक 20 को

मैंने इस प्रारूप के कॉलम में यथा अंकित अन्तर्देशीय जलयान के मशीनरी और सभी सुरक्षा वाल्व और फायरहॉज का जलयान पर निरीक्षण किया है।

(2) कि उक्त अन्तर्देशीय जलयान की मशीनरी वांछित कार्य हेतु पर्याप्त और अच्छी अवस्था में है।

(3) कि उक्त मशीनरी मेरी राय में दिनांक वर्ष तक सही स्थिति में होगी।

(4) कि सेफ्टी वाल्व और अग्नि अनुप्रयोग अधिनियम, 1917 के अधीन नियमावली द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी स्थिति में और ऐसी दशाओं में है।

(5) कि उक्त जलयान की मशीनरी मेरी राय में अन्तर्देशीय जलमार्ग पर चलने के लिए उपयुक्त दिनांक वर्ष 20 में आगे निम्न प्रकार घोषणा करता हूँ, यथा-

(क) कि दिनांक को 20 को

मैंने उक्त अन्तर्देशीय जलयान के हल और नौकाओं, लाईफ बोया, लाईट, सिग्नल और इस जलयान पर अन्य उपकरण तथा मास्टर के प्रमाणपत्र का निरीक्षण किया।

(ख) कि उक्त अन्तर्देशीय जलयान का हल वांछित कार्य हेतु पर्याप्त और अच्छी अवस्था में हैं।

(ग) कि उक्त अन्तर्देशीय जलयान पर नौका, लाईफ बोया, लाईट और सिग्नल तथा मास्टर का प्रमाणपत्र इस प्रकार और ऐसी स्थिति में हैं जैसा कि 1917 के अधिनियम, 1 में यथा अपेक्षित और इस विषय पर लागू नियम के अनुरूप है।

(घ) कि उक्त अन्तर्देशीय जलयान का हल और पूर्व में नामित उपकरण मेरी राय में दिनांक वर्ष तक पर्याप्त होगी।

(ङ) कि कॉलम-16 में यथा चिन्हित स्थान पर यात्रियों की संख्या के साथ अन्तर्देशीय जलयान के रूप में चलने के लिए जलयान मेरी राय में उपयुक्त है। इस प्रारूप में, यात्री सुविधा के लिए मापित स्थान से संबंधित परेशानी नहीं है किन्तु अधिक संख्या में यात्रियों को लेकर चलने के लिए उपयुक्त नहीं है।

(च) कि इंजन चालक अथवा अभियंता का प्रमाणपत्र, 1917 के उक्त अधिनियम के यथा अपेक्षित और यथा अनुरूप है।

प्रारूप-4

[नियम 5(2) देखें]

संख्या

दिनांक 20

अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी/ मास्टर

.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अनुसार अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण करके मैंने निम्नलिखित की मरम्मत करके त्रुटि दूर करवाने की आवश्यकता समझी ।

उपकरण

इंजन

अन्य

अन्तर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षक

प्रारूप-5

[नियम 6(1) देखें]

अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण

संख्या

दिनांक 20

अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी अथवा मास्टर

.....
.....
.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा आपको सूचित कर रहा हूँ कि द्वारा आवेदित उपर्युक्त अन्तर्देशीय जलयान का सर्वेक्षण प्रमाणपत्र सुपुर्दगी हेतु तैयार है और यह अन्तर्देशीय जल परिवहन के कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान किसी समय निम्नलिखित रकम का भुगतान करके और इसके लिए आवेदन करने पर सुपुर्द कर दिया जाएगा-यथा-घोषणा भेजने में 14 दिन से अधिक विलंब होने पर अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-8(2) के अधीन समपहरण प्रतिदिन 510 रू० की दर से रूपये पै०

.....
कुल

भवदीय

राज्य परिवहन आयुक्त/मुख्य सर्वेक्षक
झारखंड, राँची ।

नोट:-इन शब्दों को तभी सम्मिलित किया जाएगा जब उक्त अधिनियम की धारा-8(2) के अधीन कोई रकम बकाया होता है।

प्रारूप-6

[नियम 6(2) देखें]

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र -क

केवल दिनांक 20 तक लागू रहेगा।

अन्तर्देशीय जलयान सरकारी सं० झारखंड रजिस्ट्री पत्तन

पंजीकरण संख्या का प्रमाणपत्र

रजिस्ट्री प्रमाणपत्र संख्या-क/-...

स्वामी, प्रबंधक स्वामी, अथवा एजेंट

सर्वेक्षण पत्तन पंजी टनेज सकल टनेज मालिक का नाम और उसके
प्रमाणपत्र की संख्या

फेरी सीमा :-

सीमाएँ जिसके बाद जलयान नहीं चलेगा

.....
.....

यात्रियों की संख्या

यदि यात्रियों को बैठने में कोई असुविधा न हो तो यह अन्तर्देशीय जलयान, सर्वेक्षक के घोषण के अनुसार, ढुलाई के योग्य होगा ।

डेक यात्री	क	ख	ग	द्वितीय केबिन यात्री	सैलून यात्री
	जब रात में चलाना हो (सुगम और आंशिक सुगम जल)	जब दिन में चलाना हो (सुगम और आंशिक)	जब दिन में छः घंटे से अधिक की जलयात्रा नहीं करनी हो (केवल सुगम जल)		

		सुगम जल)			
(i) डेकों के बीच					
(ii) मुख्य डेक					
(iii) ऊपरी अथवा ब्रीज					
कुल					
कुल योग					

12 वर्ष की आयु से कम उम्र के दो बच्चों को एक यात्री माना जाएगा :

बिघ्न :-

यात्रियों के बैठने के स्थान पर पशुधन, अथवा कार्गो अथवा अन्य सामान रखे गये हों ।

क.	तब डेक पर अथवा केबिन में इस प्रकार एक	उपर्युक्त	उल्लिखित
जब रात में चलता हो (सुगम यात्री		संख्या	
और आंशिक सुगम जल)	घेरी गयी प्रत्येक 9 फिट सतही जगह	से घटायी जाएगी	

ख.	तब ऊपरी अथवा मुख्य डेक पर इस प्रकार	उपर्युक्त	उल्लिखित
जब दिन में चलाता हो एक यात्री घेरी गयी इस प्रकार की प्रत्येक 6		संख्या	
(सुगम और आंशिक सुगम फिट		से घटायी जाएगी	
सतही जगह जल)	सतही जगह		
	और		
	डेकों अथवा केबिन के बीच इस प्रकार घेरी		
	गयी प्रत्येक 9 फिट		

ग.	तब ऊपरी अथवा मुख्य डेक पर इस प्रकार	उपर्युक्त	उल्लिखित
जब दिन में छः घंटे एक यात्री		संख्या	
से अधिक की जल यात्रा नहीं घेरी गयी इस प्रकार की प्रत्येक 3 फिट		से घटायी जाएगी	
हो (केवल सुगम सतही जगह और			
जल)	डेक अथवा केबिन के बीच इस प्रकार घेरी		
	-गयी प्रत्येक 9 फिट सतही जगह		

निर्धारित मी०मी० का फ्रीबोर्ड जलयान के पार्श्व में लगाया गया लदान चिह्न, ये वाहन के अधिकतम भार के बराबर होंगे जिसमें टन माल तथा/या 1 यात्री शामिल हैं ।

नौका, लाईफ बोया और उपकरण

इस जलयान द्वारा ढोने की अपेक्षा है

नौका			लाईफ बोया और उपकरण	
नौका	की कुल क्षमता	घन फीट	इंजन से जुड़ने लायक और जलयान के किसी भाग में प्रयुक्त होने के लिए पर्याप्त लेबर अग्नि होज से युक्त में प्रयुक्त होने के लिए पर्याप्त अनुदित अग्निशामक	
			(क) कम्पास (ख) लाईफ बोया (ग) प्लवन साधित्र (घ) नितल और होल्ड पंप (ड.) फायर बकेट	उपयोग के योग्य एवं तैयार

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण से संबंधित कानून के प्रावधान और इस संबंध में की गई घोषणा को पारिपालन हुआ है ।

परीक्षित और पंजीकृत

हस्ताक्षर

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त
झारखंड, राँची ।

यह प्रमाण पत्र, जब तक पूर्व में रद्द अथवा निरस्त कर दिया गया हो, दिनांक 20 तक लागू रहेगा।

यदि जलयान सर्वेक्षण के स्थान से बाहर है तो इसके प्रथम जलयात्रा पर जाने से पहले और सर्वेक्षण स्थल पर वापसी अथवा पश्चातवर्ती वापसी के उपरांत इसका सर्वेक्षण किया जाना तथा नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

यह प्रमाणपत्र अथवा इसकी अनुकृति और स्थानीय भाषा में प्रति जलयान में ऐसी जगह पर लगायी जाएगी जहाँ से जलयान पर सवार सभी व्यक्तियों को साफ-साफ दिखाई पड़े।

यह ढोए गए यात्रियों की संख्या इस प्रमाणपत्र में दी गयी संख्या से अधिक होती है तो मास्टर और स्वामी निर्धारित संख्या से अधिक प्रत्येक यात्री के लिए अधिकतम 20 रु0 जुर्माना भरने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

यदि कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें जान-माल की हानि हुई हो जिससे समुद्र में रहना या कार्य कुशलता या जलयान का हल में होना या मशीन का कोई हिस्सा प्रभावित होता हो, तो दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर अथवा यथाशीघ्र स्वामी अथवा मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राधिकृत अभियंता तथा जलयान सर्वेक्षक, कार्यालय अन्तर्देशीय जल परिवहन को अग्रसारित किया जाएगा।

नोट- इस जलयान से संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी से किए गए किसी पत्राचार में नाम, जलयान के सर्वेक्षण के पत्तन स्थान और इस प्रमाणपत्र की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रारूप-7

[नियम 6(2) देखें]

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र -ख

झारखंड सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-1 के अधीन यात्री रहित रात और दिन में चलने के लिए प्राधिकृत किसी अन्तर्देशीय जलयान के लिए जारी

केवल दिनांक 20 तक लागू रहेगा।

अन्तर्देशीय जलयान सरकारी संख्या झारखंड रजिस्ट्री पतन
.....

रजिस्ट्री संख्या का प्रमाणपत्र

सर्वेक्षक प्रमाणपत्र संख्या..ख/-

स्वामी, प्रबंधक स्वामी, अथवा एजेंट

सर्वेक्षण पतन सकल टनेज मास्टर का नाम और उसके प्रमाणपत्र की संख्या

नौकाएं लाईफ बोया और
उपकरण, जिनका जलयान पर
होना अपेक्षित है

नौका (यदि कोई हो)

लाईफ बोया और उपकरण इत्यादि

नौकाओं की कुल इंजन से जुड़ने लायक, और जलयान के किसी भाग में प्रयुक्त होने के लिए क्षमता घन मीटर में पर्याप्त लंबा अग्नि होज से युक्त अनुमोदित अग्निशामक

कम्पास,

लाईफ बोया

प्लावक साधित्र

नितल और होल्ड पंप

उपयोग के योग्य एवं तैयार

फायर बकेट

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित अन्तर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण से संबंधित कानून के प्रावधान

और इस संबंध में की गई घोषणा के पारेषण का अनुपालन हुआ है ।

हस्ताक्षर

परीक्षित और पंजीकृत
मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त
झारखंड, राँची ।

यह प्रमाणपत्र , जब तक पूर्व में रद्द अथवा निरस्त नहीं कर दिया गया हो, दिनांक 20 तक लागू रहेगा। यदि जलयान सर्वेक्षण के स्थान से बाहर है तो इसके प्रथम जलयात्रा पर जाने से पहले और सर्वेक्षण स्थान पर वापसी अथवा तत्पश्चात्वावृत्ति वापसी के उपरांत इसका सर्वेक्षण किया जाना नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह प्रमाणपत्र अथवा इसकी अनुकृति और स्थानीय भाषा में प्रति जलयान के ऐसी जगह पर लगायी जाएगी जहाँ से जलयान पर सवार सभी व्यक्तियों को यह साफ-साफ दिखाई पड़े।

यदि कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें जान-माल की हानि हुई हो जिससे समुद्र में रहना या कार्यकुशलता या जलयान का हल में होना या मशीन का कोई हिस्सा प्रभावित होता हो, तो दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर अथवा यथाशीघ्र स्वामी अथवा मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राधिकृत अभियंता तथा जलयान सर्वेक्षक, कार्यालय अन्तर्देशीय जल परिवहन को अप्रसारित किया जाएगा।

नोट:- इस जलयान से संबंधित उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी से किए गए किसी पत्राचार में नाम, जलयान के सर्वेक्षण के पतन स्थान और इस प्रमाणपत्र की संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रारूप-8

[नियम 7(1) देखें]

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त
झारखंड, राँची ।

संख्या- /डब्ल्यूटी दिनांक : 20

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बदले में
प्रमाणपत्र की वैधता तिथि

एमवी जी.टी. झारखंड
में एतद् द्वारा चलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इस
पर निम्नलिखित मास्टर/सेरांग और चालक तैनात है। *अन्य शर्तें पूर्व के वर्षों के सर्वेक्षण
प्रमाणपत्र में दिए गए हैं।

मास्टर/सेरांग

.....
.....श्रेणी
.....प्रमाणपत्र संख्या दिनांक
.....अभियंता/चालक
.....श्रेणी
.....प्रमाणपत्र / अनुज्ञप्ति संख्या
.....दिनांक यह मोटर जलयान ले
जाने योग्य है।

जब दिन में चलता है
यात्रा

जब रात में चलता है
यात्रा

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त
झारखंड, राँची।

प्रारूप-9

[नियम 9 देखें]

**अन्तर्देशीय जलयान के निर्माणकर्ता/मरम्मतकर्ता के पंजीकरण के लिए
आवेदन**

सेवा में,

राज्य परिवहन आयुक्त,
झारखंड, राँची।

1. आवेदक का नाम (पूरा)

.....
.....
.....
.....

(पंजीकरण, साझेदार, स्वत्वधारी का विवरण दें)

2. आवेदक का पूरा पता

.....
.....
.....
.....

3. कर्मशाला/डॉकयार्ड का पूरा पता जहाँ निर्माण/मरम्मत किया जाना है

.....
.....
.....
.....

4. डॉकयार्ड क्षेत्र का पूरा विवरण जहाँ डॉकिंग सुविधा उपलब्ध है

.....
.....
.....
.....

5. निर्माण कर्मशाला और उपलब्ध मशीनरी/उपकरण का पूरा विवरण

.....

.....

.....

.....

6. विवरण

(क) अर्हता प्राप्त कर्मी/विशेषज्ञ

.....

.....

.....

.....

(ख) नामावली में कुल कार्य बल

.....

.....

.....

.....

7. प्रत्येक महीना निर्माण की क्षमता, एम/टी में

.....

.....

.....

.....

8. पूर्व में किया गया निर्माण/मरम्मत कार्य (एम/टी में और कीमत)

.....

.....

.....

.....

9. निर्माण/मरम्मत किये गए जलयान के प्रकार (स्टील, लकड़ी, जीआरपी/एफआरपी)

.....

.....

.....
.....

10. ऋण शोधन संबंधी विवरण

.....
.....
.....
.....

11. पिछले तीन वर्षों का वार्षिक आवर्तन

.....
.....
.....
.....

आवेदक का हस्ताक्षर

-
-
5. कहाँ, कब और कैसे जलयान बाँधा गया
-
-
6. जलयान का प्रकार, हॉर्स पावर और निर्माण वर्ष के साथ इंजन निर्माता का नाम और पता
7. इंजन के विवरण
8. जलयान का राज्य
09. निर्माण स्थान और वर्ष के साथ निर्माणकर्ता का नाम और पता
-
-
-
-
10. स्वाधिकृत कर्मशाला, यदि ऐसा हो, तो विवरण
-
-
11. स्वामी वयस्क अथवा नाबालिग है
-
-

स्थान

दिनांक

स्वामी का हस्ताक्षर

स्वामित्व की घोषणा

मैं/हम

.....
 राज्य के अध्यक्षीन रहते
 हुए
 स्थायी रूप से में निवास कर रहा हूँ /रहे हैं
 जिसके कारोबार का मूल ठिकाना

 हैं, एतद् द्वारा घोषणाकरता हूँ/करते हैं
 कि

.....
(जलयान का नाम)
 का निर्माण वर्ष में किया गया और मैंने इसे
 रुपये में खरीदा और मैं इसे अपने नाम पर पत्तन पर
 पंजीकृत कराना चाहता हूँ और मैं इसका एकमात्र स्वामी हूँ । मैं आगे घोषणा करता हूँ कि
 जलयान के पत्तन में चलने
 का इरादा
 रखता है ।

(स्वामी का हस्ताक्षर)

6. निर्मित और अभिदत्त
7. दिनांक 20
8. उपर्युक्त नामित
9. की उपस्थिति में

मजिस्ट्रेट/ (पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर)

नोट :-घोषणा पंजीकरण प्राधिकारी/किसी मजिस्ट्रेट के सामने किया जाना चाहिए ।

प्रारूप-11

[नियम 12(1) देखें]

सेवा में,

अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी/मास्टर
महोदय/महोदया,

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन उपर्युक्त नामित जलयान के पंजीकरण हेतु प्राप्त आपके आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि पंजीकरण प्राधिकारी/ सर्वेक्षक दिनांक.....20 को बजे जलयान का निरीक्षण करेंगे ।

आपसे अनुरोध है कि पंजीकरण प्राधिकारी/सर्वेक्षक को अन्तर्देशीय जलयान के पंजीकरण हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं और पंजीकरण के लिए वांछित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएं ।

भवदीय

पंजीकरण प्राधिकारी,
झारखंड

प्रारूप-12

[नियम 14(1) देखें]

(पंजीकरण प्रमाणपत्र)

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा-19 एफ के अधीन अन्तर्देशी जलयान की सरकारी

संख्या संख्या वर्ष और रजिस्ट्री पत्तन

प्रमाणित किया जाता है कि के

.....

..... ने घोषणा की है कि राज्य के अध्यक्षीन रहते हुए

.....

नामक के एकमात्र स्वामी हैं और यह कि

उक्त का निर्माण स्थान पर

द्वारा वर्ष में हुआ था । उक्त को

पत्तन में अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 के अधीन विधिवत रूप से पंजीकृत किया गया है । इसे

दिनांक 20 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इंजन के विवरण

निर्माणकर्ता का नाम और पता

बनाया गया इंजन की संख्या शॉफ्टों की

संख्या

एन.एच.पी. बी.एच.पी. आई.एच.पी.

इंजन के प्रकार

पोत/ जलयान की अनुमानित गति

.....

व्यतिहारी इंजन : प्रत्येक सेट में बेलन की संख्या और व्यास

..... स्ट्रोक की लम्बाई :

रोटरी इंजन :- प्रत्येक सेट में बेलन की संख्या

जलयान का विवरण और टनेज (मीटर/सेंटीमीटर)

श्रेणी

अधिकतम लम्बाई

डेकों की संख्या

लम्बाई

बल्क हेडों की संख्या

चौड़ाई निर्माण

 गहराई धातु
 स्टेम
 विवरण
 सकल टन
 पंजीकृत टन
 पंजीकरण

पाद टिप्पणी :

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यदि पंजीकरण प्राधिकारी ऐसा किया जाना आवश्यक समझता है तो इस प्रमाणपत्र को उसके पास अभ्यर्पित किया जाएगा।
3. प्रमाणपत्र के प्रभावी रहने के दरम्यान जलयान का नाम तथा पंजीकरण चिह्न झारखंड द्वारा अनुमोदित स्थिति में अंकित करने अथवा अन्यथा चिह्नित करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा या हटाया नहीं जा सकेगा।
4. यदि कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें जान-माल की हानि हुई हो जिससे समुद्र में रहना या कार्यकुशलता या जलयान का हल में होना या मशीन का कोई हिस्सा प्रभावित होता हो, तो दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर अथवा यथाशीघ्र स्वामी अथवा मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्राधिकृत अभियंता या जलयान सर्वेक्षक को अग्रसारित किया जाएगा।

प्रारूप-13

[नियम 14(2) देखें]

(अस्थाई पंजीकरण पास)

(पंजीकरण प्रमाणपत्र की जगह पर)

केवल दिनांक 20 तक लागू रहेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती निवासी
.....जलयान संख्या के अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी हैं जिसका मुख्य
आयाम लम्बाई चौड़ाई गहराई
..... और जीआरटी
.....
..... है। उक्त जलयान का पंजीकरण प्रमाणपत्र अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के
अनुसार पत्तन निर्माणाधीन पर है ।

पंजीकरण प्राधिकारी,

झारखंड ।

प्रारूप-14

[नियम 15 देखें]

(पंजीकरण बही)

पंजीकरण चिह्न

.....

संख्या, वर्ष और रजिस्ट्री पत्तन

.....

जलयान का नाम

.....

स्वामी का नाम

.....

स्वामी का पता

.....

अन्तर्देशीय जलयान का विवरण

यात्री

अथवा

गैरयात्री.....

.....

1. (क) कोटि

.....

.....

(ख) सकल टनेज

.....

.....

(ग) पंजीकृत टनेज

.....

.....

जलयानों के विवरण

2. (क) कुल लम्बाई

.....

.....

(ख) अधिकतम चौड़ाई

.....

(ग) डेक के भीतर

पोत के मध्य, बगल की गहराई

(घ) निर्माणकर्ता का नाम और पता

.....

(ड) निर्माण वर्ष

.....

(च) लकड़ी, स्टील इत्यादि का हल

.....

(छ) डेकों की संख्या

.....

(ज) विवरण

.....

(झ) बल्क हेडों की संख्या

.....

संव्यवहार

व्यक्ति का नाम जिससे
हक लिया गया
रजिस्ट्री

प्रभावित शेयरों की संख्या

दिनांक और समय

इंजन

3. (क) आंतरिक दहन इंजन

.....

.....

(ख) विवरण

.....

.....

(ग) सेटो की संख्या

.....

.....

(घ) द्वारा निर्मित

.....

.....

(ङ) निर्माण वर्ष

.....

.....

(च) सतह, जेट अथवा असंघनित

.....

.....

(छ) प्रति सेट की संख्या

.....

.....

(ज) ईच में बेलन का व्यास

.....

.....

(झ) ईच में स्ट्रोक

.....

.....

(ञ) एन.एच.पी. बी.एच.पी.
आई.एच.पी0

प्रणोदन

4. एकल, दो कर्मीदल, साईड क्वार्टर अथवा स्टेम पेडल इत्यादि

प्रति मिनट परिक्रमण प्रणोदन गियर के साथ अथवा सीधी
.....
जलयान की गति

पंजीकरण प्राधिकारी

दिनांक

पंजीकरण के बाद

संव्यवहार की प्रकृति और दिनांक

नाम, आवास और पेशा

अंतरिती बंधकदार अथवा

हक अथवा शक्ति प्राप्त करने वाले

अन्य व्यक्ति के संव्यवहार की संख्या

प्रारूप-15

[नियम 16(2) देखें]

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-9-जे की उप-धारा (2) के अधीन पंजीकरण
अथवा परिवर्तन/नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हेतु आवेदन

सेवा में,
पंजीकरण प्राधिकारी,
महोदय,

मैं.....अन्तर्देशीय जलयान(नाम)
का स्वामी संदर्भ संख्या एतद् द्वारा प्रतिवेदित करता हूँ कि जलयान
संख्या..... मैं निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है। इसलिए, मैं परिवर्तनों/नवीन पंजीकरण
प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ। मैं इसके साथ आवश्यक शुल्क जमा करने से
संबंधित खजाना चालान की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ। मैं इसके साथ मूल पंजीकरण
प्रमाणपत्र भी संलग्न कर रहा हूँ।

दिनांक

(स्वामी का हस्ताक्षर)

इंजन

जलयान का नाम इंजन का प्रकार
..... इंजन सेटों की संख्या

निर्माण वर्ष निर्माणकर्ता का नाम और पता

शाफ्टों की संख्या

बेलनों की संख्या

बेलनों का व्यास (ईच में)

.....
.....
बी.एच.पी./एन.एच.पी.
.....
.....

सतह, जेट अथवा असंघनित
.....
.....

प्रति मिनट परिक्रमण
.....
.....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं ।

दिनांक

(स्वामी का हस्ताक्षर)

प्रारूप-16

[नियम 17 देखें]

पंजीकरण के अंतरण हेतु आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,

मैं, ... निवासी अन्तर्देशीय जलयान संख्या का स्वामी एतद् द्वारा अनुरोध करता हूँ कि उक्त जलयान के पंजीकरण का अंतरण अपनी पंजी से राज्य के के पंजीकरण प्राधिकारी को करने की कृपा करें । पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है/पंजीकरण प्रमाणपत्र मांगे जाने पर के पंजीकरण प्राधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा ।
..... रू0 का ट्रेजरी चालान भी संलग्न है ।

स्थान

दिनांक

(स्वामी का हस्ताक्षर)

प्रारूप-17

[नियम 18 देखें]

बिक्री विलेख

मैं/हम निवासी कुल
 रू0 के भुगतान प्राप्ति के एवज में एतद् द्वारा निम्नलिखित विवरण के
 अन्तर्देशीय जलयान और पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण बही में नामक
 उक्त अन्तर्देशीय जलयान के अनुषंगी सामानों सहित स्वामित्व का अंतरण करता हूँ /करते हैं ।
 अन्तर्देशीय जलयान का नाम
 सरकारी संख्या रजिस्ट्री पत्तन
 कैसे प्रणोदित
 लम्बाई चौड़ाई गहराई
 सकल टन पंजीकृत टन
 इंजन का विवरण
 2. आगे, मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ करते हैं
 कि उक्त अन्तर्देशीय जलयान निम्नलिखित विल्लंगम रहित/सहित है
 :..... जिसकी गवाही
 मैं मैं/हम दिनांक को की उपस्थिति में
 अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ/ है । जिसका निष्पादन
द्वारा किया गया ।

नोट :- विलेख का निष्पादन किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष होगा और भारतीय स्टाम्प
 अधिनियम, 1899 के अनुसूची Iमें
 निर्धारित रकम की शुल्क से कम का स्टाम्प लगा नहीं होना चाहिए ।

प्रारूप-18

[नियम 19 देखें]

स्वामित्व के अंतरण हेतु आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,

मैं / हम एतद्
संबंधी..... नामक अन्तर्देशीय जलयान जिसका
एच.पी.संख्या.....का पंजीकरण प्रमाणपत्र एतद् द्वारा अग्रेषित करता हूँ/करते हैं जिसके
स्वामित्व का अंतरण द्वारा मुझे/हमें किया गया है और एतद् द्वारा अनुरोध
करता हूँ कि उक्त अन्तर्देशीय जलयान को मेरे/ हमारे नाम से पंजीकृत करते तदनुसार पंजीकरण
प्रमाणपत्र में संशोधन किया जाए। अंतरण आदेश देने वाली सरकार की आदेश
की प्रति भी संलग्न है ।

दिनांक :-

(अंतरिती के हस्ताक्षर)

मैं/ हम एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने/हमने उपर्युक्त
जलयान के स्वामित्व का अंतरण
.....
..... को किया
है ।

(अंतरिती के हस्ताक्षर)

प्रारूप-19

[नियम 19(1) देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र के खोने, नष्ट अथवा विकृत होने की सूचना और अनुकृति के लिए
आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,

मेरे नामक अन्तर्देशीय जलयान का पंजीकरण प्रमाणपत्र ,
..... जिसका पंजीकरण चिन्ह है वह निम्नलिखित
परिस्थितियों में खो/नष्ट/विकृत हो गया है विकृत प्रमाणपत्र
इसके साथ संलग्न है ।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार जलयान का पंजीकरण
इसके तहत बनाए गए किसी अधिनियम अथवा नियम के प्रावधानों के अधीन स्थगित अथवा
रद्द नहीं किया गया है और मैं इसके साथ रु0..... का शुल्क जमा कर रहा हूँ और
पंजीकरण के अनुकृति प्रमाणपत्र के जारी करने के लिए आवेदन करता हूँ ।

दिनांक

(आवेदक का हस्ताक्षर)

पता

.....
.....

प्रारूप-20

[नियम 23(2) देखें]

झारखंड राज्य में चलने वाले किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के अभियंता/इंजन चालक/सेरांग/मास्टर के सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

नोट:- आवेदक इस विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ झारखंड, राँची स्थित परीक्षा केन्द्र पर

परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति लेने हेतु जमा करेंगे ।

खण्ड -क

व्यक्तिगत विवरण

पासपोर्ट आकार का फोटो

- (1) पूरा नाम :
- (2) उपनाम :
- (3) राष्ट्रीयता :
- (4) स्थायी पता :
- (5) जन्म तिथि :
- (6) जन्म स्थान :

खण्ड- ख

सभी पूर्व प्रमाणपत्रों का विवरण (यदि कोई हो)

- (1) संख्या :
- (2) सेवा की सक्षमता :
- (3) ग्रेड :
- (4) कहाँ जारी हुआ :
- (5) जारी होने की तिथि :

(6) यदि न्यायालय अथवा प्राधिकारण द्वारा कभी निलंबित अथवा रद्द किया गया है तो,

(7) दिनांक :

(8) कारण :

खण्ड- ग

इस समय अपेक्षित प्रमाणपत्र

(1) ग्रेड :

(2) सक्षमता :

खण्ड- घ

क्या आप पूर्व में इस परीक्षा में शामिल हुए हैं ?

हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो वर्ष लिखें

खण्ड-ङ

आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा :

नोट:-कोई व्यक्ति अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता अथवा सेवा प्रमाणपत्र पाने के लिए यदि कोई गलत प्रस्तुति देता है अथवा दिलाता है अथवा देने में सहायता करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अधीन प्रत्येक अपराध के लिए दण्डित किए जाने के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-182 के अधीन सरकारी सेवक को जानबूझ कर दिए गए गलत सूचना के लिए दंडित किया जाएगा ।

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रारूप के खण्ड-क, ख, ग, घ और ङ में दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही हैं और यह कि इस प्रारूप के साथ भेजे गये अन्य कागजात वास्तविक और सही हैं जिसे उस पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों ने दिया है । मैं आगे फिर घोषणा करता हूँ कि खण्ड-छ के विवरण मेरी संपूर्ण सेवा का सत्य और सही लेखा जोखा है ।

और मैं शुद्ध अंतःकरण से विश्वास करते हुए इसके सत्य होने की घोषणा करता हूँ और मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त, झारखंड, राँची की उपस्थिति में हस्ताक्षर करता हूँ ।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

वर्तमान पता

खण्ड-च

परिवहन विभाग, झारखंड, राँची का प्रमाणपत्र

उपर्युक्त खण्ड-ड. के अधीन घोषणा पर हस्ताक्षर मेरी उपस्थिति में किया गया और ₹0 का शुल्क प्राप्त किया गया ।

दिनांक :-

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त
झारखंड, राँची ।

खण्ड -छ

नदियों अथवा समुद्र तट अथवा समुद्र पर सेवा संबंधी विवरण के शंसापत्रों की सूची

1. यदि जलयान पर सेवा दिया है-

- (i) शंसापत्रों/प्रमाणपत्रों की संख्या (यदि कोई हो):
- (ii) कार्य पर लगाए गए जलयान का नाम :
- (iii) इंजन का हॉर्सपावर जिस पर कार्य किया :
- (iv) रजिस्ट्री पत्तन और पोत की सरकारी संख्या :

2. आवेदक का सेवा विवरण -

- (i) क्षमता :
- (ii) नियुक्ति की तिथि :
- (iii) समापन/छोड़ने की तिथि :
- (iv) यदि जारी है तो विवरण दें :
- (v) सेवा की कुल अवधि :
- (क) वर्ष :
- (ख) महीना :
- (ग) दिन :
- (vi) कुल सेवा :
- (vii) नदी/ तट पर कुल सेवा :
- (viii) सेवा अवधि जिसके लिए अभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया :
- (ix) सेवा अवधि जिसके लिए कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया :

खण्ड-ज

परीक्षक का प्रमाणपत्र

नोट:-परीक्षक खण्ड-ज और झ को भरकर इस प्रारूप को शंसापत्रों और अन्य प्रमाणपत्र , यदि कोई हो, के साथ मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त को अग्रेषित करेगा और आवेदक के नए प्रमाणपत्र और अनुशंसापत्र उसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची के कार्यालय में देगा ।

1. परीक्षा की तिथि और स्थान
2. नीचे प्रत्येक मद के सामने उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण भरें

(i) प्रश्नों के हल :

(ii) मौखिक परीक्षा :

3. मेधा क्रम में उत्तीर्णता :

खण्ड-झ

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

1. लम्बाई :

मीटर

सेंटीमीटर

2. रंग

3. व्यक्तिगत चिह्न अथवा विलक्षणता, यदि कोई,

4. रंग (क) बाल:-

(ख) आँख :-

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि खण्ड-ज और खण्ड-झ में उल्लिखित विवरण सही है ।

दिनांक

स्थान

परीक्षक के नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-21

[नियम 34 देखें]

किसी अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता
प्रमाणपत्र

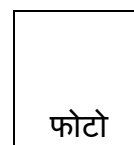
सेवा में,

.....
.....
.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-21 के अधीन नियुक्त परीक्षक द्वारा यह सिफारिश की गई है कि परीक्षा के परांत आपको उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के अन्तर्देशीय जलयान अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् सुयोग्य पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-21 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा आपको किसी अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूँ।

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त,
झारखंड, राँची के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक



प्रमाणपत्र संख्या

प्रमाणपत्र धारक का पता

जन्म तिथि और स्थान

हस्ताक्षर

जारी करने का स्थान
..... तक विधिमान्य

दिनांक

पंजीकृत
परिवहन विभाग, झारखंड, राँची ।

नोट :-

- (1) किसी अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता जिन्होंने अपना रद्द अथवा निलंबित प्रमाणपत्र नहीं सौंपे हैं, उनपर रू0 1000 (रूपये एक हजार) तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है ।
- (2) प्रमाणपत्र धारक से इतर कोई व्यक्ति जिन्होंने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर लिया है उसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को इसे शीघ्र भेजना होगा ।

प्रारूप-22

[नियम 34 देखें]

किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता
प्रमाणपत्र

सेवा में,

.....
.....
.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-21 के अधीन नियुक्त परीक्षक द्वारा यह सिफारिश की गई है कि परीक्षा के उपरांत आपको किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के प्रथम श्रेणी इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् सुयोग्य पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-21 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा आपको किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूँ।

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त,
झारखंड, राँची के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक

प्रमाणपत्र संख्या

किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी इंजन चालक

.....

सुपुत्र

जन्म तिथि और जन्म स्थान (ग्राम, थाना और जिला सहित)

आवास (ग्राम, थाना और जिला सहित)

विशेष स्थायी चिह्न अथवा निशान से संबंधित व्यक्तिगत विवरण

लम्बाई परीक्षा की तिथि

रजिस्टर टिकट का संख्या

हस्ताक्षर

जारी करने का स्थान दिनांक
..... तक विधिमान्य

पंजीकृत

परिवहन विभाग, झारखंड, राँची ।

नोट :-

- (1) किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी चालक जिन्होंने अपना रद्द अथवा निलंबित प्रमाणपत्र नहीं सौंपे हैं, उनपर ₹0 1000 (रूपये एक हजार) तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (2) प्रमाणपत्र धारक से इतर कोई व्यक्ति जिन्होंने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर लिया है उनसे अपेक्षा है कि वे इसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र भेज दें।

प्रारूप-23

[नियम 34 देखें]

1917 के अधिनियम 1 के अधीन किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र सेवा में,

.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-21 के अधीन नियुक्त परीक्षक द्वारा यह सिफारिश की गई है कि परीक्षा के उपरान्त आपको किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् सुयोग्य पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-21 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा आपको किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूँ।

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त,
 झारखंड, राँची के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक

प्रमाणपत्र संख्या

किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी इंजन चालक

सुपुत्र

जन्म तिथि और जन्म स्थान (ग्राम, थाना और जिला सहित)

आवास (ग्राम, थाना और जिला सहित)

विशेष स्थायी चिह्न अथवा निशान से संबंधित व्यक्तिगत विवरण

लम्बाई परीक्षा की तिथि

रजिस्टर टिकट का संख्या

हस्ताक्षर

जारी करने का स्थान

दिनांक

.....

..... तक विधिमान्य

पंजीकृत

परिवहन विभाग, झारखंड, राँची ।

नोट :-

- (1) किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी चालक जिन्होंने अपना रद्द अथवा निलंबित प्रमाणपत्र नहीं सौंपे हैं, उनपर रू0 1000 (रूपये एक हजार) तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (2) प्रमाणपत्र धारक से इतर कोई व्यक्ति जिन्होंने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर लिया है उनसे यह अपेक्षा है कि वे इसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र भेज दें ।

प्रारूप-24

[नियम 34 देखें]

किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता
प्रमाणपत्र

सेवा में,

.....
.....
.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-20 के अधीन नियुक्त परीक्षक द्वारा यह सिफारिश की गई है कि परीक्षा के उपरांत आपको उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् सुयोग्य पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-21 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा आपको किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूँ।

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त,
झारखंड, राँची के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक

प्रमाणपत्र संख्या

प्रमाणपत्र धारक का पता

जन्म तिथि और जन्म स्थान

हस्ताक्षर

जारी करने का स्थान

दिनांक

.....

..... तक विधिमान्य

पंजीकृत

परिवहन विभाग, झारखंड, राँची ।

नोट :-

- (1) किसी अन्तर्देशीय जलयान के प्रथम श्रेणी मास्टर जिन्होंने अपना रद्द अथवा निलंबित प्रमाणपत्र नहीं सौंपे हैं, उनपर रू0 1000 (रूपये एक हजार) तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (2) प्रमाणपत्र धारक से इतर कोई व्यक्ति जिन्होंने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर लिया है उनसे यह अपेक्षा है कि वे इसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र भेज दें ।

प्रारूप-25

[नियम 34 देखें]

किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता
प्रमाणपत्र

सेवा में,

.....
.....
.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-21 के अधीन नियुक्त परीक्षक द्वारा यह सिफारिश की गई है कि परीक्षा के उपरांत आपको किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् सुयोग्य पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-21 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा आपको किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूँ।

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त,
झारखंड, राँची के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक

प्रमाणपत्र संख्या

किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी मास्टर

सुपुत्र

जन्म तिथि और जन्म स्थान (ग्राम, थाना और जिला सहित)

आवास (ग्राम, थाना और जिला के साथ)

विशेष स्थायी चिह्न अथवा निशान से संबंधित व्यक्तिगत विवरण

लम्बाई परीक्षा की तिथि

रजिस्टर टिकट का संख्या

हस्ताक्षर

जारी करने का स्थान

दिनांक

.....

..... तक विधिमान्य

पंजीकृत

परिवहन विभाग, झारखंड, राँची ।

नोट :-

- (1) किसी अन्तर्देशीय जलयान के द्वितीय श्रेणी मास्टर जिन्होंने अपना रद्द अथवा निलंबित प्रमाणपत्र नहीं सौंपे हैं, उनपर ₹0 1000 (रूपये एक हजार) तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (2) प्रमाणपत्र धारक से इतर कोई व्यक्ति जिन्होंने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर लिया है उनसे यह अपेक्षा है कि वे इसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र भेज दें।

प्रारूप-26

[नियम 34 देखें]

1917 के अधिनियम 1 के अधीन किसी अन्तर्देशीय जलयान के सेरांग के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र

सेवा में,

.....

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा-21 के अधीन नियुक्त परीक्षक द्वारा यह सिफारिश की गई है कि परीक्षा के उपरांत आपको 226 ब्रेक हॉर्सपावर (226 बी.एच.पी.) से कम शक्ति के इंजन के किसी अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान के सेरांग/बी के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् सुयोग्य पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-21 के अनुसरण में मैं एतद् द्वारा झारखंड राज्य में चलने वाले किसी अन्तर्देशीय जलयान के सेरांग के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूँ।

मुख्य सर्वेक्षक/राज्य परिवहन आयुक्त,
 झारखंड, राँची के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक

प्रमाणपत्र संख्या

किसी अन्तर्देशीय जलयान के सेरांग का धारक

सुपुत्र

जाति

जन्म तिथि और जन्म स्थान (ग्राम, थाना और जिला सहित)

आवास (ग्राम, थाना और जिला के साथ)

विशेष स्थायी चिह्न अथवा निशान से संबंधित व्यक्तिगत विवरण

लम्बाई परीक्षा की तिथि

रजिस्टर टिकट का संख्या

हस्ताक्षर

जारी करने का स्थान दिनांक
.....
तक विधिमान्य पंजीकृत

परिवहन विभाग, झारखंड, राँची ।

नोट :-

- (1) किसी अन्तर्देशीय जलयान के सेरांग जिन्होंने अपना रद्द अथवा निलंबित प्रमाणपत्र नहीं सौंपे हैं, उनपर रु0 1000 (रुपये एक हजार) तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
- (2) प्रमाणपत्र धारक से इतर कोई व्यक्ति जिन्होंने इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर लिया है उनसे यह अपेक्षा है कि वे उसे परिवहन विभाग, झारखंड, राँची को शीघ्र भेज दें ।

----,----

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NOTIFICATION

30 SEPTEMBER, 2020

No.Pari.Vi(Rule)-50/2018- 2210--In exercise of the powers conferred in sections 19, 19R, 29, 30, 30A, 52, 53, 54 and 67 of the Inland Vessels Act, 1917 (Act, No. 1 of 1917) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in supersession of the rules defining the procedure to be adopted for the survey and registration of Inland Motor Vessels in Bihar State publication for survey in government Notification No. 2057 VIS-I-Com dated May, 21, 1935 in Bihar and Orissa Gazette, dated May, 29, 1935 and in Government notification No. 4058-VIS-5-Com dated September, 23, 1936 in the Bihar Gazette, dated September 30, 1936, Bihar Inland Steam Vessels Survey Rules 1935 and its amendment rule 1936 and Bihar Inland Steam Vessels Registration Rule 1951 for registration published in Government Notification No. IVS-4-1025/51L-190 dated October 1, 1951 in the Bihar Gazette, dated October 15, 1951, the Governor of Jharkhand is pleased to make the following rules for their previous publication as required under section 74 of the said Act:-

CHAPTER : 1.0 PRELIMINARY

1. Short, Title and Commencement:-

- (i) These rules may be called Jharkhand Inland Vessels Rules, 2020.
- (ii) It shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette and shall apply on Inland Vessels plying in whole State of Jharkhand except as otherwise provided in these Rules.
 - (a) An inland vessel shall not proceed on any voyage, or be used for any service unless she has a certificate of survey in force and applicable to such voyage or service.
 - (b) Nothing in this para shall apply to any Inland vessel proceeding on a voyage during the interval between the time at which her certificate of survey expires and the time at which it is first practicable to have the certificate renewed.

2. Definitions :-In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) “Act” means the Inland Vessels Act, 1917;
- (b) “Builder” means the person in overall control of design, construction, fitting and delivery of Vessels and includes a person who has engine for fitting on hull or shell, or who has constructed super structure on hull or shell, and also includes his representative;
- (c) “Candidate” means a candidate desirous of obtaining a certificate of competency under the Inland Vessels Act, 1917;
- (d) “Cargo” includes livestock;

- (e) "Central Rules" means rules made by the Central Government under the Act or the Inland Waterways Authority of India Act, 1985;
- (f) "Certificate of Competency" means a certificate of competency granted under these rules to act as an engineer, master, or engine driver, serang on board of inland Mechanically Propelled Vessel;
- (g) "Deputy Commissioner" includes the Deputy Commissioner/ Additional Collector and if specially authorized in this behalf by the Deputy Commissioner includes any other Additional Collector;
- (h) "Dumb Barge" means a vessels under Act without mechanical propulsion or pressure-oriented propulsion but towed by a vessel so powered;
- (i) "Examiner" means an Examiner appointed as such by the State Government under section 20 of the Act. National Inland Navigation Institute, Patna shall be as deemed examiner from the date of coming in force of these rules.
- (j) "Chief Examiner under section 21 of the Act, means State Transport Commissioner, Jharkhand or any other officer authorized by the State Government.
- (k) "Form" means a form appended to these Rules;
- (l) "National Waterway" means a waterway, or part thereof, notified as such by the Inland Waterways Authority of India;
- (m) "Registering Authority" means an officer appointed as such under clause (b) of sub-section (1) of section 19B of the Act who may be Joint Transport Commissioner or any officer authorized by the State Government;
- (n) "Schedule" means a Schedule appended to these Rules;
- (o) "Director Inland Water Transport" means the State Transport Commissioner or any other officer authorized in this behalf by the State Government;
- (p) "Chief Surveyor" means the State Transport Commissioner, Jharkhand or any other officer authorized by State Government appointed under sub-section 4 of section 9 of the Act for issuing the survey certificate of the vessels;
- (q) "Approved Consultant" means a naval architect or a marine engineer qualified to certify the safe construction of hull/machinery of the vessel for the purpose of survey and dully approved by the competent authority;
- (r) "Approved Classification Society" means a classification society duly approved by Government or is a member/associate member of International Association of Classification Society (IACS);
- (s) "Convoy" means a group of vessels, floating equipment or raft towed or pushed by a mechanically propelled vessel;
- (t) "Dangerous Goods" shall have the meaning as provided in the Merchant Shipping Act, 1958;
- (u) "Mechanically Propelled Vessel" means every description of vessel propelled wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power including dumb vessel towed by the mechanically propelled vessel and vessel propelled by outboard motor;
- (v) "Surveyor" means any such person or member of agency such as-
 - (i) Indian Register of Shipping (IRS),
 - (ii) International Classification Society,
 - (iii) Institute of Marine Engineers or Company of Master Mariner of India, and

- (iv) Surveyor appointed by Principal National Inland Navigation Institute, Patna and appointed as per rule 4(a) by chief surveyor at such place as he considers necessary for the purposes of these rules.
- (w) "Inland Vessels" or "Inland Mechanically Propelled Vessel" means a mechanically propelled vessel as defined in the principal Act and further classified into Category-A, Category-B as per Rule 3;
- (x) "Inland Water" means any canal, river, lake or other navigable water;
- (y) "Passenger" includes any person carried in a mechanically propelled vessel other than the master, crew, the owner, his family and servants;
- (z) "State" means state of Jharkhand and "Government" means the Government of Jharkhand.

CHAPTER: 2.0

SURVEY OF INLAND VESSELS

3. (i) Categorization of Vessels:- For the purpose of survey, inland vessels are categorized in to two groups-

CATEGORY- A

- (a) Vessels driven with more than 300 HP on board engine.
- (b) Vessel with upper deck.
- (c) Vessel with FRP hull having passenger capacity of more than 25.
- (d) Vessels with more than 15m length.
- (e) Hover Craft and Hydrofoils.

CATEGORY- B

- (a) All mechanically vessels not included in Category A.
- (b) Non motorized barge/ vessels towed by mechanized vessels not included in category A.
- (c) All vessels driven with engine upto 300 Horse Power.

- (ii) Procedure of Survey & Construction-

- (a) Category-A vessels are required to be built under the class survey of a Classification Society.
- (b) Category-B vessels are required to be built under inspection of Chief Surveyor who will be assisted by certified Naval Architects/ Marine Engineers holding 1st class certificate of competency for approval of drawing, survey and classification etc throughout all stages of construction and other occasions of survey.

- (iii) Every application for survey of an inland vessel shall be made by owner or master of the vessel in Form-1 along with a fee specified in rule 9 directly to the authorized surveyor or at any other such place notified by the State Government within a period of fifteen days before from the date of taking delivery of such vessels, excluding the period of journey, who shall forward the application for survey to the concerned Chief Surveyor/ State Transport Commissioner.

- (iv) Upon receipt of an application under sub-rule (3), the surveyor shall fix the date and time at which the survey shall commence, and shall give a notice in Form-2 to the owner or master of inland vessels informing him the date and time so fixed and requiring him to make all necessary preparations for the survey. The notice shall be given at least seven days before the date fixed for the survey. A survey shall be made on any day except Sunday and holidays. On request of the owner or master of an Inland Vessel, survey may be made on Sunday or holidays on payment of additional fees as specified in this behalf in rule 12.
- (v) Place of survey will be any such place that may be notified in the Gazette by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 4 of Inland Vessel Act, 1917. A surveyor's fees of Rs2000/- per day/visit, or any rate fixed by State Transport Commissioner from time to time, plus conveyance, boarding and lodging expenses of the surveyor for making survey shall be borne by the owner or master of the inland vessel.
- (vi) If every part of the inland vessels is not ready for survey at the appointed date and time or if requisite preparation has not been made for the survey by the owner or master of the inland vessel, the surveyor may, for reasons to be recorded, fix some other date and time for survey.
- (vii) If due to unavoidable reason the Surveyor is unable to remain present on the date and time fixed for survey, he shall send the earliest possible information to the owner or master of the inland vessel and shall fix some other date and time for the survey.
- (viii) The owner or master of the inland vessel shall be liable to pay a penalty at the rate of rupees hundred per day if the application for survey is not made within the period specified in sub-rule (3) provided that, the State Transport Commissioner may for valid and sufficient reasons to be recorded by him reduce such fine to a maximum of fifty per cent, thereof.
- (ix) The survey of Inland Vessels shall be completed within one month from the date of the receipt of application for survey.
- (x) Where the survey cannot be completed within one month from the date of the receipt of application owing to no fault of the owner or master of the Inland Vessel, sufficient valid reasons for such delay shall be shown by the surveyor to the Chief Surveyor.
- (xi) If it is proved that survey was delayed due to willful negligence of the owner or master of the Inland Vessel or his authorized representative a penalty equal to double of the survey fee for each completed month or part thereof shall be payable by such owner or master, as the case may be.

4. The surveyor should have following minimum qualifications:-

- (i) (a) Should be a Marine/ Mechanical/ Electrical Engineer having minimum 5 years of sailing experience after first certificate of competency.
- (b) Having obtained minimum Second class Motor/ Steam MOT Certificate, issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent international certificate, with minimum 2 years sailing experience after having obtained such a certificate or master mariner with 5 years of experience after having obtained master's certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent international certificate.

- (c) In case of surveyor being an agency, the concerned agency shall have personnel with above qualification on their panel/role.
- (ii) The Surveyor shall survey the engine, boiler, all machineries, hull, equipments, passenger's accommodation, fire fighting and life saving equipment and determine the number of passengers and the nature and quantum of cargo which the vessel is fit to carry. The Surveyor shall also examine the certificate of the master, serangs, the engineer and engine driver and electrical operator on vessels or vessels having electrical machineries operating on 400 volt and above to ensure that the same are in accordance with the provisions of the Act and these rules. The surveyor shall also inspect the light and sound signals to ascertain that the light and sound signals are in good condition to prevent collision on waterways.
5. (i) The declaration of surveyor shall be given in Form-3 which shall be duly filled and signed by the Surveyor. It shall be sent within fourteen (14) days by the ship owner to such officer as notified the State Government under sub-section (1) of section 8 of the Act; else a charge as prescribed in form 5 for delay shall be levied.
- (ii) (a) If the surveyor finds any defect in the hull, machinery or equipment of the Inland Vessels, he shall, before refusing to give the declaration under section 7 of the Act intimate in Form-4 to the owner or master of the Inland Vessels or his authorized representative pointing out the defects and require him to make necessary repairs to make good the defects.
- (b) If the Owner/Master of a mechanically propelled vessel is dissatisfied with the survey report of first surveyor, an application from the Owner/ Master and payment of fees which shall be double of previous survey, the State Transport Commissioner shall appoint two surveyors. Any declaration given by them or refusal to give declaration shall be final.
6. (i) A notice under clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Act shall be given in Form-5.
- (ii) A Certificate of Survey under section 9 of the Act shall be granted in Form-6 for category A vessels or Form-7 for Category B vessels as the case may be. The owner or master of the mechanically propelled vessel, for which a certificate of survey has been granted, shall forthwith, on the receipt of the certificate, cause one of the duplicates thereof to be affixed and kept affixed so long as it remains in force and the [mechanically propelled vessel] is in use, on some conspicuous part of the [mechanically propelled vessel] where it may be easily read by all persons on board.
- (iii) The certificate of survey shall not be in force-
- (a) After the expiry of one year from the date thereof; or
- (b) After the expiry of the period (if less than one year) for which the hull, boiler, engines or other machinery, or any of the equipments of the mechanically propelled vessel to which the certificate relates have been stated in the certificate to be sufficient; or
- (c) After notice has been given by the Government of Jharkhand to the owner or master of the mechanically propelled vessel that the Government has cancelled or suspended it.

- (iv) The certificate of survey shall not be in force in any State by virtue of any endorsement in respect of that State, after notice has been given by the State Government of Jharkhand to the owner or master of a mechanically propelled vessel that Government has cancelled or suspended the endorsement.
 - (v) The certificate of survey or any endorsement thereon made under section 10A may be suspended or cancelled by the Government of Jharkhand if the Government has reason to believe-
 - (a) that the declaration by the surveyor of the sufficiency and good condition of the hull, boilers, engines or other machinery or of any of the equipments of the mechanically propelled vessel has been fraudulently or erroneously made; or
 - (b) that the certificate has otherwise been granted upon false or erroneous information; or
 - (c) that since the making of the declaration the hull, boilers, engines or other machinery, or any of the equipments of the mechanically propelled vessel have sustained any material injury, or have otherwise become insufficient.
 - (vi) On suspension or cancellation of endorsement made under section 10A on a certificate of survey, the Chief surveyor or State Transport Commissioner shall report the fact of suspension or cancellation, together with the reasons therefore, to the State Government which (or whose delegate) granted the certificate.
 - (vii) Under Section 54(c) of the Inland Vessel Act 1917 if vessel is not insured, the vessel cannot be used for cargo and/or passenger service.
7. (i) On the application made by the owner or his authorized representative or master of an Inland Vessels, as per procedure laid down in rule-3, the validity of a certificate of survey may be extended up to three months in Form-8 on the exigencies of the situation and if the surveyor recommends for the grant of the certificate for that period.
- (ii) Dry docking period may be revalidated beyond four years or three years (for carriers of petroleum products) docking period, as the case may, be on exigencies of the situation and on application by the owner, or his authorized representative or master of an Inland Vessels as per rule 3 on deposit of full survey fees. The extension of validity of the docking period shall not exceed one year provided the surveyor recommends the grant of validity for that period and the Inland Vessel is surveyed by him.
- (iii) If the vessels has been fully surveyed, but in the opinion of the surveyor the hull, equipment or machinery of the Inland Vessel are declared to be sufficient only for a specific period being less than one year, the full annual fees for survey shall be payable.
8. (i) Every Vessel to which these rules apply shall be subjected to the survey as specified below-
- (a) before a new vessel is put in service (Initial Survey);
 - (b) periodical survey once every twelve months including survey of hull, machinery and equipment;
 - (c) four years dry docking survey, will include dry docking and detailed check on machinery wear and tear followed by satisfactory running trials;
 - (d) additional surveys as and when necessary.
- (ii) (a) The survey before the Inland Vessel is put in service shall include a complete inspection of the hull, machinery and equipments. The survey shall be such as to

ensure that arrangements, materials, scantlings of hull, boilers and their appurtenances, fire appliances and other equipments fully comply with the provisions of these rules. The survey shall also be such as to ensure that the workmanship of all parts of the vessel and equipments are in all respects satisfactory.

Provided that the bottom of the vessel which has been surveyed during the construction need not be examined by a surveyor before the vessel is launched unless the surveyor has special reasons for considering it necessary.

- (b) The periodical survey shall include an inspection of the whole of the hull, boilers, machinery and equipments including the outside of the vessel's bottom in dry dock. The survey shall be such as to ensure that hull, machinery and equipments is in satisfactory condition and fit for the service for which the vessel is intended and that it complies with the requirements of these rules.
 - (c) A survey either general or partial, according to circumstances, shall be made-
 - (i) Every time an accident occurs or a defect is discovered which affects the safety of the vessel;
 - (ii) Its efficiency or completeness of its equipment or whenever any important repair or renewal are made;
 - (iii) Whenever a request for extensions of certificates of survey is being considered.
 - (d) The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made and the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory and the Inland Vessel is fit for the service for which it is intended.
 - (iii) After the survey of the Inland Vessel has been completed, no change shall be made without approval of surveying authority.
9. For the purpose of a survey under these rules, the fee shall be payable by the owner or master of the vessel at the rates given in Schedule- IV.

CHAPTER: 3.0

REGISTRATION OF INLAND VESSELS

10. (i) An inland vessel shall not proceed on any voyage or be used for any service unless it has a certificate of registration in force in respect thereof and granted under the Inland Vessels Act. Every application for registration of an Inland Vessel shall be made by the owner or master of the vessel to the Registering Authority in Form -10.
- (ii) When registration is required to be made at a place other than the place where the owner resides or carries business or if the owner is a company, at a place other than the place where the registered office of the company is situated, the application for registration shall be accompanied by a copy of the letter conveying the approval of registration from the State Government in which the owner resides or carries on business or the company has its registered office.
- (iii) Every application for registration of an Inland Vessel shall be accompanied by a treasury Challan/Bank draft/ E-payment receipt showing the deposit of registration fees as mentioned in Schedule-I.

- (iv) While applying for registration of an Inland Vessel, the owner or master of the vessel shall furnish-
 - (a) In the case of a newly built vessel, the builder's certificate and inspection certificate issued by the surveyor along with approved drawing of the vessel, documents relating to purchase of the vessel and document of its ownership.
 - (b) In the case of renovated vessels, builder's certificate and inspection certificate issued by the surveyor along with approved drawing of the vessel and document of its ownership.
 - (c) Copy of insurance certificate as per Chapter VI A, Section 54C of the Act.
11. Registration of an Inland Vessel shall be made after survey of the vessel according to provisions of the Act and the rules and after production of certificate of survey.
12. (i) On receipt of an application for registration of an inland vessel, the Registering Authority shall give a notice in Form-11 to the owner or master of the vessel informing him the date and time for inspection of the vessel.
 - (ii) It shall be the duty of the owner or master of the inland vessel to furnish such other information as may be required by the registering authority.
13. Every inland vessel shall be marked permanently and conspicuously to the satisfaction of the registering authority as follows:-
 - (i) Inland Vessel name shall be marked on each of its bows or at a suitable place on the superstructure and the inland vessels name and the name of its place of registration shall be marked on its stern on a dark background in white letters or on a white background in black letter which shall not be less than 15 centimeter in height and 2 centimeter in breadth.
 - (ii) Inland Vessels registration mark and the number denoting its registered tonnage shall be cut in on its main beam or any permanent bulkhead at a prominent place. The letters and figures of the registration marks shall not be less than 15cm. X. 10 cm.
 - (iii) Scale of draught marks shall be cut or welded in meters and decimeters, forward and rear of Inland vessels on both the port and the starboard side.
 - (iv) Inland vessels load line shall be cut or welded 300cm. long and 35mm. wide and shall coincide with maximum draught level of the inland vessel in fair weather conditions.
 - (v) The maximum draught level mark line will be below deck level not less than 62 cm. The space as per requirement will be taken space all around the vessel on deck level.
14. (i) The registering authority shall after satisfying itself grant a certificate of registration in Form-12. It shall be the duty of the owner or master of the inland vessel to produce it on demand by authority engaged in the enforcement of Act and rules. The certificate may also be in electronic form like smart card, in place of Form-12.
 - (ii) In special circumstances and for reason to be recorded in writing, the registering authority may grant a temporary pass to an inland vessel to enable it to ply during the period of the preparation of certificate of registration. The pass shall be in Form No. 13 and for the time and within the limit therein mentioned. The said pass shall be valid for 30 days and shall have the same effect as a certificate of registration subject to the conditions laid down in the pass.
15. A book of registration shall be maintained by the registering authority in Form-14 separately for each vessel registered and shall contain inter alia of the particulars given in the certificate

of registration. It should be bound volumes with machined numbered pages. It can be in electronic form also.

16. (i) When the registered of inland vessel is altered so as not to correspond with the particulars relating to its tonnage and or description as shown in the book of registration, the onus of having the alteration recorded by the registering authority shall be on the owner or master of the inland vessel. The inland vessel shall be required to be registered if the registering authority so directs for reasons to be stated for such direction. The registering authority in deciding whether alteration will be recorded or whether the inland vessel should be registered a new shall be guided by the following considerations-
 - (a) Whenever any material alteration is made in the hull affecting the length or breadth or depth of the inland vessel or wherever there is alteration in the means of propulsion including addition or removal of an auxiliary engine the vessel shall require new registration.
 - (b) Where the alteration consists merely of a change in the dimensions of close in space, the addition or removal of poop or deckhouse etc. or an allowance or disallowance or crew space of other similar change or an alteration from motor or steam crew to another motor or steam crew or reverse, the registering authority may allow such alteration to be recorded provided the stability of the vessel is not endangered thereby.
 - (ii) The owner shall report in Form-15 to the registering authority of such alteration within one month of the alteration taking place mentioning therein the place where the vessel is registered and giving complete particulars regarding alteration made.
 - (iii) Fee as specified in the Schedule-I shall be payable along with such application. The registration certificate of the inland vessel shall be surrendered by the owner along with other supporting documents for recording the alterations made or for registration if the registering authority so directs.
 - (iv) The registering authority shall, after satisfying itself that the inland vessels is not defective in hull, machinery or equipment and is river worthy, either issue a fresh certificate of registration or make such alteration in the certificate of registration in force as he may deem necessary. If the registering authority is of the view that a fresh survey should be conducted before issue of fresh certificate of registration, he shall direct the owner to apply for survey. Such survey shall be completed within one month.
 - (v) In case the registering authority directs that the vessel be registered a new, the registering authority shall provisionally endorse the particulars of the alteration on the existing certificates.
17. The owner or master of an inland vessel may apply for transfer of registration of his vessel in Form-16. The application for such transfer shall be made to the registering authority where the inland vessel is registered along with fees as specified in Schedule-I paid through treasury Challan/Bank draft/E-payment receipt and a certificate of registration in respect of the vessel. If the transfer is to be made to another state, an authenticated copy of approval of the Central or State Government to such transfer shall be attached with the application. The registering authority on receipt of such application and on satisfying himself that there is no ground of objection for such transfer, forward the same to the registering authority of the intended place of registration and shall return the certificate of registration to the applicant after making necessary entries in his book or registration and on the certificate.

18. The application of transferring registration should be accompanied by a treasury Challan/Bank draft/ E-payment receipt showing that the fees as specified in the Schedule-I. Such transfer of ownership shall be executed in Form-17. The deed of sale shall bear stamped fee as applicable. Every such deed of sale being duly executed shall be produced before the registering authority of the place where the inland vessel is registered and the registering authority shall thereupon enter in the registration book, the name of the transferee as owner/co-sharer of the inland vessel and shall endorse on the deed of sale that such entry has been made together with date and time. Within 30 days of transfer of ownership of the inland vessel/ entry of one of co-sharer, the transferor and transferee shall jointly make a report of the transfer to the registering authority within the local limits of whose jurisdiction the transferee resides or carries on business together with deed of sale and the treasury Challan/Bank draft/ E-payment receipt showing fees as specified in the Schedule-I have been paid. The registering authority on satisfaction that the documents are in order and that the inland vessel is not defective shall enter the particulars of the transfer of ownership of the vessel in the certificate of registration. The application for transfer of ownership shall be made in Form-18 along with fees in treasury Challan/Bank draft/ E-payment receipt as specified in the Schedule-I.
19. (i) If at any time a certificate of registration is lost, the owner shall forthwith intimate the fact in writing to the registering authority by whom the certificate was issued and shall apply in Form-19 to the said authority for issue of duplicate certificate. The application for duplicate certificate shall be accompanied by treasury Challan/Bank draft/E-payment receipt indicating payment of fee at the rate specified in schedule-1. The mutilated certificate where a duplicate is sought because of mutilation shall also be deposited along with the application.
(ii) On receipt of such application, the registering authority shall issue a duplicate certificate with the word duplicate certificate and stamped boldly in red ink thereon.
(iii) If a duplicate certificate of registration has been issued upon the original having been lost and the original is subsequently found by the holder of the duplicate certificate, the original certificate shall be deposited forthwith by him to the registering authority.
20. (i) Any person preferring an appeal against the orders of the registering authority in respect of any matter relating to the registration of vessels shall do so in writing to the secretary to the state Government in Transport Department in the Performa in triplicate within thirty days from the receipt of the order of the registering authority accompanied by a certified copy of the order and treasury Challan/Bank draft/E-payment receipt after depositing the fee mentioned in Schedule-I.
(ii) Upon receipt of memorandum of appeal in accordance with sub-rule (1), the appellate authority shall fix the time and place for hearing and shall not give less than fifteen days notice to the appellant, the registering authority and any other person interested in the appeal.
21. (i) The registering authority or any officer authorized by the State Government in this behalf may go onboard, detain, or inspect any vessel at any hour for the purpose of satisfying himself that the provision of the Act, are being complied with. It shall be the duty and responsibility of the owner or master of the inland vessel to give all reasonable assistance to the inspecting officer in carrying out the inspection and to comply with any lawful directions that he may give.
(ii) In case any inland vessel is detained, a report of the circumstances in which the detention is ordered shall be sent to the registering authority and the State Transport Commissioner within forty eight hours.

- (iii) The registering authority at any time, if satisfied that the vessel is in a condition not fit to ply in the Inland water, suspend the registration of the vessel and require the owner thereof to surrender forth with certificates of survey and registration in respect of that vessel. Before cancellation, the owner of the vessel should be given an opportunity to be heard. A registering authority may also suspend/cancel a certificate of registration if the vessel has been destroyed or rendered permanently unfit for service.
- (iv) No certificate shall be suspended under section 19N of the Act without giving owner a reasonable opportunity of being heard in respect of the grounds on which the suspension of the certificate is proposed.

CHAPTER: 4.0
CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ENGINEER
AND
ENGINE DRIVERS OF INLAND VESSELS

22. Minimum Crew/Manning:-

The manning requirement under section 25,26,27 of the Act, requirement of the Master, Engineer, Engine Driver, crew, lascars, greasers for various categories of vessels to ensure safety of the passengers/cargo shall be prescribed by the authority/surveyor with due consideration of the operating conditions. No person who in the opinion of the surveyor/competent officer is not fully qualified or is inefficient shall be employed in any capacity in a vessel.

Every vessel registered under these rules shall have onboard minimum following crew when in operation.

- (i) For vessels having inboard engine of 565BHP or more-
 - a. One master with first class master's certificate,
 - b. One engineer with engineer certificate,
 - c. Two lascar,
 - d. One greaser.
- (ii) For vessels having inboard engine of 226BHP but less than 565BHP-
 - a. One master with second class master's certificate,
 - b. One engineer with 1st class engine driver certificate,
 - c. One lascar,
 - d. One greaser,
- (iii) For vessels having inboard engine less than 226BHP -
 - a. One master with Serang certificate,
 - b. One engineer with 2nd class engine driver certificate,
 - c. One lascars,
 - d. One greaser.

- 23. (i)** Examination for the grant of certificate of competency as inland vessel engineer, First class engine driver, second class engine driver, shall be held by the examiner at such place on such dates as may be published by examiner/ chief examiner.
- (ii)** Every application for examination shall be filled and submitted in Form-20 appended to these rules. The application so filled shall be received at the examination centre, before the date fixed for examination and shall be accompanied by-
- (a) attested copy of all the testimonials of both practical and theoretical experience of the candidate;
 - (b) testimonials of good character from the employer;
 - (c) receipt or challan showing that the amount of fee prescribed hereunder for such examination at which the candidate wishes to appear has been paid;
 - (d) any certificate granted to the applicant under these rules;

- (e) two copies of recent bust photograph bearing the signature or thumb impression of the application on the back;
- (f) authentic proof of age.
- (iii) No candidate shall be granted competency certificate unless he produces a medical certificate from a Registered Medical Officer that he is medically fit to carry out jobs and board inland vessels port crafts etc. and is not colour blind.
- (iv) All candidates who, desires to appear for the examination of Competency as Engine Drivers and Engineers on Inland Vessels should have completed the four basic safety courses from National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping, namely-
 - (a) Elementary First Aid (EFA)
 - (b) Proficiency in survival techniques (PST)
 - (c) Personal safety and social responsibility (PSSR)
 - (d) Fire Prevention and Fire fighting (FPFF)
- (v) No candidate shall be granted Certificate of Competency as Engine Drivers and Engineers on Inland Vessels without passing the relevant examination of Competency specified hereunder.
- (vi) A candidate who has served as an engineer of a vessel of the Coast Guard, Indian Navy or regular Army for a period of 5 years may be granted a Certificate of Service as Engine Drivers and Engineers on Inland Vessels, depending on the size of vessel served and on successful completion of relevant preparatory course including the four basic safety courses from National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping.
- (vii) A certificate of service so granted as per para (6) above shall have the same effect as a certificate of competency granted under these Rules. A certificate of Service so issued shall be issued in Form-30.
- (viii) The Chief Examiner may if he thinks fit grant a license authorizing a person to act as master or engineer, as the case may be of any inland mechanically propelled vessels having engines of one hundred and seventy nominal horse-power or of such less nominal horse power as he may deem fit who is in possession of a first-class, engine-driver's certificate granted under these rules or an engine-driver's certificate granted or deemed to be granted under the Merchant Shipping Act, 1958, and has, by virtue of such certificate, served as an engine driver of an inland mechanically propelled vessels having engines of not less than seventy nominal horse-power for five years, for not less than two and a half years of which period he has been the engine-driver of such vessel.
- (ix) Any license granted under para (8) above shall remain in force only for such time as the person holding the same is in the possession of engine-driver's certificate of the nature referred to in para (8) above. Provided that the State Government may if it thinks fit, suspend, cancel or vary the conditions of any such licenses.
- (x) Every certificate of competency or service and every license granted under these rules shall be made in duplicate, and one copy shall be delivered to the person entitled to the certificate, or licence and the other shall be kept and recorded in the prescribed manner.

**QUALIFICATIONS FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY AS SECOND CLASS
ENGINE DRIVER OF INLAND MOTOR VESSELS**

24. A candidate shall not be admitted to the examination unless he:-

- (i) is a citizen of India;
- (ii) has obtained 21 years of age on the date of examination;
- (iii) is able to read and write Hindi in Devnagri Script.

25. Qualifications-

- (i) Such candidate shall have minimum qualification of eighth Class pass in English or Hindi from recognized and knowledge of regional language.
- (ii) Such candidate other than for armed forces and paramilitary persons who desires to appear for examination of Competency as Second Class Engine Driver of inland vessel should have undergone Induction Training for Rating (Engine) at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping.

If the first service is after promulgation of these rules the training period of the respective course shall be considered as a service for the purpose of computing the total qualifying service.

- (iii) Candidates should have attended preparatory Course for Second Class Engine Driver at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping.
- (iv) Such candidate should have served-
 - (a) For a period of not less than four years in the engine room of a motor vessel of not less than 226 brake horse power, of which period not less than one year must have been served as Assistant to Driver or total of four years service as GP rating or rating (engine) of;
 - (b) Which at least six month shall be on Inland vessel plying in the Port/Inland Rivers of the State/candidate is appearing for the examination of 2nd Class Engine Driver; or
 - (c) For period of not less than five years in the engine room of motor vessel having engines of not less than 85 brake horse power, or six years in the engine-room of a vessel having engines of not less than 40 brake horse power of which period not less than one year should have been as Assistant to Driver or Oilman; or
 - (d) Such candidate who has passed Matric Examination from recognized school board must have three years of service at or on Inland Waters, one year of which service must be as an Oilman or as an Assistant to Driver and should have performed at least six months service on board the vessel plying in the Port/Inland Rivers of the State/candidate is appearing for the examination of 2nd Class Engine Driver;
 - (e) Such candidates who have passed class X (Matric) examination from recognized board and undergone one year Inland Vessel Cadets Training at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping shall have two years of services at sea or on Inland waters, if the total service has been performed as Inland Vessel cadet apprentice with onboard vessel Structured Training Program verified in record book and approved or conducted by National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping and should have performed at least six months watch keeping service under qualified second class engine driver or First class engine driver or Inland vessel Engineer on board the

vessel plying in the port/Inland Rivers of the Stated where the candidate is appearing for the examination of second class engine driver.

26. Knowledge required:- Such candidate shall-

- (i) Satisfactorily pass an examination on the working of the various types of internal combustion engine and be able to name the principal parts of the machinery;
- (ii) be required to know what attention is required by various part of the machinery, understand the use and management of the different valves, forks, pipes and connections and be familiar with the various methods of supplying air and fuel to the cylinder;
- (iii) be required to be able to describe the chief causes which may make the engine difficult to start and explain how he would proceed to remedy any defects connected therewith; he shall be able to show that he understands the mechanism of the starting and reversing arrangements and that he is competent to deal with defects therein;
- (iv) be required to be able to overhaul an engine, to adjust the working parts and to put the engine together again in good working condition. He shall be required to understand how to make good the result of ordinary wear and tear to the machinery and how to correct defects from accidents;
- (v) be required to be familiar with the nature and properties of the various fuel oils used in internal combustion engines. He must understand what is meant by flash point; and
- (vi) be required to know the dangers resulting from leakage from the fuel oil tanks and must understand the precautions to be taken against explosion. He shall also able to take the necessary precautions to guard against the escape of inflammable vapour from the vapouriser when the engines are stopped. He must know how to deal with fire if it break out;
- (vii) Practical test-The candidate shall also be able, if required to show his practical knowledge by actually working the engine of a motor vessel in the presence of the Examiner.

**QUALIFICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY AS A FIRST CLASS
ENGINE DRIVERS OF INLAND MOTOR VESSELS**

27. A candidate for a Certificate of Competency as First Class Engine Driver of an inland motor vessel shall be not less than 21 years of age, and have following minimum qualifications:-

- (i) Such candidates should possess Certificate of Competency/service as 2nd Class.
- (ii) Such candidate, who desire to appear for examination of Competency as First Class Engine Driver of an Inland motor vessel should undergo Preparatory Course for 1st class engine deriver in National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping or from any other institute recognized by Transport Department.

The training period of the respective course shall be considered as a service of the purpose of computing the total qualifying service.

- (iii) Such candidate should have served-

- (a) for a period not less than one year as Assistant to Engine driver on regular watch on the main engines of a motor vessel of not less than 565 break horse power, while holding a Second Class Engine Driver's Certificate for a motor vessel; or
- (b) for a period of not less than 24 months as Assistant to Engine Driver/Oilman with a Second Class Engine Driver's Certificated of motor vessel in charge of a watch on the main engine of a motor vessel of not less than 226 brake horse power; or
- (c) for a period of not less than three years in the engine room of a motor vessel of not less than 226 brake horse power of which period not less than one year should have been served as an assistant driver or oilman whilst holding a Second Class Engine Driver's Certificate for motor vessels; or
- (d) for a period of not less than 18 months with a Second Class Engine driver's certificate for motor vessels as driver in charge of the engine of a motor vessel of not less than 113 brake horse power.

28. Additional qualification:-

- (i) Such a candidate shall pass examination similar to that required by rule 26 for a Second Class Engine Driver's Certificate but of a more advanced stage.
- (ii) Such candidate who desire to appear for examination of Competency of First Class Engine Driver should be able to overhaul an engine, to adjust the working parts and to put the engine together again in good working condition. He shall also be required to understand how to make good the result of ordinary wear and tear to the machinery and how to correct defects for accidents. He should know valve setting and injector setting of marine engine and be able to replace lines and head of engines with appropriate knowledge of torque and head of engine with appropriate knowledge for trouble shooting of engines.

**QUALIFICATIONS FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY AS INLAND ENGINEERS
OF INLAND MOTOR VESSELS**

- 29. (i)** Age-A candidate for a Certificate of Competency as Inland engineers of an inland motor vessel shall not be less than 21 years of age.
- (ii)** Qualifications-(a) Such candidates who desire to appear for examination of Competency of Inland Motor Vessel should undergo Preparatory course for Inland Engineer in National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping.

The training period of the respective course shall be considered as service for the purpose of computing the total qualifying service.

- (b) (i) He should hold 1st Class Engine Driver Competency Service Certificated under the Inland Vessels Act, 1917 (I.V.Act 1 of 1917);
- (ii) He should have worked for 18 months on a vessel having engines more than 226BHP or he has to work more than 27 months on a vessel having less than

226 BHP while holding 1st class engine driver certificate issue under the Inland Vessels Act, 1917 (I.V. Act 1 of 1917).

(c) Knowledge required- Such candidate should-

- (i) be able to write a legible hand and have a good knowledge of arithmetic up to and including vulgar and decimal fractions and square root. He shall also be able to work out questions relating to spring or level loaded safety and relief valve, consumption of oils and stores capacities of tanks to bunkers, speed of vessels and other similar problem and be to calculate suitable working pressures for air received of given dimensions and the stress per square inch on crank and tunnel shafts and other parts of the machinery when the necessary data are furnished;
- (ii) be able to give a clear explanation of the principles on which oil, gas or other internal combustion of the principles on which oil, gas or other internal combustion engine works, including the methods of ignition, to point out the difference between them and to show by means of illustrative sketches and otherwise, that he understands the details of the constructions of those in general use;
- (iii) be familiar with the various methods of supplying air and fuel to the cylinders in the different types of engines, the constructions of the apparatus for carbureting, atomizing or gasifying the fuel, and the means for cooling the cylinders, pistons, etc;
- (iv) have satisfactory knowledge of the process employed in the construction of internal combustion engines in the workshop and of the methods used in fitting the machinery on board a ship;
- (v) Know what attention is required by the various parts of the machinery and understand the use and management of the deferent valves, cocks, pipes and connections;
- (vi) be able to state and describe the chief cause which may make the engine difficult to start and explain how he would proceed to remedy any defects arising there from. He shall also be able to show that he understands the mechanism of the starting and reversing arrangements and is competent to deal with defects therein;
- (vii) understand how to make good the result of ordinary wear and tear to the machinery, how to test the fairness of shafting, etc. and how temporary or permanent repair could be affected in case of derangement or total breakdown;
- (viii) understand the construction of the pressure gauge, barometer, thermometer and other instruments used in the engine room and the principle on which they work;
- (ix) understand the construction and working knowledge of centrifugal bucket and plunger pumps and the principles on which the work;
- (x) the provisions of the Inland Vessel Rules for Life Saving, Fire Appliances and general discipline.

CHAPTER: 4.1
CERTIFICATE OF COMPETENCY TO MASTERS AND
SERANGS OF INLAND VESSELS

- 30. (i)** Examination for the grant of certificate of competency as inland vessel Master Class I, Master Class II and Serang shall be held by the examiner at such place on such dates as may be published by the examination centre.
- (ii)** Every application for examination shall be filled and submitted in Form-20 appended to these rules. The application so filled shall be received at the examination centre before the date fixed for examination and shall be accompanied by-
- (a) Attested copy of all the testimonials of both practical and theoretical experience of the candidate;
 - (b) Testimonials of Good Character from the Employer;
 - (c) Receipt or challan showing that the amount of fee prescribed hereunder for such examination at which the candidate wishes to appear has been paid;
 - (d) Any certificate granted to the applicant under these rules;
 - (e) Two copies of recent bust photograph bearing the signature or thumb impression of the application on the back;
 - (f) Authentic proof of age.
- (iii)** All candidates who, desires to appear for the examination of Competency as Serang, Second Class Master and First Class Master should have completed the four basic safety courses From National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping namely-
- (a) Elementary First Aid (EFA)
 - (b) Proficiency in Survival Techniques (PST)
 - (c) Personal Safety and Social Responsibility (PSSR)
 - (d) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF)
- (iv)** No candidate shall be granted competency certificate unless he produces a medical certificate from a Government Medical Officer that he is medically fit to carry out jobs and board inland vessels port crafts etc. and normal colour vision and 6/6 vision in each eye, and is not colour blind.
- (v)** No candidate shall be granted Certificate of Competency as Serang, Second Class Master and First Class Master without passing the relevant examination of Competency specified hereunder.
- (vi)** A candidate who has served as a master, or as an engineer of a vessel of the Coast Guard, Indian Navy or regular Army for a period of 5 years may be granted a certificate of service as a first-class master, second-class master or serang, depending on the size of vessel served and on successful completion of relevant preparatory course including the four basic safety courses from from National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping.
- (vii)** A certificate of service granted as per Para (6) shall have the same effect as a certificate of competency granted under these Rules. A certificate of Service so issued shall be issued in Form-30.
- (viii)** The Chief Examiner may if he thinks fit grant a license authorizing a person to act as master or engineer, as the case may be of any inland mechanically propelled vessels having engines of one hundred and seventy nominal horse-power or of such less nominal horse power as he may deem fit who is in possession of a second-class master's certificate granted as per these rules and has, by virtue of such certificate, acted as

master of an inland mechanically propelled vessels having engines of forty or more nominal horse-power for a period of not less than five years.

- (ix) Any license granted under para (8) above shall remain in force only for such time as the person holding the same is in the possession of engine-driver's certificate of the nature referred to in para (8) above. Provided that the State Government may if it thinks fit, suspend, cancel or vary the conditions of any such licenses.
- (x) Every certificate of competency or service and every license granted under these rules shall be made in duplicate, and one copy shall be delivered to the person entitled to the certificate, or license and the other; shall be kept and recorded in the prescribed manner.

31. QUALIFICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY AS A SERANG

- (i) A candidate shall not be admitted to the examination, unless he-
 - (a) is a citizen of India;
 - (b) has obtained 21 years of age on the date of examination;
 - (c) is able to read and write Hindi in Devnagri Script.
- (ii) Qualifications-A candidate for a Certificates of Competency as Serang shall have minimum qualification of eighth standard passed in English or Hindi or a regional language;
- (iii) Candidates who, desires to appear for the examination of Competency as Serang should produce the Certificate of Preparatory Training Course from from National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping;

The training period of the respective course shall be considered as a service for the purpose of computing the total qualifying service;

- (iv) Candidates other than for armed forces and paramilitary persons ,who desires to appear for the examination of Competency as Serang should have undergone Rating Induction Training if the date of beginning of first qualifying service is after these rules comes in effect. The training period of the course shall be considered as a service for the purpose of computing the total qualifying service;
- (v) Such candidates should have four years of service at sea or on Inland Waters vessels having engine not less than 226BHP or for a period of five years on vessels having engine not less than 85BHP or for a period of six years of vessel having engine not less than 40BHP, one year of which service shall be as helmsman or an Assistant to Master (Deck) or Sukani and should have performed of at least six months service on board the vessel plying in the port/Inland Rivers of the State where the Candidate is appearing for the examination of Serangs;or
- (vi) Such candidates who have passed Matric examination from recognized board and have three years of services at sea or on Inland waters, one year of the service shall be helmsman or as Assistant to Master or Sukani and should have performed at least six months service on board the vessel plying in the port/Inland Rivers of the State where the candidate is appearing for the examination of Serang;or
- (vii) Such candidates who have passed class X (Matric) examination from recognized board and undergone one year Inland Vessel Cadets Training at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute or approved by

DG Shipping shall have two years of services at sea or on Inland waters, if the total service has been performed as Inland Vessel cadet apprentice with onboard vessel Structured Training Program verified in record book and approved or conducted by NINI and should have performed at least six months watch keeping service under qualified serang or First Class Master or Second Class Master on board the vessel plying in the port/Inland Rivers of the State in which he is appearing for examination of serang;or

- (viii) Such candidates who have served in flood or water transport company of police, P.A.C. or other Paramilitary forces for 5 years or more;
- (ix) The candidate appearing for the examination of Serang and shall be examined in the following subject-
 - (a) the rules of the road as regards both sailing vessels and mechanically propelled vessels, their regulation, lights, fog and sound signals;
 - (b) the marking and use of the lead line and knowledge of the compass;
 - (c) Management of a boat under oars or sail;
 - (d) Steps to be taken in the event of vessel grounding;
 - (e) Management of inland vessels under all conditions;
 - (f) Management of inland vessels under tow or when towed;
 - (g) Partial questions on carriage of iron ore, coal, ODC, Petroleum Products;
 - (h) The provisions of the Inland Vessels Rules for Life Saving, Fire Appliances, collision avoidance and general discipline;
 - (i) The provisions of the rules with regards to carriage of passengers.

32. QUALIFICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY AS A SECOND CLASS MASTER

- (i) Age-A candidate for a Certificate of Competency as Second Class Master of an Inland Vessel shall not be less than 21 years of age.
- (ii) Qualifications-A candidate for Certificate of Competency as Second Class Master should hold certificate of Competency as Serang.
- (iii) Such candidates who desire to appear for the examination of Competency as 2nd Class Master should undergo Preparatory Course of II Class Master at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute Or approved by DG Shipping.

The training period of the respective course shall be considered as a service for the purpose of computing the total qualifying service.

- (iv) Such candidates should have two years service as Helmsman Sukani of inland vessel having not less than 282 BHP or three years service as Serang of an Inland Motor vessel having less than 282 BHP. A candidate for certificate of Competency as Second Class Master shall be examined in the following subjects:-
 - (a) Management of inland vessels under all conditions;
 - (b) Knowledge of storm and distress signals;
 - (c) Knowledge of the compass;
 - (d) Knowledge of inland waters of NW-1, its anchorages, shoals, buoyage, beacons, lights and other such matters;

- (e) The rules of the road as regards to both, sailing vessels and mechanically propelled vessels, their regulation, lights, fog and sound signals;
- (f) The marking and use of the lead line;
- (g) Steps to be taken in the event of vessel grounding;
- (h) Management of inland vessels under tow or when towed or pushing;
- (i) Questions on carriage of iron ore, coal, ODC, Petroleum Products, cement, fly ash, containers;
- (j) The provisions of the rules made by IWAI in respect of Life Saving and Fire Appliances and Conduct of Vessels;
- (k) The provisions of the rules with regards to carriage of passengers;
- (l) Knowledge of Loading Marks and Stability of Inland vessels;
- (m) Knowledge of Inland Vessels Act and Relevant DG notices;
- (n) Use of GPS, DGPS, VHF, Radar, ARPA and Echo sounder for safe navigation of vessel to be demonstrated in Simulator.
- (v) No refund of fee permitted-The fee which the candidate has paid shall not be refunded to him and on presenting himself, when entitled so to do, for re-examination for the higher grade of certificate, he shall be required to pay the full fee again.

33. QUALIFICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY AS A FIRST CLASS MASTER

- (i) Age- A candidate for a Certificate of Competency as First Class Master of an inland vessel shall not be less than 21 years of age.
- (ii) Qualifications- (a) A candidate for Certificate of Competency as First class Master should hold Certificate of Competency as Second Class Master.
- (b) Such candidate who desires to appear for the examination of Competency as 1st Class Master should undergo Preparatory Course for 1st Class Master in at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute.

The training period of the respective course shall be considered as service for the purpose of computing the total qualifying services.

- (iii) Such candidate should have served-
 - (a) As Master of a Motor vessel of not less than 226BHP for a period not less than 27 months, while holding a Certificate of Competency as Second Class Master.
 - or
 - (b) As Assistant to Master of a vessel of not less than 565 BHP while holding a Certificate of Competency as Second Class Master for a period of not less than 18 months.
- (iv) Additional knowledge- In addition to the knowledge required for the grades of Serang and Second Class Master, a candidate for certificated of Competency as First Class Master shall be examined in each of the following subjects-
 - (a) Knowledge of tide-tables and effect of currents;
 - (b) Knowledge of hydrographic charts of National Waterway-1;

- (c) Knowledge of handling twin screw vessels;
- (d) Writing of log books;
- (e) Knowledge of weather and waves;
- (f) Knowledge to be able to make use of weather reports issue for the areas;
- (g) Seasons and general weather of the area throughout the year;
- (h) Knowledge of loading, Stowing, Securing, Carrying and Unloading of different types of cargoes;
- (i) Knowledge of Stability of vessels and effects on Grounding;
- (j) Knowledge of fire fighting appliances, light and sound signals, life saving appliances and their uses;
- (k) Knowledge of the provisions of the Inland Vessels Act, 1917 (Central Act 1 of 1917), and the rules framed there under;
- (l) Knowledge of IWA rules pertaining to terminals and ports;
- (m) Knowledge of Kolkata Port Rules and also Customs Regulations in so far as they are applicable to inland mechanical propelled vessels;
- (n) Signaling, recognition of alphabet and numbers through the international Code of Flags, Morse and use of ensign flag;
- (o) Knowledge of use of Mariner's Compass and Gyro Compass and find and apply the errors on the Compasses;
- (p) Knowledge of the rules with regards to Prevention and Control of Pollution and protection of Inland waters and Coastal Areas;
- (q) The provisions of the I.V. rules for Life Saving, Fire Appliances, collision avoidance and general discipline;
- (r) Knowledge of the provisions of section 134, Chapters X, XI and XII of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) as applicable to the Inland Vessels;
- (v) The candidate shall have successfully completed Inland Vessel Maneuvering Simulate or course at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute .
- (vi) Every candidate shall pay the following examination fees to the examination centre for appearing at the examination as required under rule 30, which shall not be returnable-
 - (i) First Class Master/ Inland Vessel Engineer Rs. 2000-00;
 - (ii) Second Class Master/First Class Engine Driver Rs. 1600-00;
 - (iii) Serang/ Second Class Engine Driver Rs. 1000-00;

Above fee can be revised by the Transport Department from time to time.
- (vii) A certificate of competency of 1st Class Master, 2nd Class Master and Serang of inland vessel shall be issued in prescribed Form.
- (viii) Duplicate of all certificates granted under these rules shall be recorded in the office of the Transport Department, Jharkhand, Ranchi.

34. Grant of Certificate:-

- (i) A person who has served as a master or engineer on a vessel of the Coast Guard, Indian Navy or Army for a period of 3 years shall be granted certificate of competency as serang, first class or Second class master or Inland vessel engineer, first class or second class engine driver subject to the following-

- (a) Satisfactory completion of relevant preparatory course at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute;
- (b) Satisfactory completion of four basic courses.
- (ii) A person who has served in flood or water transport company of police, P.A.C. or other Paramilitary forces for 3 years or more shall be granted license as boat handler subject to the following-
 - (a) Satisfactory completion of Boat Handler Course at National Inland Navigation Institute (NINI), Patna or from any other equivalent recognized institute;
 - (b) Satisfactory completion of four basic courses.
- (iii) A license, certificate of competency or service granted by the state government to a master or engineer shall be valid throughout India;
- (iv) Form and Validity of Certificate of competency-
 - (a) Certificate of Competency shall be issued in the appropriate forms

i.	Inland Vessel Engineer	Form 21
ii.	First Class Engine Driver	Form 22
iii.	Second Class Engine Driver	Form 23
iv.	First Class Master	Form 24
v.	Second Class Master	Form 25
vi.	Serang	Form 26
 - (b) The validity of all competency certificates issued for the first time to the candidates who pass the Masters, Serangs, Engineers, Engine Drivers or Lascar's examination shall be for period of five years;
 - (c) Master's, Engineer's, Engine Driver's, Searng's certificate of competency shall be renewed for five years at a time on expiry of their validity;
 - (d) Application for renewal shall be made to the, at any examination centre with appropriate fees;
 - (e) Any certificate not so renewed shall lapse, A lapsed certificate if not more than three years, shall be renewed after paying one extra fees and giving satisfactory reason for the same. After three years the certificate shall be renewed after undergoing oral examination and if found satisfactory the examiner may recommend for renewal of the license after paying one extra fees;
 - (f) Whenever a master or serang, or an engineer or engine-driver, proves, to the satisfaction of the Chief Examiner that he has, without fault on his part, lost or been deprived of it, a copy of the certificate or license to which according to therecord kept hereunder he appears to be entitled shall be granted to him and shall have the same effect as the original;

- (g) Any certificate granted or any endorsement made under this chapter may be suspended or cancelled by the Government of Jharkhand in the following cases, namely-
- (i) if, on any investigation made under the IV Act, the Court reports that the wreck or abandonment of or loss or damage to, any vessel, or loss of life has been caused by the wrongful act or default of the holder of such certificate, or that the holder of such certificate is incompetent, or has been guilty of any gross act of drunkenness, tyranny or other misconduct; or
 - (ii) if the holder of such certificate is proved to have been convicted of any non-bailable offence; or
 - (iii) if the holder of such certificate is proved to have deserted his vessel or has absented himself, without leave and without sufficient reason, from his vessel or from his duty; or
 - (iv) if, in the case of a person holding a certificate of competency or service and second-class master or serang, or as engine-driver, such person is or has become, in the opinion of the State Government, unfit to act as a second class master or serang or an engine-driver, as the case may be;
- (h) Every person whose certificate is suspended or cancelled under this Chapter shall deliver it to the Chief Examiner;
- (i) State Government of Jharkhand or Chief Examiner may revoke any order of suspension or cancellation which it may have made under this Chapter to grant new certificate, or grant, without examination to any person whose certificate it has so cancelled a new certificate. A certificate so granted shall have the same effect as a certificate of competency granted under this Act after examination.

CHAPTER: 5.0
PROTECTION AND CARRIAGE OF PASSENGERS
INLAND VESSEL

35. The master or any employee authorized in this behalf by the owner or master of any inland vessel, may refuse to admit any person on the Inland Vessel as a passenger:-

- (i) if he has not paid his fare; or
- (ii) if he is insane; or
- (iii) if he is suffering from an infectious or contagious disease; or
- (iv) if he is drunk and incapable of taking care of himself; or
- (v) if he is disorderly, or if he is otherwise in such a state or is conducting himself in such a manner, as to cause or likely to cause annoyance to other passengers; or
- (vi) when the Inland vessel, or the part thereof to which such person seeks admission, already contains the maximum number of passengers which may lawfully be carried therein.

36. (i) No passenger shall-

- (a) travel or attempt to travel in an inland vessel without having previously paid his fare; or
- (b) travel or attempt to travel in accommodation of a higher class than that for which his fare has been paid; or
- (c) travel beyond the place to which his fare has been paid without previously paying the additional fare in respect of the additional distance; or
- (d) use or attempt to use ticket on any day for which such ticket is not available; or
- (e) take or attempt to take luggage with him without having previously paid the freight, if any, payable in respect thereof.
- (ii) Every passenger of an inland vessel shall, when required by the master or any person authorized in this behalf by the master or owner-
 - (i) pay his fare, if not already paid;
 - (ii) present his ticket for examination;
 - (iii) deliver such ticket at or near the end of the journey.
- (iii) No passenger shall alter or deface his ticket so as to render illegible the date or number or any other material portion thereof.

37. (i) No passenger shall take with him or keep on board an inland vessel:-

- (a) any decayed meat, fish or vegetable, or any such other offensive article;
- (b) Any dangerous and explosive material;
- (ii) No passenger on an inland vessel shall-
 - (a) obstruct or impede the master or any other officer of the Inland vessel in the discharge of his duties;

- (b) in any way obstruct or interfere with the loading or unloading of luggage or cargo;
- (c) damage or attempt to damage the Inland vessel or any article on board thereof;
- (d) enter or leave to attempt to enter or leave, any inland vessel when such Inland vessel is in motion;
- (e) without lawful excuse, enter a compartment or place reserved for the use of another passenger or refuse to leave it when required to do so by the master or any other officer of the Inland vessel;
- (f) smoke or be in possession of a fire or light, in any part of the Inland vessel where smoking or the possession of a fire or light is not permitted by the master thereof;
- (g) be drunk and disorderly, or drunk and incapable of taking care of himself;
- (h) commit any nuisance or act of indecency or use obscene or abusive language;
- (i) without lawful excuse, molest or interfere with the comfort of any other passenger.
- (iii) No male passenger on an inland vessel, knowing that a compartment or place has been reserved for the exclusive use of females, shall enter such compartment or place without lawful excuse, or having entered it, shall remain therein after being required by the master, or any other officer of the Inland vessel to leave it.

38. The master or owner or any employee authorized in this behalf by the owner or master, of any inland vessel may make the following passengers leave the Inland vessel, namely:-

- (i) Insane passengers, and their attendants (if any), if they have embarked without the special permission of the master, or of the authorized employee;
 - (ii) Passengers suffering from an infectious or contagious disease, when they have embarked without the special permission of the master or owner or of the authorized employee;
 - (iii) Passengers who are drunk and incapable of taking care of themselves;
 - (iv) Passengers who are disorderly, or are otherwise in such a state, or are conducting themselves in such a manner, as to cause or likely to cause annoyance to other passengers;
 - (v) Any passengers who have embarked in excess of the maximum number of passengers which may lawfully be carried in the Inland vessel or in the part of the inland vessel thereof in which they propose to travel; and
 - (vi) Passengers who have not paid their fare.
- 39.** A person who has been refused permission to an inland vessel under rule 35 shall not embark thereon; and a person who is required under rule 38 to leave an inland vessel shall leave at such convenient time and place as the master/ owner or authorized employee may direct:
- Provided that any person who is refused admission under clause (e) of rule 38 to leave shall be entitled to have his fare refunded to him.
- 40.** Any passenger who, with intent to defraud, commits any breach of rule 36, and any person who commits any breach of rule 37, shall be punished with fine of rupees One thousand.
- 41. (i)** Whenever any case of plague, cholera or other dangerous epidemic disease occurs on board in Inland Vessel, the master or serang, shall immediately-
- (a) Remove the patient, together with his bedding, drinking utensils and food, to a part of the deck at the extreme stern of the Inland Vessel, where he shall be segregated from the rest of the passengers by a purdah. In the case of plague, the clothing, bedding,

- and if considered necessary the baggage of the patient shall be disinfected immediately;
- (b) Cause all excreta, vomit and urine which may have been discharged on to the dock by the patient, to be cleaned away with a solution of cyllin ; and
 - (c) Report the case to the Deputy Commissioner or Sub-divisional Officer within whose jurisdiction the nearest ghat lies and also to the Chief Medical Officer of the district.
- (ii) Where such ghat is not at the headquarters of a sub-division or district, the report mentioned in sub-clause (c) of Sub-rule (1) shall be sent by the master or serang, as the case may be, by the most expeditious means available, to the next headquarters of a sub-division or district which the Inland vessel will touch.
- (iii) If, when the case occurs, the Inland Vessel is lying at a ghat at the headquarters of a sub-division or district, or otherwise, when the Inland Vessel has reached the nearest ghat which is at such headquarters, the master or serang shall not move the Inland Vessel there from until permission has been given by the Deputy Commissioner or Sub-divisional Officer as the case may be.
- (iv) (a) On receipt of the report mentioned in sub-rule (1) the Magistrate shall at once depute a Medical Officer to inspect and disinfect the Inland Vessel;
- (b) Such Medical Officer shall visit the Inland Vessel and if a suitable hospital is available, or if other satisfactory arrangements can be made for the patients treatment and segregation, shall bring the patient to land.
- (v) Where no such hospital is available, and no such arrangement can be made, the patient shall not be allowed to land, but the Medical Officer deputed under sub-rule (4) shall take steps to ensure the proper segregation of the patient on the Inland Vessel, and to satisfy himself that every possible precaution has been taken to prevent the spread of the disease.
- (vi) The Medical Officer deputed under sub-rule (4) shall, in all cases, cause the deck cabins, latrines and any other part of the Inland Vessel, while the patient has been, to be thoroughly washed down with a strong solution of cyllin, and all utensils which has been used by the patient, to be disinfected.
- (vii) (a) In case of death, the body of the patient shall be wrapped in a cloth soaked in a strong solution of cyllin, and made over to his relatives, friends, or where he is without relatives/ friends, to the police, who shall arrange for its disposal;
- (b) If they have not already been disinfected in accordance with the provisions of clause (a) of sub-rule (1) of rule 41 the clothes of the deceased (except those in the baggage), his bedding and all food in his possession shall be burnt, unless orders to the contrary are passed by the Medical Officer.
- (viii) The Medical Officer deputed under sub-rule (4) shall ascertain the names and addresses of all members of the party accompanying the patient and shall report them through the Deputy Commissioner or Sub-divisional Officer of the district to which they are proceeding.
- (ix) When the orders contained in these rules have been complied with, and the Medical Officer deputed under sub-rule(4) is satisfied that there is no reason further to detain the inland vessel, he may give permission to the master or serang to proceed on the journey.

- (x) The owner of every inland vessel shall be bound to keep on board each inland vessel, five liters of cyllin.
 - (xi) The patient may be permitted to land on the expiry of a period to be fixed by the Medical Officer deputed under sub-rule (4).
 - (xii) Any person committing a breach of any of the above rules shall be punished with fine which may extend upto rupees one thousand.
- 42. (i)** Before an inland vessel proceeds on a voyage, its cargo and that of any float or floats which are intended to be towed, shall be safely towed away, and hay or any other inflammable material shall be properly stowed with tarpaulins or other sufficient protection.
- (ii) Provisions of Section 50 and section 51 of the Act shall be displayed in some prominent place on an inland vessel.
 - (iii) Every person who takes any dangerous goods with him on board of an inland vessel shall, if required to do so, hand over the same to the master or owner or an authorized person by the master or owner of the inland vessel for safe custody.
 - (iv) No person shall use naked lights of any description in the hold or on the cargo deck of any inland vessel; and no closed light shall be used unless it is in the charge of an officer of inland vessel.
 - (v) Fire stations at the inland vessel shall be assigned to the officers and crews.
 - (vi) No gun powder or other explosive shall be carried unless it is in a suitably constructed magazine compartment; and no fire shall be permitted on board of Inland Vessel while gun powder is being taken in or discharged.
 - (vii) Nothing in sub-rule (2) as to the delivery of dangerous goods to the master, or in sub-rule-(6) as to the carriage of gunpowder or other explosive in a magazine compartment, shall apply to the carriage of samples of explosive in the charge of an inspector of explosives.
 - (viii) It shall be the duty of the master or owner of every inland vessel to give effect to, and observe the above rules, and he or other person committing a breach of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine.
 - (ix) Which may extend up to twenty thousand rupees or with both.
- 43. Loading of cargo in Inland Vessel carrying passengers shall be regulated as follows:-**
- (i) Stern wheel inland vessel with a length of hull of less than 36 meters when carrying cargo on deck or passengers, shall be fitted with-
 - (a) Shifting boards amid ships in a fore and aft direction in way of, and height at least level with, the cargo;
 - (b) a substantial wire net or similar light division on the upper deck amidships in fore and aft direction at least 1.8 meter high.
 - (ii) In all other inland vessels carrying both passengers and cargo, all cargo, carried on deck shall be efficiently stowed to prevent it from shifting.
 - (iii) A space of at least 75 centimeters wide on each side of the cargo, and within the bulwarks, shall be kept clear as fore and aft passage way.

- (iv) Any owner or master committing a breach of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both.

44. Freeboards:-

- (i) In case of passenger vessel when it is loaded with weight representing the full number of passengers and crew at 65 kg for each person and when all necessary fuel is on board the clear height of the side above water at the lowest point in not less than 38 cms for vessels 6 m in length or less and 76 cms for vessels 18 m in length and over. For lengths between 6m and 18 m in height shall be in proportion. The length shall be measured from the forward side of the stem to the after side of stem post and the clear side shall be measured to the top of the covering board if however a half deck is fitted the clear side shall be measured to the top of the side at side or to the top of gunwale whichever measurement gives the smaller free board. In decked boats the free board shall be measured from the top of the deck at side.
- (ii) Vessels permitted to ply during foul season shall be required to have freeboard 1.5 times as of that calculated in sub rule (1).

45. (i) In all cases in which an inland vessel has sustained damage from any accident, or other cause, affecting its efficiency, in any part of hull equipment, or machinery, the surveyor of the port where the inland vessel may be, shall go on board and ascertain the extent of the damage. In doing so, he will take care not to make any change in the position or condition of things on the board.

- (ii) The accidental inland vessel shall be surveyed, and a report thereof shall be sent to the Registering Authority as early as possible.

46. (i) In cases of collision, the surveyor should examine the lights and screens of the Inland Vessel, and if the Inland Vessel, with which it has been in collision is within his district he should examine the lights of the Inland Vessel also, should forward to the Registering Authority examine in a separate report, a statement in respect of the size, condition, and place of its lamp and screens and whether in his opinion they are deficient.

- (ii) The surveyors should be very careful in wording their report as to lights and screens as they may be used in evidence in case taken into Court.

- (iii) If, in consequence of any accident to an Inland Vessel, or any other reason, the surveyor considers it necessary to require the vessel to be taken into dock for the purpose of surveying the hull thereof, he may do so, but he is to be cautious never to exercise this power unless the circumstances of the case actually require it.

- (iv) Unless directions to the contrary are given by the Registering Authority, the surveyor is to hold the certificate of the Inland Vessel during the time it is under repair, and for this purpose he is to require it of the master, unless the damage is such that in the surveyors opinions the certificate should be cancelled, in which case he should forward it to the Registering Authority with his report. In all cases of serious damage the certificates should be returned to the Registering Authority to be cancelled.

- (v) If the master or owner decline to give up the certificate the surveyor shall inform immediately to the Registering Authority, and the Director Inland water transport.

- (vi) When the vessel is in every respect rendered efficient both in hull and machinery to the entire satisfaction of the surveyor, he is to put an endorsement on the back of the certificate if they have not been previously cancelled, to the effect that the damage has

been made good so as to last for the period for which the certificate was granted, and return the certificate to the master or owner, or his agent, and allow the inland vessel to proceed. He is then to send to the Registering Authority a statement to the extent of repair that was necessary, and endorsement made on the certificate.

47. In all cases in which a surveyor is directed by the Registering Authority to obtain from an owner or master a certificate that has expired, or has been cancelled or revoked, he is to apply for it without delay, and in the event of his application not being attended to, he is at once to report the case. A fine of two hundred rupees may be imposed on any owner or master who neglects or refuses to deliver such certificate when required to do so by the Registering Authority.
48. Notwithstanding anything contained in these rules, the State Transport Commissioner by a general or a specific order, may direct the vessel owners, vessel builders or persons/ passengers involved in any manner with vessel operation to add/ delete/amend certain technical specifications of vessels or of its operational aspects in order to enhance safety of vessel, monitoring of movement, passengers comfort and general regulation of the Inland Transport Sector.

CHAPTER: 6.0

LIFE SAVING APPLIANCES TO BE CARRIED ON BOARD INLAND VESSELS

49. Classification of vessels:-

- (i) For the purposes of this Rule the inland vessels shall be classified as namely-
 - (a) Class I – Passenger vessels and Ferry launches boats.
 - (b) Class II – Cargo vessels and vessels other than those falling under Class I, Class.
 - (c) Class III – Non-propelled vessels (Barges).
 - (d) Class IV – Pleasure crafts adventure vessels.
- (ii) Required of vessels of Class I-
 - (a) Sufficient number of life rafts or buoyant apparatus to accommodate at least 50% number of passengers and crew on board.
 - (b) One life jacket for 50% of passengers and crew on board.
 - (c) Life jacket for child, for 10% of total number of persons certified to carry. For the purpose of this section, child means person below 30kgs.
 - (d) At least four life buoys for vessels up to 25 meter length, six life buoys for vessel.
 - (e) 25-45 meter length and life buoys more than 45 meter length. At least two of the life buoys shall be with self igniting light if the vessels navigate at night.
 - (f) Every vessels of Class I passenger capacity 150 shall have at least one life boat with minimum passenger capacity of ten persons. The boat shall be provided with necessary arrangement for launching. Boats are to be stored on either side of the vessels if more than one boat provided.
 - (g) Life boats plus Life rafts plus life jacket together to accommodate 100% of the passengers and crew onboard.
 - (h) All crew boat should possess sufficient training in rescue working addition to artificial respiration and first aid.

- (i) All boats have headlights search lights hand torches and emergency lanterns.
- (j) Boats should be sturdy and should maintenance standards rigid. The underwater material should be sound, strong and river worthy. In small vessels one pair of oars should be kept in readiness for use in event of power failure.

(iii) Requirement for Vessels of Class II-

- (a) Every vessel of Class II shall be provided with-
 - (i) At least one life raft to accommodate all crew for vessel over 10 meters;
 - (ii) One life jacket for each crew or persons on board;
 - (iii) At least two life buoys for vessels upto 25 meter length and four life buoys for above 25 meter of which one shall be equipped with self igniting light if vessels navigate at night.
- (b) Life raft plus life jacket plus life buoys to accommodate 100% of the crew.

(iv) Requirement for vessels for Class III-

Every manned vessel of class III shall be provided with;

- (a) At least two life buoys, one of which shall be equipped with self switching light if the vessels navigate at night;
- (b) One life jacket for every crew on board.

(v) Requirement for Vessels of Class IV-

- (a) Every vessel of class IV up to 10 meter in length shall carry life jacket for each person. Vessel above 10 meter shall carry sufficient life raft for all persons on board. For small vessels where buoyant apparatus could not be accommodated 100% buoyancy by way of life jackets and lifebuoys;
- (b) However all vessels of class IV shall carry at least 2 life buoys of which one shall be of self lighting type if the vessels navigate at night. For small vessels the buoyant apparatus could not be accommodated 100% buoyancy by way of life jackets and life buoys.

50. Technical Requirements:-

Every life saving appliances provided as per provisions of these rules shall be of approved type and have proper stowage as per the satisfaction of the surveyor.

51. Display of usage:-

On every vessel of Class I the list of saving appliances and instruction of their use shall be displayed at conspicuous places.

52. Exemption:-

Vessels or class of vessels whose keel of which is at the corresponding stages of construction before coming into force of these rules may be exempted from compliance there with of the provision for carriage of life boats until one year after the date of commencement of these rules provided that adequate life raft in lieu are provided on board.

CHAPTER: 7.0 INLAND VESSELS AND FIRE FIGHTING EQUIPMENTS

53. This rule should apply to all vessels excepting:-

- (i) Vessels above 500 tonnes gross. These vessels shall be required to comply with requirements of Merchant Shipping (Fire Alliances) rule 1969 as applicable to ships on coastal voyages.
- (ii) Hovercrafts: Requirements in respect of hovercrafts shall be specially considered by the competent officer.
- (iii) Provided that these rules do not apply to the existing vessels for a period of 6 months from the date of publication of these rules or till their next annual survey whichever is early.

54. Appliances to be carried:-

All inland vessels should be provided with the following type of fire appliances-

- (i) Power Driven Fire Pump: In every vessel above 150 tonnes gross at least one.
- (ii) Hand Operated Fire Pump: In every vessel exceeding 21 meters in length at least one.
- (iii) Water services pipes, Hydrants, Fire houses: In every vessel required to carry a fire pump with water services pipe hydrants and fire houses so arranged that at least one powerful jet of water may be directed to any part of the vessel. Hoses shall not be less than 32mm in dia.
- (iv) Plain Nozzles: One for every fire hose carried in accordance with these rules.
- (v) Spray Nozzles: One for every fire hose carried in accordance with these rules.
- (vi) Portable Soda Ash/ water type of fire extinguishers: One in each of the passengers spaces above the upper deck and with at least two such extinguishers in each of the crew spaces and of the passenger space below the deck. Provided vessels less than 15 meters in length need carry one such extinguisher.
- (vii) Portable type of Fire Extinguishers: At least two in every machinery space.
- (viii) Portable Dry Power Type Fire Extinguishers: Having at least one in every vessel having a large electrical installation.
- (ix) Fire Axe: At least one in every vessel exceeding 15 meters in length.
- (x) Fire Buckets: At least one for each number of the crew with the minimum of two. Fifty percent of those buckets are to be fitted with lanyards. No vessels need carry more than 20 buckets.
- (xi) Sand Box with scoop: In every vessel at least one in machinery and boiler spaces. Quantity of sand shall not be less than 0.075 cubic meters.
- (xii) Non Portable Foam Type Fire extinguishers. In case of motor vessels exceeding 30 meter length at least one. Capacity of such extinguishers shall not be less than 45 liters.
- (xiii) Smothering Arrangement. All fixed installation in all vessels having areas containing fuel oil installation shall be covered by smothering arrangements.

55. Approval by Competent Authority:-

If in any case the inland vessel is unable to comply fully with the requirements set out as above, in all cases of vessel exceeding 45m in length, Or 150 ton gross, the appliances to be provided are to be referred to the competent officer for approval.

56. Responsibility of Master/Owner:-

- (i) The master of all inland vessels shall ensure that the vessel is provided with appliances and equipment for fire fighting and for protection from danger or explosion in accordance with these rules and that the crew of the vessel are well conversant with the use of these appliances.
- (ii) If in any case an inland vessel is unable to comply fully with the requirements set out in these rules and in all cases of vessel exceeding 45 meter in length the Fire Appliances to be provided are to be referred to the component officer for approval.

57. Penalties:-

Any breach of provisions in these rules shall be punishable with Imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 500 rupees or both.

CHAPTER: 8.0

PASSENGER ACCOMMODATION

[Application-This part shall apply to all vessels]

58. Passenger Accommodation:-

- (i) Area of each part of passenger space and the length of seats therein shall be measured and the lesser of the numbers given by area and by seating shall be the allowable number during fair season provided that in open vessels the allowable number of passengers is not to exceed two per 0.3 metre of length of the vessel and in no case to exceed 100.
- (ii) Total number of passengers permitted to be carried during the foul season shall not exceed two third the total number allowed for fair season provided that vessels operating in sheltered waters such as creeks may be permitted to carry same number of passengers throughout the year.
- (iii) Open Launches-
 - (a) The forward extremity of the space available for the passenger accommodation is to be determined by the Surveyor, with due regard to accommodation is to be determined by the Surveyor, with due regard to the proper stowage of the anchor and cable and to any other necessary equipment in the bow of the vessel, and the length shall be measured from this point to the foreside of the bulkhead separating the machinery space from the passenger space.
 - (b) If the machinery is placed amidships, and additional space is available for passengers between the after bulkhead of the machinery space and a position near the stem of the vessels, to be determined by the Surveyor as suitable having due regard to the steering arrangements and fuel tank space, such shall also be considered for accommodating passengers. The breadths are to be measured at suitable intervals to the back of the side benches or to the inside of gunwale or to the inside of the half deck(where fitted) whichever measurement is least.
 - (c) The space abreast of the machinery space may be included in the passenger measurements if the engine is enclosed by a casing of longitudinal bulkheads and if the distance between the sides of the casing or bulkheads and the back seats is at least 0.9m.

- (d) The number of passenger allowable by area shall be found by dividing by 0.36 the area in square meters of the clear space measured as above. Allowance shall be made for the crew and baggage in the area measurements (15%). The number allowable by seating shall be found by dividing the length in meter of each continuous fixed seat by 0.45.
- (e) Seating on buoyant apparatus shall be computed separately.
- (iv) Decked Launches-
 - (a) The forward extremity of the space available of the space for the passenger accommodation shall be determined for passenger accommodation shall be determined as above for above for open for open launches, and the clear area of this space is to be obtained by deducting all encumbrances such as skylights, companions, machinery casings, navigating spaces, life boats and ventilator.
 - (b) The maximum number of passengers that may be allowed shall be ascertained by using the divisor 0.56 for the area of deck in square meter of the saloon or cabin floor below deck. Only one saloon or cabin floor below deck. Only one saloon below deck shall be included in passenger measurement, except that where the vessel has an appropriate standard, except that case more than 250 passengers shall be allowed.
 - (v) In all vessels the seating must be so arranged that there will be no serious obstacle to prevent a person from passing forward and act quickly in case of emergency.
 - (vi) No space within 0.5m of entrance to any ladder way, wash place or lavatory shall be included in the space measured for passengers.
 - (vii) Vessels engaged in carrying large number of passengers shall have a strong barrier constructed on each deck.
 - (ix) The provision regarding freeboard shall take precedents with regard to calculation or asserting of any issue/ matter related to overloading of the vessel.

CHAPTER: 9.0

STABILITY

[Application- This part shall apply to all vessels.]

59. Stability:-

- (i) An inclining experiment shall be carried out to determine the elements of stability. Unless particulars of position to transverse met centre at various drafts are available the experiment shall be carried out with the vessel loaded with weights to represent the fully laden condition.
- (ii) Calculation showing the transverse metacentric height and the angle of heel which would occur with two third of passengers distributed on one side of heel which would occur with two third of the passengers distributed on one side of the vessel and one third on the other side requires approval of the surveying authority. Each passenger shall be represented by a weight of 65kgs.
- (iv) In decked vessels the passengers shall be taken as congregated at 0.27 sq meter each on upper most deck or decks to which they have access and the center of gravity of the passenger at 0.75 meter above the deck.

- (iv) In open vessels the center of gravity of passengers shall be taken at 0.3 meter above the seat.
- (v) In no case shall the surveyor certify a vessel for any number of passengers unless he is satisfied with the vessel has sufficient stability and free board to carry that number safely.
- (vi) Stability of hovercrafts shall be specially considered.
- (vii) Initial GM must be least 0.15 meter.

CHAPTER: 10.0

anchors And Cables

[Application -This part shall apply to all vessels]

60. Anchors and cables:-

- (i) Every inland vessel of less than 15m in length shall be provided with at least one anchor and chain cables.
- (ii) Every inland vessel of 15m and more in length shall be provided with at least two anchors and chain cables.
- (iii) Every vessel exceeding 100 tonnes shall be provided with anchors and cables as specified by the Surveying Authority in each case. Provided that the anchors and cables complying with Classification Society requirements will ordinarily be accepted.

61. Echo Sounder:-

- (i) Every vessel over 100 ton shall be provided with an echo sounder. and every vessel shall be provided with at least one hand lead line 15 fathoms in length with lead of at least 3.2 kg weight provided that small vessel plying in shallow waters shall be provided with a depth measuring pole or rod suitably marked.
- (ii) Every open vessel shall be provided with at least three oars three row locks and two efficient boat hooks.
- (v) Every vessel shall be provided with at least two heaving lines.

CHAPTER: 11.0

Navigation and Communication Equipments

[Application-This part shall apply to all vessels]

62. Lights And Shapes:-

Every vessel shall be provided with navigation lights and means of making sound signals etc in accordance with Prevention of Collision on National Waterways Regulations, 2002. Vessel shall also be provided with search lights from the bridge.

63. Communication equipment like compass binoculars wheel indicator bridge engine control PA system mobile shall be provided.

64. Penalties:-

A breach of any of the rules by the owner master or driver of the vessel shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extent to 500 rupees or with both.

CHAPTER: 12.0

**Lights, Sound Signals And Prevention Of Collision
Steering And Sailing
PART-A**

65. Look-Out:-

Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. Vessels shall make use of searchlights to locate luminous marks used for channel marking.

66. Safe speed:-

- (i) Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and grounding, and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
- (ii) In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account.
 - (a) The state of visibility;
 - (b) The traffic density including concentrations of fishing vessel or other vessels;
 - (c) The maneuverability of the vessel with special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions;
 - (d) The state of the river, wind, current and the proximity of navigational hazards;
 - (e) State and availability of shore navigational aids and channel marking by day and night;
 - (f) Speed restrictions imposed by the waterway authority;
 - (g) The draught of the vessel in relation to available depth of water; and
 - (h) At nights, the presence of background light such as from the shore lights or from the back scatter other own lights.

67. Risk of collision:-

- (i) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstance and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be deemed to exist.
- (ii) In determining if risk of collision exists the following consideration shall be among those taken into account:-
 - (a) Such risk shall be deemed to exist if a compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change and apparent distance from own vessel decreases;
 - (b) Such risk may sometimes exist even when an appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range; and
 - (c) For vessel not fitted with a compass, if the relative position remains unchanged.

68. Action to avoid collision:-

- (i) Any action taken to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship.
- (ii) Any alteration of course or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit be large enough to be readily apparent to another vessel. A succession of small alterations of course and / or speed should be avoided.
- (iii) If there is sufficient room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close quarters situation provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close quarters situation.
- (iv) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance the effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear.
- (v) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel shall slacken her speed or take the way off by stopping or reversing her means of propulsion.

69. Narrow channels:-

- (i) A vessel proceeding along the course of a narrow channel shall keep as near to the outer limit of the channel which lies on her starboard side as is safe and practicable. A vessel of less than 10 meters in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within the marked channel;
- (ii) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel in the navigable channel;
- (iii) A vessel shall not cross a navigable channel if such crossing impedes the passage of vessel proceeding upstream or downstream along the navigable channel;
- (iv) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal;
- (v) Every vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel.

When single lane traffic is in force, vessels shall join the lane only when the traffic signal permits to do so. While in the lane, the vessels shall proceed with maximum permissible speed and clear the channels as quickly as possible. Vessels shall not stop or anchor in a traffic lane and shall exercise caution while joining or leaving the single lane to avoid collision with waiting vessels at anchor.

PART- B
Conduct of vessels in sight of one another

70. Sailing vessels:-

When two sailing vessels are in sight of one another or approaching one another so as to involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows-

- (i) In a non tidal river when one vessel is proceeding upstream and the other vessel proceeding downstream the vessel proceeding upstream shall keep out of the way of the other;
- (ii) When both are proceeding, upstream or downstream and in a tidal lagoon the vessel which is to windward shall keep out of the way of the vessel which is to leeward;
- (iii) A vessel which is running free shall keep out of the way of a vessel which is close-hauled; and
- (iv) A vessel which is close-hauled on the port tack shall keep out of the way a vessel which is close-hauled on the starboard tack;
- (v) For the purpose of these rules, "upstream" shall be deemed the direction against current and downstream the direction with the current. "Wind ward" side shall be deemed to be the side opposite to that of which the main sail or the largest fore and after sail is carried.

71. Overtaking:-

- (i) Notwithstanding anything contained in these rules any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken;
- (ii) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam. That is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the stern light / towing light of that vessel but neither of her sidelights; and
- (iii) Any subsequent alteration or bearing between two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these rules or relieve her duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally passed and cleared.

72. Head-on situation:-

When two mechanically propelled vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other.

73. Crossing situation:-

When two mechanically propelled vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit avoid crossing ahead of the vessel.

74. Action by give-way vessel:-

Every vessel which is directed by these rules to keep out of the way of another vessel shall, so far as possible take early and substantial action to keep well clear.

75. Action by stand-on vessel:-

- (i) (a) Whereby any of these rules one of two vessels is to keep out of the way, the other shall keep her course and speed;
- (b) The latter vessel may however take action to avoid collision by her maneuver alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action as required by these rules;
- (ii) When from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessels alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision;
- (iii) A vessel which takes action in a crossing situation in accordance with sub paragraph 1(b) of this rule to avoid collision with another vessel, shall if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side; and
- (iv) These rules do not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way.

76. Responsibilities of (between) vessels:-

- (i) A mechanically propelled vessel underway shall keep out of the way of-
 - (a) a vessel is not under command;
 - (b) a vessel restricted in her ability to maneuver;
 - (c) a vessel engaged in fishing;
 - (d) a sailing vessel, vessel under oars or country boat; and
 - (e) a vessel proceeding downstream by a vessel proceeding upstream, if the prevailing circumstances permit.
- (ii) A sailing vessel under way shall keep out of the way of-
 - (a) a vessel not under command;
 - (b) a vessel restricted in her ability to maneuver; and
 - (c) a vessel engaged in fishing.
- (iii) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep out of the way of-
 - (a) a vessel not under command; and
 - (b) a vessel restricted in her ability to maneuver.

PART- C

77. Conduct of vessels in restricted visibility:-

- (i) This rule applies to vessels not in sight of one another when navigation in or near an area of restricted visibility;
- (ii) Every vessel shall make appropriate sound signals in accordance with Rules and exhibit lights while navigating in restricted visibility;
- (iii) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. A mechanically propelled vessel shall have her engines ready for immediate maneuver;
- (iv) Every vessel shall have due regards to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility when complying with the rule of this part;
- (v) Except where it has been determined that risk of collision does not exist every vessel which hears apparently forward her been the fog signal at another vessel or which cannot avoid a close-quarters situation with another vessel forward of her beam, shall reduce her speed, she shall if necessary take all her way off and in any event navigable with extreme caution until danger of collision is over.

78. Lights & Shapes:-

- (i) Provisions in this Rule shall be complied with in all weathers;
- (ii) The rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such, lights as cannot be mistaken for the lights specified in these rules, do not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look- out;
- (iii) The lights prescribed by these rules shall, if carried, also be exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary;
- (iv) The rule concerning shapes shall be complied with by day;
- (v) The lights and shapes unless otherwise specified in these rules shall comply with the positioning and technical details as per the provisions of Annex-1 to International Regulations for prevention of collision at sea (1972).

79. Different Lights used in vessels:-

- (i) "Mast head light" a white light placed over the fore and aft centerline of the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degree and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel. This light shall be placed as far as practicable at height above the hull of not less than 3 meters for vessels of 20 meters or more in length and 2 meters for vessels of less than 20 meters in length.
- (ii) "Sidelights" a green light on the starboard side and a red light on the port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel of less than 20 meters in length the sidelights may be combined in one lantern carried the fore and aft centerline of the vessel. Side lights shall be placed not less than 1 meter below the mast head light.

- (iii) "Stern light" a white light placed as nearly as practicable at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degree and so fixed as to show the light 67.5 degrees from light aft on each side of the vessel.
- (iv) "Towing light" an yellow light having the same characters as "Stern light" mentioned in sub section (3) of this rule.
- (v) "All-round light" a light showing an unbroken light over an arc of the horizon of 360 degrees.
- (vi) "Flashing light" a light flashing at regular intervals.

80. Visibility of Lights:-

The lights prescribed in these rules shall be visible at the following minimum ranges:-

- (i) A vessel of 20 meters or more in length, mast head light, 3 miles, Side lights 2 miles, Stern light 2 miles, Towing light 2 miles, all-round light 1 mile.
- (ii) A vessel less than 20 meters in length, a mast head light 2 miles side light one mile. Stern light 1 mile, white, red, green or yellow all-round light 1 mile. Lights to be exhibited by vessels.

81. Lights to be exhibited by mechanically propelled vessel under- way:-

- (i) A mechanically propelled vessel under-way shall exhibit:-
 - (a) a mast head light forward.
 - (b) side lights.
 - (c) a stern light.
- (ii) A mechanically propelled vessel of less than 10 meters in length in-lieu of the lights prescribed in paragraph (1) may exhibit an all-round white light and shall if practicable also exhibit side lights or a combined lantern.

82. Lights to be exhibited by towing & pushing vessels:-

- (i) A mechanically propelled vessel when towing or pushing shall exhibit-
 - (a) Two mast head lights forward in a vertical line when the length of the two exceeds 200 meters; There such light in a vertical line. These lights will be in-lieu of light prescribed in rule 81 (1)(a). The lights shall be placed not less than 1 meter apart and the lowest light placed at a height not less than two meters above the hull.
 - (b) side lights.
 - (c) a stern light.
 - (d) a towing light in a vertical line above the stern light.
- (ii) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are connected in a composite unit, they shall be regarded as a mechanically propelled vessel and exhibit the lights prescribed in rule-106.
- (iii) A vessel or object being towed shall exhibit-
 - (a) side lights.
 - (b) a stern light.

Provided that any number of vessels being towed or pushed in a group shall be lighted as one vessel.

- (iv) A vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, side lights.
- (v) A vessel being towed astern exhibit a stern light at the forward end side lights.
- (vi) Where from any sufficient cause, it is impracticable for vessel or object being towed to exhibit the lights prescribed in this rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or the object towed at least to indicate the presence of unlighted vessel or object.

83. Lights to be exhibited by sailing vessel and vessels under oars:-

- (i) A sailing vessel shall exhibit-
 - (a) side lights.
 - (b) a stern light.
- (ii) In a sailing vessel of less than 20 meters in length the lights prescribed in paragraph (1) may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can be seen.
- (iii) A sailing vessel underway may in addition to the lights prescribed in paragraph (1) of this rule, exhibit at or near the top of the mast where they can best be seen two all-round lights in a vertical line, the upper being red and lower be green.
- (iv) A sailing vessel less than 10 meters in length, a vessel under oars may exhibit lights prescribed in this rule, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

84. Lights to be exhibited by fishing vessels:-

- (i) A vessel engaged in fishing shall exhibit-
 - (a) Two all-round lights in a vertical line the upper being red and the lower white and during a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line or a basket.
 - (b) When making way through the water in addition to the lights prescribed in (a), side lights, and a stern light.
- (ii) A vessel less than 10m in length, a vessel under oars may exhibit lantern and shall have ready at hand an electric torch which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

85. Lights to be exhibited by vessels not under command or restricted in their ability to maneuver:-

- (i) A vessel not under command shall exhibit-
 - (a) two all-round red lights in a vertical where they can best be seen by night.
 - (b) two balls or similar shapes in a vertical line by day.
 - (c) When making way through the water; side lights and a stern light addition to the lights prescribed in (a).
- (ii) A vessel restricted in her ability to maneuver shall exhibit-
 - (a) Three all- round lights in a vertical line, the highest and lowest of these shall be red and the middle light shall be white.
 - (b) Three shapes in a vertical line, the highest and lowest shapes shall be balls and the middle one a diamond.

(c) When making way through the water, mast head lights, side lights and stern light in addition to the lights prescribed in (a).

(d) When at anchor, in addition to the lights and shapes prescribed in (a) and (b) above, lights and shapes prescribed in rule 82 for anchored vessels shall also be exhibited.

86. Lights to be exhibited by vessels engaged in dredging:-

A vessel engaged in dredging, in addition to the lights in Rule 107 (2) shall exhibit; two all – round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which obstruction exists.

87. Lights to be exhibited by pilot vessels:-

A vessel engaged on pilot age duty shall exhibit-

(i) At or near the mast head two all – round lights in vertical line, the upper one white and the lower one red.

(ii) When under way, in addition side lights and stern light.

88. Lights to be exhibited by anchored vessels and vessels aground:-

(i) A vessel at an anchor shall exhibit:-

(a) In the fore part an all-round white light or one ball by day.

(b) At or near the stern and at a lower level than the light in (a), an all round white light.

(ii) A vessel of less than 20 m in length may exhibit one all-round white light where it can best be seen.

(iii) A vessel aground shall exhibit in addition to the lights prescribed in para (1) or (2), where they can best be seen.

(a) Two all-round red lights in a vertical line,

(b) Three balls in a vertical line by day.

(iv) A vessel less than 10m in length, a vessel under oars may exhibit lantern and shall have ready at hand an electric torch which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

89. Lights to be exhibited by hydrofoils & mechanized country crafts :-

Where it is impracticable for a mechanized country craft or a hydrofoil to exhibit lights and shapes of the characteristics or in positions prescribed in the Rules she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible.

90. Sound Signals:-

The sound signal appliances unless otherwise specified in the Rules shall comply with the technical requirements as per the provisions of Annexure-III of the International Regulations for prevention of collision at sea (1972).

91. Equipment for sound signals:-

A vessel of 20 meters or more in length shall be provided with a whistle and a bell and a vessel of 100 meters or more in length, in addition shall be provided with a gong.

92. Maneuvering and warning signals:-

- (i) Single vessel when vessels are in-sight of one another a mechanically propelled vessel underway, when maneuvering as authorized or required by these regulations, shall indicate her intentions by the following signals on her whistle.
 - (a) One short blast (a blast of about 1 second duration) to indicate,

“I am altering my course to starboard.”
 - (c) Two short blasts to indicate,

“ I am altering course to port.”
 - (d) Three short blasts to indicate,

“I am operating stern propulsion.”
- (ii) Overtaking vessels-
 - (a) Two prolonged blasts (blast of about 4 to 6 seconds duration each) followed by one short blast to indicate,

“ I intend to over take you on your starboard side.”
 - (b) Two prolonged blasts followed by two short blasts to indicate,

“I intend to over take you on your port side.”
 - (c) A vessel being overtaken shall indicate her agreement by the following signals or her whistle; one prolonged, one short, one prolonged, one short blast, on that order, if in doubt she may sound signals prescribed in paragraph (3).
- (iii) When in doubt – When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least 5 short and rapid blasts on the whistle, the signal may be supplemented by a light signal of at least 5 short and rapid flashes.
- (iv) At bends– A vessel nearing bend or an area of a channel where other vessels may be obscured, shall sound one prolonged blast, such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel.

93. Sound signals in restricted visibility:-

In or near an area of restricted visibility, where by day or night, signals prescribed in this rules shall be used as follows:-

- (i) A mechanically propelled vessel making way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes one prolonged blast.
- (ii) A mechanically propelled vessel underway but stopped and making no way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes two prolonged blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them.
- (iii) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to maneuver, a vessel constrained by her draught, vessel engaged in towing, fishing or pushing another vessel,

shall at intervals of not more than 2 minutes three blasts in succession namely one prolonged followed by two short blasts.

- (iv) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession namely one short, one prolonged and one short blast to give warning on her position, and possibility of collision to any approaching vessels. A vessel aground shall give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell.
- (v) A vessel of less than 10 meters in length shall not be obliged to give the above mentioned signals but shall make some other effective sound signal at intervals of not more than 2 minutes.

94. Distress signals:-

When a vessel is in distress and requires assistance from other vessels or from shore, the following shall be the signals to be used or displayed by her either together or separately.

- (i) A continuous sounding of any sound signal apparatus.
- (ii) A flag or a light waved in a circle to draw attention.
- (iii) Flares on the deck.
- (iv) "May Day" transmitted by radio telephony.
- (v) International code of signal N.C. hoisted on the vessel.

95. Exemptions:-

Any vessel (or class of vessels) whose keel of which is at corresponding stage of construction before the entry into force of these rules may be exempted from compliance therewith of the following provisions until one year after the date of entry into force of these rules.

- (i) The installation of lights with colour specifications and intensity as prescribed in Rule 75 (5).
- (ii) Repositioning of masthead lights and side lights on vessels resulting from prescriptions of Rule 76.
- (iii) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 77.

96. Application of the provision of Port rules and National Waterway regulations:-

Notwithstanding anything mentioned above, the provision of the Port Rules and Prevention of Collision Regulations, 2002 for National Waterways shall also apply mutatis mutandis, to the mechanically propelled vessels while making voyages within the port limits and National waterways.

CHAPTER: 13.0 SAFETY MEASURES ON WATERWAYS

97. Carriage of Dangerous Goods:-

No dangerous goods are to be carried onboard on transported in the waterways without the specific approval and safety clearance from the competent officer. Provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 with respect to transporting of dangerous cargo shall be applicable in all classes.

98. Prevention of Explosions or Fire:-

No explosives shall be brought onboard, stored or carried in a vessel without their prior approval and safety clearances from the competent authority and clearances from the Controller of Explosives as required under the provisions of the The Explosives Act, 1984.

99. Prevention and containment of pollution of harbors, ports and waterway by oil/ chemical / hazardous cargo etc.

The provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 as amended from time to time shall be the guiding criteria from inland vessels and shall be applicable as if under these rules.

100. Passage through Bridges:-

When a vessel is passing under a bridge, the height of the mast or the height of the collapsed mast and that of the wheelhouse/super structure should be less than that between waterway level and the height of the road bridge. Speed of such vessel should be regulated with reference to prevailing weather conditions and the currents likely to be experienced.

101. Reduction of speed in certain circumstances:-

- (i) every vessel shall regulate their speed to avoid creating excessive wash or suction likely to cause damage to stationary or other moving vessels or structures and bank.
- (ii) In particular the vessel shall reduce speed in good time, but without losing the steering way required for safety-
 - (a) Outside port entrances;
 - (b) Near vessels made fast to the bank or to a landing stage loading or discharging cargo;
 - (c) Near vessels lying at normal stopping places.

102. Drifting of a vessel:-

Drifting of vessel in the inland waterways, unless authorized by the competent Officer, is prohibited.

103. Crossing of navigable channel:-

While crossing the navigable channel, a ferry vessel shall keep at such distance from vessels or rafts moving along the navigable channel, so that the latter are not obliged to change their course or reduce speed.

Provided that ferry vessels, under special circumstances may be granted priority of passage across the navigable channel by the Competent Officer and such vessel shall exhibit a green all-round light by night and a green flag by day and shall have right of way as the circumstances permit.

104. Stationary Vessels:-

All stationary vessels, rafts and floating equipment must be anchored or made fast securely enough to withstand the current in such a way that they can adjust to the changes in water level.

105. Instructions to the Master / Owner:-

- (i) Every vessel shall be in charge of a Master who shall be qualified and hold a certificate to that effect under the Rule. The Master shall be severally and conjointly with the Owner shall be responsible for any or all breaches of the rules. Responsibilities of the Master/Owner inter alia include-
 - (a) Take all precautions required to exercise vigilance and to avoid damage to the vessel, installations in the waterways and avoid causing obstructions to shipping and navigation;
 - (b) To avoid imminent danger, take all steps required by the situation (according to the general practice of seamanship) even if this entails departing from these regulations;
 - (c) Be responsible for compliance with the rules or regulations applicable to his vessel and his crew and to the vessels in tow, while his vessel is engaged in towing of other vessels;
 - (d) The master/owner shall be responsible for ensuring that the vessel has a valid certificate of survey applicable for the voyage or service in this zone of operation.
 - (e) The master/owner shall ensure that the vessel has a valid certificate of registration and that the certificate of registration granted in respect of any vessel shall be used only for the lawful navigation of that vessel;
 - (f) The master/owner shall ensure that the crew is sufficient for the type of vessel and type and area of operation as required by the rules;
 - (g) The master/owner shall ensure that the crew has valid certificate of competency/ service;
 - (h) The master/owner shall ensure that dangerous goods or explosive materials are carried on board only as authorized by Competent Authority and procedures and safety precautions as per the Explosives Rules, 1983 are taken for carrying of such goods or material onboard;
 - (i) The master shall maintain Ship's Article/crew list, Ships log and Engine Log;
 - (j) The master shall ensure that at no time the vessel is overloaded or more than the number of passengers it is certified to carry are taken onboard;
 - (k) The owner shall ensure no unauthorized alterations are made to the vessel;
 - (l) The master/owner shall ensure that the vessel is adequately equipped to fight any fire and to rescue the passengers and that the crew adequately trained to meet emergent situations;
 - (m) The owner/master shall ensure that Life saving devices like life buoys, life jackets, life raft etc as required as per the Rules are provided in each vessel and they are kept in such a position for quick deployment in case of emergency;
 - (n) The owner shall ensure insurance of the vessel against third of the vessel against third party risks;
 - (o) The owner/master shall display the details showing the date of manufacture of the vessel, date of survey, expiry date of survey, passengers and cargo capacity and such other details as required by law;
 - (p) To ensure timely and quality maintenance work;

- (q) To ensure compliance of the Inland Vessels (Prevention and Control of Pollution and Protection of Inland Water) Rules, 2016 as notified in Gazette of India on 13th July, 2016. To also ensure that no time the vessel discharges in the waterway except at places designated by the Competent Officer, raw sewage, oily substances, garbage etc.
- (ii)** The master or the person in charge of the vessel shall make immediate report to the nearest competent officer / Police on-
- (a) Any vessel has been wrecked, abandoned or materially damaged;
 - (b) Accidents/ causality involving, death, grievous hurt;
 - (c) Sighting of any other vessel in distress;
 - (d) Outbreak of fire or flooding in his vessel;
 - (e) Damage caused to any waterway installations or permanent structures;
 - (f) Any vessel has caused loss or material damage to any other vessel;or
 - (g) Observing uncharted obstruction or failure of navigational aid;
 - (h) Falling over board of any object which may become an obstruction or danger to navigation;
 - (i) Spillage of oil into the waterway;
 - (j) Piracy or theft onboard.
- (iii)** The master shall-
- (a) On sighting a vessel or raft which has suffered an accident endangering persons or the vessel or threatening to obstruct the channel, give immediate assistance to such vessels without endangering safety of his own vessel;
 - (b) In case of any marine casualty, give warning to the approaching vessels to enable them to take necessary action in good time steer clear of the channel when in danger of sinking or goes out of control.
- (iv)** All the crew employed on board a vessel shall be under the control and orders of the master of such vessel, who shall see that proper discipline and good conduct is maintained by them. The crew shall on no account interfere with passengers or behave rudely towards them.
- (v)** When the master of a vessel is temporarily absent during a voyage, the Serang on board the vessel shall be held to be in charge with powers and responsibilities of the Master. If such absence of he Master exceeds a day a duly qualified Master shall be appointed immediately and the fact communicated forthwith to the competent authority.
- (vi)** Master or persons in charge of a vessel shall give the competent officer or any person authorized by him all necessary facilities for verifying compliance with these regulations.

CHAPTER: 14.0
MISCELLANEOUS

106. Power for State Government to modify application of rule to certain inland mechanically propelled vessels:-

The State Government may, by notification in the official Gazette, declare that all or any of the provisions of these rules shall not apply in the case of any specified class of mechanically propelled vessels or shall apply to them with such modification as may be specified in the notification.

107. All fees payable as per these rules can be revised by State Government from time to time.

108. Power to remove difficulties:-

If any difficulty arises in giving effect to the provisionally of this rule, the State Government may, by order, published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Rule, as may appear to be necessary for removing the difficulties.

CHAPTER: 15.0
INSURANCE & PENALTIES

109. For insurance of mechanically propelled vessels the Chapter VIA of the Act and for Penalties, the Chapter VII of the Act shall be applicable.

By the order of the Governor of
Jharkhand.

K. Ravi Kumar
Secretary to the Government,
Department of Transport

SCHEDULE-I

[Rule 10(3)]

(The State government may by notification change the fees specified in the Schedule)

FEES PAYABLE UNDER CHAPTER III

(a) On initial registration, the scale of fees payable will be as follows:-	(In Rs.)
(i) Vessels up to and including 50 M.T.G.R.T.	1000.00
(ii) Vessels exceeding 50 M.T. up to 100 M.T.G.R.T.	2000.00
(iii) Vessels exceeding 100 M.T. up to 200 M.T.G.R.T.	4000.00
(iv) For every additional 100 M.T.G.R.T. or Part thereof	2000.00
(b) For registering any Inland Vessel which has been registered under the Merchant Shipping Act, 1958.	2000.00
(c) Registration a new as directed by the Registering Authority	Full amount of the rates indicated against above (a)
(d) Registration of alteration to a Vessel	1000.00
(e) Issue of duplicate certificate	500.00
(f) Registration as a result of transfer of ownership within the same or different state.	Full amount of the rates indicated against above (a)
(g) Appeal against the decision of Registering Authority	1000.00
(h) Supervision fees	
(i) Upto Estimated amount cost Rs. 10 lakhs-1% minimum 10000.00	10000.00
(ii) Upto estimated cost amount Rs. 10 lakhs to 40 lakhs (Rs.10000 + 0.5% on amount above Rs. 10 lakhs)	(Rs.10000 + 0.5% on amount above Rs. 10 lakhs)
(iii) Above Rs. 40 lakhs estimated amount (Rs.25000 + 0.25% on amount above Rs. 40 lakhs)	(Rs.25000 + on amount above Rs. 40 lakhs)

SCHEDULE-II

[See Rule 27]

SYLLABUS FOR EXAMINATION OF FIRST CLASS ENGINE DRIVERS

The written examination shall consist of one paper of three hours duration consisting of the following subjects. Candidate securing forty percent of the total marks will be deemed to have passed the written test.

1. ELEMENTARY MATHEMATICS: 20 Marks

- (a) Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Decimals and Vulgar Fraction.
- (b) Power and roots of numbers, Ratio and proportion, Percentages, Direct and inverse Variation, Averages.
- (c) Areas and perimeters of a rectangle, triangle and circle, Volumes and Surface areas of box shaped bodies, cylinders pyramids, cones and spheres, Simpson's first and second rules, to find out the area of water planes and displacement of boats and different draughts in sea/river/canal water by Simpson's rules as well as by using area co-efficient and prismatic co-efficient.
- (d) Solutions of simple equation, involving use of given formulae, rearrangement of given formulae.
- (e) To calculate the T.P.I. (Total Pressure Index) in sea water and fresh water.
- (f) To find out the carrying capacity of the boat.

2. ENGINEERING KNOWLEDGE: 20 Marks

SECTION-A (GENERAL)

(i) Fundamental Units, (ii) Density and specific density, (iii) Parallelogram of forces, (iv) The Triangle of Forces, (v) Moments and levers, (vi) Parallel forces, (vii) Centre of gravity, (viii) Stress and strain, (ix) Friction, (x) Work, (xi) Temperature scales, (xii) Quantity of heat and specific heat, (xiii) Quantity of Electricity and Faraday's Laws of Electrolysis, (xiv) Resistivity, (xv) Ohm's Law, (xvi) The measurement of Resistance by the Ammeter/ Voltmeter method.

SECTION-B

MARINE ENGINEERING:

40 Marks

- i Working principle of Marine engine.
- ii Difference in between Internal Combustion Engine and External combustion Engine.
- iii Name of Principal parts of machinery's.
- iv Knowledge of what attention is required by the various parts of the machinery, use and maintenance of valves, cocks pipes and connections, and familiar with the various methods of supplying air and fuel to the cylinders;
- v Cause of defects and their rectification.
- vi Complete overhauling of the Marine Engines.
- vii Nature of the properties of the various fuel used in internal combustion engines;
- viii Precautions against fire and explosions due to oil vapour or gas, flash point. The danger of oil leakage, precautions while bunkering;
- ix Construction, operation and maintenance of fire fighting appliances;
- x Lay out and working of electric light installation and battery installations;
- xi Dry docking including repairs to the propeller, tail shaft rudder and sea connections, stern tubes, shaft brackets;
- xii Alignment of Shaft;
- xiii Calculations pertaining to speed, consumption of fuel and fresh water for a given voyage;
- xiv Arrangements for pumping out bilges;
- xv Preparation of defect list;
- xvi Utilisation and maintenance of life saving appliances;
- xvii Able to draw free hand sketches or machine and engine parts;
- xviii Maintaining procedure or engine log book.

3. ENGINEERING DRAWING :

20 Marks

Use of drawing instruments, reading of blue prints and able to draw the sketches or various parts of the engine.

SCHEDULE-III**[See Rule 30(3)]****SYLLABUS FOR EXAMINATION OF INLAND VESSEL ENGINEERS**

The written examination shall consist of one paper of three hours duration consisting of the following subjects. Candidate securing forty per cent of the total marks will be deemed to have passed the written test.

1. ELEMENTARY MATHEMATICS: 20**Marks**

- (a) Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Decimals and Vulgar Fraction.
- (b) Power and roots of numbers, Ratio and proportion, Percentages, Direct and Inverse Variation, Averages.
- (c) Areas and perimeters of a rectangle, triangle and circle, Volumes and Surface areas of box shaped bodies, cylinders pyramids, cones and spheres, Simpson's first and second rules, practical applications involving use of the above. To find out the area of water planes and displacement of boats at different draughts in sea water and fresh water by Simpson's rules as well as by using area co-efficient and prismatic co-efficient.
- (d) Solutions of simple equation, involving use of given formulae, rearrangement of given formulae.
- (e) To calculate the T.P.I. in sea water and fresh water.
- (f) Difference of draughts when boat moves from sea water to fresh water or vice-versa.
- (g) To find out the carrying capacity of the boat.

2. ENGINEERING KNOWLEDGE:**20 Marks**

SECTION-A (GENERAL)

(i) Fundamental Units, (ii) Density and specific density, (iii) Parallelogram of forces, (iv) The Triangle of Forces, (v) Moments and levers, (vi) Parallel forces, (vii) Centre of gravity, (viii) Stress and strain, (ix) Friction, (x) Work, (xi) Temperature scales, (xii) Quantity of heat and specific heats (xiii) Quantity of Electricity and Farad's Laws of Electrolysis, (xiv) Resistivity, (xv) a. Ohm's Law, (xvi) The measurement of resistance by the Ammeter/Voltmeter Method.

SECTION-B

MARINE ENGINEERING:

40

Marks

- i. Principal of working construction operation and maintenance of two stroke and four stroke internal combustion engines (Supercharged and naturally aspirated) used on board ship. with particular reference to starting and reversing arrangements and safety devices.
- ii. General used and application of various materials used in machinery on board of Inland Vessels.
- iii. The construction, use and principles involved in the action of pressure gauge, thermometer, pyrometer and other measuring instruments commonly used on boards ships.
- iv. Construction, operation and maintenance of centrifugal bucket and gear type pumps.
- v. Lay-out and creation of bilge, ballast and fuel systems.
- vi. Construction, operation and maintenance of steering gears.
- vii. Lay out and working of electric light and electric power installation with particular reference to safety devices.
- viii. Construction and care of starting air vessels including mountings.
- ix. Construction and operation of refrigerating plant.
- x. Estimation and fuel, lubricating oil and water consumption for given voyage.
- xi. Work related to dry docking, including propeller, tail, shaft, rudder, sea connections, stern tube, shaft bracket.
- xii. Elements of boat construction.
- xiii. Precautions against fire and explosions due to oil vapour or gas, flash point. The danger of oil leakage precautions while bunkering.
- xiv. Explosion in crank cases and starting air systems.
- xv. Construction, operation and maintenance of fire fighting appliances.

- xvi. Knowledge of statutory requirements concerning safety.
- xvii. Candidates will be expected to draw free hand sketches of machine and engine parts.
- xviii. Preparation of defect list and procedure of maintaining engine log book.
- xix. Use and maintenance of life saving appliances.

3. ENGINEERING DRAWING :

20 Marks

Use of drawing instruments, reading of blue prints, production of working drawing of machine and engine parts.

**SCHEDULE IV
(Rule 9)**

(The State government may by notification change the fees specified in the Schedule)

Sl. N.	Gross Tonnage of Inland Vessels and other descriptions	Fees payable in Rupees
1	Preliminary General Survey Required Fees	
	(a) Upto 10 tons	500.00
	(b) Exceeding 10 tons but does not exceed 25 tons	750.00
	(c) Exceeding 25 tons but does not exceed 50 tons	1000.00
	(d) Exceeding 50 tons but does not exceed 75 tons	1500.00
	(e) Exceeding 75 tons but does not exceed 100 tons	2000.00
	(f) Exceeding 100 tons but does not exceed 300 tons	4000.00
	(g) Exceeding 300 tons but does not exceed 600 tons	6000.00
	(h) Exceeding 600 tons for every 300 tons or part thereof	1000.00 extra
2	Fee payable for intermediate survey and during validity of survey certificate or extra survey/inspection- as per tonnage in item no. 1 above	one extra fee

3	Fee payable for survey on Sunday and other holidays in additional to ordinary fee chargeable.	one extra fee
4	An extra fee chargeable if survey is called upon to undertake survey after 5.30 p.m. but before 9.00.a.m.	one extra fee
5	For change of name of the owner or master or engine driver for the vessel on the certificate of survey or license certificate or Authorisation of any person.	500.00
6	For extension of survey validity -As per item no.1	one extra fee
7	For registration or enlistment of Builder or repairer	500.00
8	Issue of second copy of certificate or certified copy of certificate	500.00
9	An appeal against the survey certificate or order or determination of the surveyor.	1000.00
10	Fee for dry dock survey - As per tonnage in item No.-1 above	Three times fee
11	The time of the enforcement of survey fees	one year
12	For approval of drawing/ plans during alterations/ repair- 0.05 % of estimated cost minimum Rs. 1000.00	1000.00 each
13	For examination and consideration of design plans/drawing/ layout as requested- 0.05 % of tender cost amount. minimum Rs. 2000.00	2000.00 each
14	For witnessing tests of fire extinguishers, life buoys, chains and anchors etc. as requested per visit.	1000.00

FORM-I

[See Rule-3(3)]

**APPLICATION FOR SURVEY OF AN INLAND VESSEL UNDER
THE INLAND VESSEL ACT, 1917**

To,

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,
Jharkhand Ranchi.

I hereby apply to you to make necessary arrangement for the survey of the Inland Vessel whose details are given below on the stated date and place. I have paid to the officer appointed under section 6 of the Inland Vessels Act, 1917 a fee of Rs.....in respect of the survey and additional fee of Rs..... in respect of the expense of the journey of the surveyor.

1. Name of Vessel.....
2. Port of Registry..... Official No.....
3. Hull where built and when
4. Dimension of hull.....
5. Tonnage (i) Registered
- (ii) Gross
6. Previous survey if any Where/when
7. Nature of Survey
8. Date and time of proposed visit of surveyor.....
9. Place where the vessel will be lying.....
10. Class of certificate required.....

Station.....

Date.....

Signature of owner/

Master

Note-

- (1) At least three clear day's notice shall be given in all cases.
- (2) In the case of vessels not previously surveyed, the tonnage may be stated approximately by the applicant and will be determined accurately on survey, fees being levied accordingly.
- (3) No certificate shall be granted till all fees are paid.

FORM-2
[Sea Rule-3(4)]

APPOINTMENT OF DATE AND TIME OF INSPECTION OF THE INLAND VESSELS

To,

The owner or master of Inland Vessel

.....

.....

Sir,

I have to acknowledge receipt of your application for survey of the above Inland Vessel under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) and to acquaint you that I will proceed and board the vessel at.....O'clock on..... day of 20..... .

2. I subjoin a list of the requisite preparation for the surveys, which I request may be made before the day and hour above mentioned, so as to prevent loss of my time. Otherwise it will be necessary for me to postpone the survey to some other day.

3. I beg to call attention to the provision of sub-section (2) of section-5 of the Inland Vessel Act, 1917 which is follows:-

"The owner, master and officers of the Inland Vessel shall afford to the surveyor all reasonable facilities for a survey, and all such information respecting the Inland Vessel and her machinery or any part thereof, and all equipment and articles on boards, as he may require for the purposes of a survey."

Yours

Sincerely

Surveyor

List of the requisite preparation for the survey of an Inland Vessel :-

- (1) Last survey certificate, if any.
- (2) Master's certificate.
- (3) Engineer or engine driver's certificate
- (4) Last passenger certificate
- (5) Pumps to be rigged in their places.
- (6) Spare tiller to be shipped in its place.
- (7) Side lamps, lamp for the mast head light, and lamp for the anchor light to be on deck ready to be put into their places, if necessary.
- (8) Life-buoys to be in readiness.
- (9) Leads and lines to be on deck.
- (10) Fire-hose to be connected and coupled and stretched along the deck. The conductor to be connected.
- (11) Decks, cabins, steerages and all other passenger spaces to be clean and clear and in a fit state for measurement.
- (12) Chain Cables (or a portion thereof) to be on deck.
- (13) A safe and proper ladder for going up and down the holds.
- (14) All pistons sides, pumps etc. to be opened for inspections.
- (15) Fire extinguishers and fire buckets.
- (16) Engine certificate.
- (17) Last insurance certificate.
- (18) Registration certificate if any.
- (19) Line Diagram or drawing of vessel.

FORM-3
[See Rule 5(1)]

**SURVEYOR'S DECLARATION UNDER SECTION 7 OF THE INLAND VESSELS
ACT, 1917**

1. Name of Inland Vessel and official number-
2. Name and address of owner-
3. Tonnage----- Gross/ registered.
4. When and where build and material-
5. Power nominal (Horsepower)-
6. Description of engines and age-
 Number of cylinder- Diameter of Cylinders- Stroke of cylinder
7. Condition of hull-
8. General equipment-
 Number of fire buckets-
 Number of fire extinguishers- where fitted.
 Number of hand pumps –
 Number of crew-
9. (a) Name of master-
 (b) Certificate (Class and no.)
10. (a) Name of Engine driver-
 (b) Certificate (class and no.)
11. When and where last examined in dry dock-
12. Limits (if any) beyond which the vessel is not fit to ply-
13. Time, if less than one year for which the hull, boilers, engines or any of the equipments
 will be sufficient for the year ending..... day of.....
14. Dimension of boats, if any-

Length	Breath	Depth	Cubic	Capacity
(1)				
(2)				
(3)				

15. Number of life buoys-

16. Capacity for carrying passenger-

(a) First class

(b) Second class

(c) Intermediate

Deck passengers	A	B	C	Second Cabin Passengers	Saloon Passengers
	When plying by night (smooth and partially smooth water)	When plying by day (smooth and partial smooth water)	When plying by day on voyages which do not last more than six hours (smooth water only)		
(i) between decks					
(ii) main decks					
(iii) upper or bridge					
TOTAL					
Grand Total					

I hereby declare as follows:-

(1) That on the day of 20

I inspected the machinery of the Inland Vessel named in the Space marked columns in this form

and all the safety valves and fire-hose on board the same.

(2) That the machinery of the said Inland Vessel is sufficient for the service intended and is in good condition.

(3) That the said machinery will in my judgment, be sufficient until the

-----day-----of-----

(4) That the safety valves and fire applications are such and in such conditions as required

by the rules under the Act, 1 of 1917.

(5) That the said vessel as regards to machinery is, in my judgment, fit to ply on the Inland waters of -----

Dated----- the-----day of -----20-----

I further declare as follows viz:-

(1) That on the day of..... 20.....

I inspected the hull on the said Inland Vessel and boats, life buoys , lights, signals and other equipments on boards the same, and the certificate of master;

(2) That the hull of the said Inland Vessel is sufficient for the service intended, and is in good condition;

(3) That the boats, life buoys, lights and signals and signals on boards the said Inland Vessel and the certificate of the master are such and in such condition required by Act 1 of 1917 and the rules in force on the subject;

(4) That the hull of the said Inland Vessel and the equipments before named will, in my judgment, be sufficient until the day of.....

(5) That the said vessel is, in my judgment, fit to ply as an Inland Vessel with the number of passengers stated in the space marked, column-16. In this form, when there is no encumbrance of the space measured for the passenger accommodation, but is not fit to ply with a greater number of passenger.

(6) That the certificate of the engine driver or engineer is such and in such condition as required by afore said Act of 1917.

FORM-4
[See Rule- 5(2)]

No.

The..... of.....20.

THE OWNER MASTER OF THE INLAND VESSEL.

.....

Having surveyed the Inland Vessel in accordance with Inland Vessel Act, 1917, I find the following to be the repairs & required to make good the defects :-

Equipments :-

Engines :-

Others :-

Surveyor of Inland Vessels

FORM-5

[See Rule-6 (1)]

Survey of Inland Vessel

No.

The.....of.....20.

THE OWNER OR MASTER OF THE INLAND VESSEL.

.....

.....

Sir,

I hereby give you notice that the Certificate of survey of the above Inland Vessel applied for by..... is ready for delivery, and it will be delivered at the office of the Inland Water Transport at any time during office hours on application and payment of the following sum viz :-

Forfeiture under section 8 (2) of the Inland Vessel Act, 1917 for delay Rs. P. in excess of fourteen days in sending in the declaration, being at the rate of Rs. 510/- per day for days.

:-----

Total :-----

Yours faithfully,

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,

Jharkhand, Ranchi

Notes :-These words to be inserted only when any sum is due under Section 8(2) of the said act

FORM-6
[See Rule 6(2)]

Certificate of Survey-A

TO REMAIN IN FORCE ONLY UNTIL THE DAY OF..... 20

..... official no.

The Inland Vessel JHARKHAND.....

Port of Registry.

Certificate of Registry No.....

Certificate of Survey No..A/-

Owner, Managing owner, or Agent.....

Port of Survey	Register Tonnage	Gross Tonnage	Name of master and number of his Certificate
----------------	------------------	---------------	--

PLYING LIMITS:-

Limits beyond which this Vessel is not to ply.

.....

NUMBER OF PASSENGERS

This Inland Vessel is, according to the declaration of the Surveyor, fit to carry, when there is no Encumbrance of Passenger Accommodation.

Deck passengers	A	B	C	Second Cabin Passengers	Saloon Passengers
	When plying by night (smooth and partially smooth water)	When plying by day (smooth and partial smooth water)	When plying by day on voyages which do not last more than six hours (smooth water only)		
(i) between decks					
(ii) main decks					
(iii) upper or bridge					
TOTAL					
Grand Total					

Two Children under 12 years of age to be reckoned as one passenger.

ENCUMBRANCE:-

The space measured for passenger accommodation is occupied by cattle, or by cargo, or other articles.

A.

When plying by Then for every 9 ONE PASSENGER Is to be deducted

night (Smooth and superficial feet of from the numbers
partially smooth such space so above stated.
water) occupied on the
deck or in the cabins

B.

When plying by day Then for every 6 ONE PASSENGER Is to be deducted
(Smooth and superficial feet of from the numbers
partially smooth such space so above stated.
water) occupied on the
upper or main deck,
and for every 9
superficial feet of
such space so
occupied in the
between decks or in
the cabins .

C.

When plying by day Then for every 3 ONE PASSENGER Is to be deducted
on voyages which superficial feet of from the numbers
do not last more such space so above stated.
than
6 hours occupied on the
(smooth water only) upper or main deck,
and every 9
superficial feet of

such space so
occupied in the
between deck or in
the cabins .

The freeboard of _____mm was assigned and loading marks placed on the vessel's side, the same is equivalent to the carriage of a maximum load comprising.....tons of cargo and/or..... passengers

BOATS, LIFE BUOYS, AND EQUIPMENTS

Required to be carried by this vessel.

Boats			Life-buoys and Equipment's	
Boat	of the aggregate capacity of	cubic feet	A FIRE-Hose capable of being connected with the engine, and of sufficient length to be used in any part of the vessel approved fire extinguishers.	
			(a) COMPASS (b) LIFE-BUYOS (c) BUOYANT APPARATUS (d) Bilge and Hold Pump (e) Fire bucket.	Fit and Ready for use

THIS IS TO CERTIFY that the provisions of the law with respect to the survey of the above mentioned Inland Vessel and the Transmission of declaration in respect thereof, have been complied with.

Examined and registered.

Signed by State Transport Commissioner/Chief Surveyor,
Jharkhand, Ranchi.

THIS CERTIFICATE, unless previously cancelled or revoked, to be in force until the.....day of 20.....

If the vessel is out of place of survey, it must be surveyed and have a new Certificate before it first begins to ply and after its return or subsequent return to place of survey.

EITHER THIS CERTIFICATE, OR THE DUPLICATE thereof, and copy in the vernacular is to be put up in a conspicuous place or part of the vessel where it will be visible to all persons on board the same.

If the number of passengers carried exceeds the number stated in this Certificate, the Master and Owner shall for every passenger over and above that number be each liable to a fine which may extend to twenty rupees.

In case of any accident occasioning loss of life, or any material damage affecting the seaworthiness or efficiency of the vessel to be either in the hull or in part of the machinery a report by letter, signed by the Owner or Master is to be forwarded to the authorised engineer and ship surveyor. Office at the Inland Water Transport, within 24 hours after the happening of the accident, or as soon thereafter as possible.

N.B.- Any communication address to the above mentioned officer relative to this vessel should state the name, port of place of survey of the vessel and the number of this certificate.

FORM-7
[See rule 6(2)]
Certificate of Survey-B

ISSUED UNDER THE INLAND VESSEL ACT 1 OF 1917 BY THE GOVERNMENT OF JHARKHAND,
 FOR AN INLAND VESSEL AUTHORISED TO PLY BY NIGHT OR DAY WITHOUT PASSENGERS.

To remain in force only until the day of 20....

The Inland Vessel	Official No. JHARKHAND	port of Registry.....
	Certificate of Registry No.....	
	Certificate of Survey No..B/-	
Owner, Managing Owner, or Agent.....		

Port of Survey	Gross Tonnage	Name of Master and Number of his Certificate
Boats (if any)	BOATS, LIFE-BUOYS AND EQUIPMENT REQUIRED TO BE CARRIED BY THIS SHIP/VESSEL	Life-Buoys and Equipment, etc

-Boats of the aggregate A fire-Hose capable of being connected with the capacity of cubic meter engine, and of sufficient length to be used in any part of the vessel approved fire Extinguishers.

Compass, Life-Buoys Buoy apparatus Bilge and hold Pump Fire bucket	Fit and ready for use
---	-----------------------

THIS IS TO CERTIFY that the provisions of the law with respect to the survey of the above mentioned Vessel and the transmission of declaration in respect thereof, have been complied with.

Signed by

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,
 Jharkhand, Ranchi

THIS CERTIFICATE, unless previously cancelled or revoked, to be in force until the day of 20..... If the Vessel is out of a place of survey, it must be surveyed and have a new certificate before it first begins to ply after its next subsequent return to a place of survey, either this Certificate or the duplicate thereof, furnished is to be put up in conspicuous part of the vessel, where it will be visible to all persons on board the same.

Case of any accident occasioning lost of life or any material damage affecting the sea worthiness or efficiency of the Vessel, either in the hull or in any part of the machinery, a report by letter, signed by the Owner or Master, is to be forwarded to the engineer and Ship Surveyor, office of the Inland Water Transport, within 24 hours after the happening of the accident.

N.B.: Any communication addressed to the above mentioned office relative to this vessel should state the name, port of Survey of the Vessel and the number of this Certificate.

FORMS-8
[See Rule-7(1)]

To,

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,
Jharkhand, Ranchi

No- _____ /WT

Date: _____ 20

CERTIFICATE VALID UPTO

IN LIEU OF CERTIFICATE OF SURVEY

MV _____ G.T. _____ ON
JHARKHAND _____ is hereby authorised to ply. It is manned by the
following Masters/ Serang and Driver. *Other conditions are a provided in the preceding years
certificate of survey.

Master/Serang _____
Class _____ CertificateNo _____ date _____
Engineer/Driver _____ Class _____
_____ Certificate/Licence _____ No _____
Date _____ This motor vessels is fit to carry:

When plying by date

Passengers

When plying by Night

Passengers

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,
Jharkhand, Ranchi.

FORMS-9
(See Rule-9)

APPLICATION FOR REGISTRATION OF BUILDER/REPAIRER OF INLAND VESSELS

To,

State Transport Commissioner,

Jharkhand, Ranchi.

1. Name of Applicant (in full)

(details of registration, partners, proprietor to be furnished)

2. Full Address of Applicant

3. Full address of workshop/dockyard where manufacturing/repairing is to be carried out

4. Full particulars of dockyard area docking facilities available _____

5. Full particulars of fabrication workshop and machineries/equipment available

6. Particulars of

(a) Qualified personnel/experts

(b) Total work force in the roll

7. Fabrication capacity per month in M/T

8. Previous Manufacturing/repairing work done (in terms of M/T and cost)

9. Type of vessels manufactured/repared (Steel, Wood, GRP/FRP)

10. Solvency particulars

11. Annual turnover during last three years

Signature of the Applicant

FORMS-10
[(See Rule-10 (1)]

**APPLICATION FOR REGISTRATION OF INLAND VESSELS UNDER SECTION 19D
OF THE INLAND VESSELS ACT", 1917**

To,

The Registering Authority,

I/We _____ of _____ being the owner
of an Inland Vessel called _____ hereby request that the said vessel be registered at the
port of _____ under the name: I agree to pay such fees as may be livable under
the Rules, Particulars in respect of the said vessels are as under :-

1. Owner's Name and address (in Full)

2. Occupation

3. Name of Master and his certificate No.

4. Name of the Port of Registry and No. if previously registered

5. Where, when and how the vessels was secured

6. Kind of vessels, Name and address of the Engine Makers with Horse Power and
year of make

Particulars of Engine

7. State of vessel

8. Name and address of the Builders with place and year of build

9. Workshop Owned, if so, Particulars

10. Whether owners Adult or Minor

Place : _____

Date : _____

(Signature of Owners)

DECLARATION OF OWNERSHIP

I/We _____
subject to the state of _____ residing permanently at _____
_____ having original place of business at _____ do
hereby declare that _____
(name) was built at _____
in the year _____ and was prepared by me on _____ for rupees
_____ and wish to have the same registered in my name at the port of _____ and
that I am the sole owner of the same. I further declare that the vessel is intended to ply in the
port of _____

(Signature of Owner)

Made and subscribed the _____

day of _____ 20 _____ by the above named _____ in
the presence of _____

Magistrate/Justice of Peace/(Signature of Registering Authority)

Note: The declaration must be made before a registering Authority/a magistrate or
justice of peace.

FORMS-11
[(See Rule-12(1))]

To,

The Owner/Master on the Inland Vessel

Sir/Madam,

In acknowledging receipt of your application for registration of the vessel named above under Inland Vessel Acts, 1917 (1 of 1917) this to state that Registering Authority/Surveyor or shall proceed on board the vessel at _____ hours on _____ day of _____, 20 .

You are requested to afford to the Registering Authority/Surveyor all reasonable facilities for the registration of the Inland Vessel and all such information respecting the vessel as he may require for the purpose of registration.

Yours

faithfully

Registering

Authority,

Jharkhand.

FORM-12
[(See Rule-14(1))]
(CERTIFICATE OF REGISTRATION)

Inland Vessel under Section 19-F of the Inland Vessel Act, 1917 (1 of 1917)

OFFICIAL No. _____ No. Year and Port of Registry _____ THIS IS TO
 CERTIFY that _____ of _____ has declared that
 _____ subject of the State of _____ and the sole owner of
 _____ called _____ and that the
 _____ said _____ was built at _____ by
 _____ of _____ in the year
 _____. The said _____ had been duly registered at the port of
 _____ under the Inland Steam Vessel Act, 1917.

CERTIFIED under my hand this the _____ day of _____ 20 .

DESCRIPTION OF ENGINES

Name and address of makers _____ When
 made _____ No. of sets of engines _____ No. of Shafts _____
 _____ N.H.P. _____ B.H.P. _____ I.H.P. _____ Type
 of Engine Estimated speed of ship/Vessel _____ Reciprocating engines : No.
 and diameter of cylinders in each set _____ Length of stroke:
 Rotary Engine:- No. of cylinders in each set _____

**PARTICULARS OF VESSELS AND
TONNAGE METER/CENTIMETER**

Category

Extreme Length

No of

Decks

Length

No of

Bulkeheads

Breadth

Build and

Material _____

Depth

Stem

Description

GROSS TONS

REGISTERED TONS

Registering Authority

Foot note :-

1. This certificate of registration to be produced for inspection on demand by any authorised by the State Government.
2. This certificate must be surrendered to the Registering Authority if so required by him.
3. While the certificate is in force, the vessel's name and registration mark as painted or otherwise marked in position approved by the government of Jharkhand must not be removed or denied.
4. In case of any accident occasioning loss of the life, or efficiency of the vessel, either in the hull OR in any part of machinery, a report by letter signed by the owner or master, is to be forwarded to the

Registering Authority, Port of _____ within 24 hours after the happening of the accident or as soon thereafter as possible.

FORM-13

[See Rule-14(2)]

**TEMPORARY REGISTRATION PASS
(IN LIEU OF CERTIFICATE OF REGISTRATION)**

To remain in force only until the _____ day of 20____

AT his is to certify that Sri/Smt _____ of _____ is / are the owner/owners of the Inland Vessel official No. _____ having principal dimension _____ length _____ Breadth _____ depth _____ and GRT _____.

The registration certificate of the said vessel is under preparation in the port of _____ as per Inland Vessel Act, 1917.

REGISTERING AUTHORITY

FORM-14
(See Rule-15)

(BOOK OF REGISTRATION)

REGISTRATION MARK

No. Year and Port of Registry

Name of Vessel

Name of the Owner

Address of owner

DESCRIPTION OF INLAND VESSEL

Passenger of Non passenger

1. (a) Category

(b) Gross Tonnage

(c) Registered Tonnage

PARTICULAR OF VESSELS

2. (a) Length overall

(b) Breadth Extreme

(c) Depth of underside of deck amid ships, at side

(d) Builder Name and Address

(e) Year of Built

(f) Hull is of wood, steel etc.

(g) No. of decks

(h) Description

(i) No. of Bulkheads

TRANSACTION

Name of person from
whom title is derived

No. of Shares
affected

Date of and hour
of

Registry

ENGINE

No.

3.(a) Internal combustion engine

(b) Description

(c) No. of sets

(d) Made by

(e) Year of Make

(f) Surface, jet or Non condensing

(g) No. of cylinders per set

(h) Diameter of cylinder in inches

(i) Stroke in inches

(j) N.H.P. _____ B.H.P. _____ I.H.P. _____

PROPULSION

4. Single, twin screw, side quarter or stem peddle etc. _____

Revolution per minute _____ propulsion geared or direct driven
_____ speed of vessel _____

REGISTERING AUTHORITY

Date _____

SUBSEQUENT TO REGISTRATION

Nature & Date of transaction

Name, Residence and occupation

Number of transaction of

Transferee Mortgagee or other

person acquiring title or power

FORM-15
[(See Rule-16(2))]

APPLICATION FOR REGISTRATION OR ALTERATION/ISSUE OF A FRESH CERTIFICATE OF REG.
UNDER SUB-SECTION(2) OF SECTION 9-J OF THE INLAND VESSEL ACT, 1917.

To,

The Registering Authority,

Sir,

I

Being the owner of so inland vessel _____(name) bearing
no. _____ hereby beg to report that the following alterations have been
carried out on the vessel no. _____. I therefore, apply for registering the
alterations/for the issue of a fresh Registration Certificate. I enclose herewith a duplicate
copy of treasury challan showing the deposit of the necessary fees. I also enclose herewith
the original certificate of Registration.

Date _____ (SIGNATURE OF THE OWNER)

Engine

Name of vessel _____ Type of Engine _____

No. of sets of Engine _____

Year of Make _____

Name and address of Builder _____

No. of Shafts _____

No. of Cylinders _____

Diameter of Cylinders (in Inches) _____

B.H.P./N.H.P. _____

Surface, Jet or Non-condensing _____

Revolution per minute _____

I hereby certify that the above particulars are true as per official records.

Date _____

(SIGNATURE OF THE OWNER)

FORM-16
(See Rule-17)

APPLICATION FOR TRANSFER OF REGISTRY

To,

Registering Authority

I, _____ of _____ being the owner of an Inland Vessel No. _____ hereby request that the registry of the said vessel may kindly be transferred from your register to the register of the Registering Authority of _____ in the state of _____. The certificate of registration is enclosed here with/The certificate of registration will be forwarded to the Registering Authority of _____ on demand. Treasury Challan for Rs. _____ is also enclosed.

Place _____

Date _____

(SIGNATURE OF OWNER)

FORM-17

(See Rule-18)

DEED OF SALE

I/We _____ of _____ in consideration as the sum of Rupees _____ paid to me/us by _____ of _____ the receipt whereof is hereby acknowledged, transfer the ownership of the Inland Vessel particularly described below and in more details in the certificate of registration and the Registration Book together with appurtenances to the said Inland/Vessel _____.

Name of the Inland Vessel _____ Official
Number _____ Port of registry _____ How
propelled _____ Length
_____ Breadth _____ Depth _____
Gross Tonnes _____ Registered Tonnes
_____ Description of engine _____

2. Further, I/We _____ hereby declare that the said Inland Vessel _____ is free from/has the following encumbrances: _____ In witness where of I/We have here up to subscribed my/our name this _____ day of _____ executed by _____

In the presence of _____ .

Note:- The deed must be executed before a Registering Authority and shall bear an adhesive of impressed stamp of not less than the amount prescribed in Schedule-I to the Indian Stamp Act, 1899.

FORM-18
(See Rule- 19)

APPLICATION FOR TRANSFER OF OWNERSHIP

To,

The Registering Authority.

I/ We..... forwarded herewith the certificate of Registration of Inland Vessel name.....No. H.P..... the ownership of which has been transferred to me/us by..... and hereby request that the said Inland Vessel may be registered in my/our name and the Certificate of Registration amended accordingly. The order of the government of.....sanctioning the transfer is also enclosed.

Dated:-.....

(Signature of Transferee)

I/ We hereby certify that I/ We have transferred the ownership of the above mentioned Vessel, to

.....

(Signature of Transferee)

FORM-19
[See Rule 19 (1)]

**INTIMATION OF LOSS, DESTRUCTION OR MUTILATION OF THE
CERTIFICATE OF REGISTRY AND APPLICATION FOR DUPLICATE**

To,

The Registering Authority,

The Certificate of Registration of my Inland Vessel, the..... registration mark of which is has been lost/ destroyed/ mutilated/ in the following circumstances..... The mutilated certificate is attached hereto.

I hereby declare that to my knowledge the registration of the vessel has not been either suspended or cancelled under any of the provisions of the Act or Rules made there under and I herewith deposit the fee of Rs. and apply for the issue of a duplicate Certificate of Registration.

Date

(Signature of Applicant)

Address-----

FORM-20**[See Rule 23(2)]**

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS ENGINEER/ ENGINE DRIVER/
SERANG/ MASTER OF AN INLAND MECHANICALLY PROPELLED VESSEL PLYING IN THE STATE
OF JHARKHAND

Note:-The applicant shall submit this form duly filled in along with the necessary certificates for permission to appear at the examination to the examination Centre, Jharkhand, Ranchi.

PART-A

Personal particulars

- (1) Name in full :
- (2) Surname :
- (3) Nationality :
- (4) Permanent Address :
- :
- :
- (5) Date of birth :
- (6) Place of birth :

Passport size
photograph
of the
applicant

PART-B

Particulars of all previous certificate (if any)

- (1) Number :

- (2) Competency of service :
- (3) Grade :
- (4) Where issued :
- (5) Date of issue :
- (6) If at any time suspended or cancelled by court or authority.....
.....

- (7) Date. :
- (8) Cause :

PART-C

Certificate now required

- (1) Grade :
- (2) Competency :

PART-D

HAVE YOUR APPEARED FOR THIS EXAMINATION EARLIER ? Yes/No.

If Yes mention year.

PART-E

Declaration to be made by applicant:

N.B.:- Any person who make, procures to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself, or any other person, a certificate either or competency or service, is for each offence liable to be punished for cheating under Section 420 of the Indian Penal Code and also for knowingly giving false information to the public servant under section 182 of the Indian Penal Code, of 1860.

DECLARATION

I do hereby declare that the particulars contained in Part A,B,C,D & E of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief, and that the papers enumerated in Part-G and send with this form are true and genuine documents, given and signed by the persons whose names appear on them, I further declare that the statement in Part-G contains a true and correct account of the whole of my services without exception.

And I make this declaration conscientiously believing the same to be true, signed in the Presence of the Director/ Chief Examination, Jharkhand, Ranchi.

Date.....

Signature of the Applicant

Present Address_____

PART-F

Transport Department, Jharkhand, Ranchi

The declaration under Part-E above was signed in my presence and the fee of Rs..... received.

Date:-
Surveyou,

State Transport Commissioner/Chief

Jharkhand,

Ranchi.

PART-G

LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENT OF SERVICE ON RIVERS OR SHORE OR SEA

1. If served on board ship
 - (i) No. of testimonials/ certificates (if any :
 - (ii) Name of ship where employed :
 - (iii) Horse power of the engine on which worked :
 - (iv) Port of registry and official no. of the ship :
2. Service particulars of the Applicant :-
 - (i) Capacity
 - (ii) Date of appointment
 - (iii) Date of termination/leaving
 - (iv) State if continuing
 - (v) Total period served:
 - (a) Years :
 - (b) Months :
 - (c) Days :
 - (vi) Total service:
 - (vii) Total service on shore/river:
 - (viii) Period served for which certificates are now produced:
 - (ix) Period served for which no certificates are produced :

PART-H

CERTIFICATE OF THE EXAMINER

Note :- The examiner should fill up Part-H and I and forward this form to the Director Inland Water Transport along with the testimonials and other certificates, if any, with this form, the new certificates and the testimonials of the applicant shall be delivered to him at the office of the Transport Department, Jharkhand, Ranchi.

1. Date and place of examination
2. Insert passed or failed against each item below:
 - (i) In working out the questions:
 - (ii) In the viva examination:
3. Rank for which passed:

PERSONAL DESCRIPTION OF APPLICANT

FORM-21
(See Rule 34)

CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS AN ENGINEER OF AN INLAND VESSEL.

To,

WHEREAS it has been recommended by the examiner appointed under Section 21 of the Inland Vessel Act, 1917 that you have been found, after examination, duly qualified to act as Inland Vessel Engineer of an Inland mechanically propelled vessel under the said Act, I do hereby, in pursuance of Section 21 of the said Act, grant you this certificate of competency to act as an ENGINEER of an Inland Vessel.

Given under my hand and Seal

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,
Jharkhand, Ranchi.

The..... day of.....

No. of certificate.....

Address of Certificate holder.....

Date and place of birth

Signature.....

Issue at..... on the date.....

Valid till.....

Registered.....

Transport Department,
Jharkhand Ranchi.

Note :-

- (1) Any Engineer of an Inland Vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty upto Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
- (2) Any person other than the certificate holder who comes in possession of this certificate is required to transmit it forthwith to the Inland Water Transport, Jharkhand, Ranchi.

FORM-22
(See Rules 34)

CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS FIRST CLASS ENGINE DRIVER OF AN INLAND VESSEL

To,

WHEREAS it has been recommended by the examiner appointed under Section 21 of the Inland Vessel Act, 1917 that you have been found, after examination, duly qualify, to Act as first class engine/ driver of an Inland Mechanical propelled vessel. I do hereby, in pursuance of Section 21 of the said Act, grant you this certificate of competency to act as First Class Engine Driver of an Inland Vessel.

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,

Jharkhand, Ranchi.

The..... day of.....

No. of certificate.....

as First Class Engine Driver of an Inland Vessel bearer.....

son of

Date and place of birth(showing village, thane and district).....

Residence (showing village, thane and district).....

Personal description stating particularly permanent marks or scares.....

Height..... date of examination.....

Number of Register Ticket.....

Signature.....

Issued at..... on the..... date of.....

Valid till.....

Registered.....

Transport Department,

Jharkhand, Ranchi.

Note:-

- (1) Any First Class Engine Driver of an Inland Vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty upto Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
- (2) Any person other than the holder of this certificate who comes in possession of this certificate is required to transmit it forthwith to Transport Department, Jharkhand, Ranchi.

FORM-23
(See Rule 34)

**CERTIFICATE OF COMPETENCY AS SECOND CLASS ENGINE DRIVER OF AN
INLAND VESSEL UNDER ACT 1 OF 1917**

To,

WHEREAS it has been recommended by the examiner appointed under Section 21 of the Inland Vessel Act, 1917 that you have been found, after examination, duly qualify, to Act as Second Class Engine Driver of an Inland Mechanical propelled vessel. I do hereby, in pursuance of Section 21 of the said Act, grant you this certificate of competency as SECOND CLASS ENGINE DRIVER of an Inland Vessel.

Given under my hand and seal.

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,

Jharkhand, Ranchi.

The..... day of.....
No..... of certificate..... as Second Class Engine
Driver of an inland vessel bearer.....son of.....
.....date and place of birth (showing village, thane and district).....
..... Residence (showing village, thane and
district).....
Personal description stating particularly and permanent marks or scares.....
Height..... date of examination..... Number of Register
ticket.....

Signature.....

Issued at..... on the..... date of

Valid till.....

Registered.....

Transport Department,

Jharkhand, Ranchi.

Note:-

- (1) Any Second Class Engine Driver of an Inland Vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty upto Rs. 1000/-(Rupees one thousand).
- (2) Any person other than the holder of this certificate who comes in possession of this certificate is required to transmit it forthwith to the Transport Department, Jharkhand, Ranchi.

FORM-24
(See Rule 34)

**CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS FIRST CLASS MASTER OF AN
INLAND VESSEL.**

To,

WHEREAS it has been recommended by the examiner appointed under Section 20 of the Inland Vessel Act, 1917 that you have been found, after examination, duly qualified to act as 1st class master of an Inland mechanically propelled vessel under the said Act, I do hereby, in pursuance of Section 21 of the said Act, grant you this certificate of competency to act as an First Class Master of an Inland Vessel.

Given under my hand and Seal

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,

Jharkhand, Ranchi.

The..... day of.....

No. of certificate.....

Address of Certificate holder.....

Date and place of birth

Signature.....

Issue at..... on the date.....

Valid till.....

Registered.....

Transport Department,

Jharkhand Ranchi.

Note :-

- (1) Any 1st class master of an Inland Vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty upto Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
- (2) Any person other than the certificate holder who comes in possession of this certificate is required to transmit it forthwith to the Transport Department, Jharkhand, Ranchi.

FORM-25
(See Rules 34)

**CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS SECOND CLASS MASTER OF AN
INLAND VESSEL**

To,

WHEREAS it has been recommended by the examiner appointed under Section 21 of the Inland Vessel Act, 1917 that you have been found, after examination, duly qualify, to Act as second class master of an Inland Mechanical propelled vessel. I do hereby, in pursuance of Section 21 of the said Act, grant you this certificate of competency to act as second class master of an Inland Vessel.

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,

Jharkhand, Ranchi.

The..... day of.....

No. of certificate.....

as Second Class Master of an Inland Vessel bearer.....

son of

Date and place of birth(showing village, thane and district).....

Residence (showing village, thane and district).....

Personal description stating particularly permanent marks or scares.....

Height..... date of examination.....

Number of Register Ticket.....

Signature.....

Issued at..... on the..... date of.....

Valid till.....

Registered.....

Transport Department,

Jharkhand, Ranchi.

Note:-

- (1) Any Second Class Master of an Inland Vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty upto Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
- (2) Any person other than the holder of this certificate who comes in possession of this certificate is required to transmit it forthwith to the Transport Department, Jharkhand, Ranchi.

FORM-26

(See Rule 34)

**CERTIFICATE OF COMPETENCY AS SERANG OF AN INLAND VESSEL
UNDER ACT 1 OF 1917**

To,

WHEREAS it has been recommended by the examiner appointed under Section 21 of the Inland Vessel Act, 1917 that you have been found, after examination, duly qualify, to Act as Serang/ B of an Inland Mechanical propelled vessel having engines of less than 226 Brake Horse Power (226 B.H.P.) I do hereby, in pursuance of Section 21 of the said Act, grant you this certificate of competency as Serang of an Inland Vessel to ply in the State of Jharkhand.

Given under my hand and seal.

State Transport Commissioner/Chief Surveyor,

Jharkhand, Ranchi.

The..... day of.....

No..... of certificate..... as Serang of an inland
vessel bearer.....son of..... by caste.....

.....date and place of birth (showing village, thana and district).....

.....Residence (showing village, thane and

district)..... Personal description stating particularly and permanent marks

or scares..... Height date of Examination..... Number of

Register ticket.....

Signature.....

Issued at.....

on the.....

date of

Valid till.....

Registered.....

Department,

Transport

Jharkhand, Ranchi.

Note:-

- (1) Any Serang of an Inland Vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty upto Rs. 1000/- (Rupees one thousand).
- (2) Any person other than the holder of this certificate who comes in possession of this certificate is required to transmit it forthwith to the Transport Department, Jharkhand, Ranchi.
